GORAKHPUR POLICE

सराहनीय कार्य दिनांक:- 12-11-2022

मारपीट में चार पर केस

भटहट। गुलरिहा थानाक्षेत्र के जंगल डुमरी नंबर दो के खपड़हवा चौराहे पर स्थित पुलिस पिकेट के समीप छह नवम्बर को मनबढ़ युवकों ने बाइक सवार भाई-बहन को पीट दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने चार के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर कुलपति ने किया रवाना

गोरखपुर (एसएनबी)। राष्ट्रीय सेवा योजना दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय आवासीय परिसर तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के संयुक्त तत्वाधान में 'यातायात जागरूकता अभियान' के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुलपति प्रो. राजेश सिंह एवं पुलिस अधीक्षक यातायात गोरखपुर डॉ.एमपी सिंह द्वारा संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन हेतु यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यातायात जागरूकता रैली विश्वविद्यालय मुख्य द्वार से होते हुए डीएम आवास, हरिओम नगर चौराहा, अम्बेडकर चौराहा, छात्रसंघ चौराहा होते हुए विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर समाप्त हुई। इस अवसर पर कुलपति प्रो. राजेश सिंह ने स्वयंसेवकों को यातायात जागरूकता शपथ दिलाते हुए कहा कि भारत ही नही पूरी दुनिया में यातायात/सड़क दुर्घटना बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसी घटनाओं की रोक-थाम के लिए समाज को जागरूक करने की जरूरत है।

यातायात जागरूकता अभियान के तहत विश्वविद्यालय से निकाली गयी रैली में उपस्थित कुलपति प्रो. राजेश कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक डॉ. एमपी सिंह व अन्य।

स्वयंसेवकों को यातायात जागरूकता की शपथ दिलायी

पुलिस अधीक्षक यातायात डॉ. एमपी सिंह ने कहा कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात न करने, नियंत्रित गति से ही गाड़ी चलाने, इन्डीकेटर का प्रयोग तथा वाहन चलाते समय किसी प्रकार का नशा न करने जैसे नियमों का प्रयोग अवश्य करें। कार्यक्रम समन्वयक डॉ. जितेन्द्र कुमार ने सुरक्षा के लिए लोगों को स्वयं जागरूक रहनने केलिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रो. सुषमा पाण्डेय ने किया।

ट्रैक्टर पलटा, दबकर युवक की मौत

बड़हलगंज (एसएनबी)। कोतवाली क्षेत्र के दुबौली स्थित कंकाली मंदिर के पास ट्रैक्टर पलट गया। जिसमें दबकर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। शुक्रवार की रात क्षेत्र के परसिया तिवारी निवासी दयानंद पुत्र हरिश्चंद्र रामगढ़ से ट्रैक्टर ट्राली लेकर कंकाली मंदिर के पास जा रहा था। मंदिर से कुछ दूर पहले अचानक अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गया। जिसमें दबकर उसकी मौत हो गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दी है।

शादी का झांसा देकर करता रहा दुष्कर्म

खोराबार (एसएनबी)। शादी का झांसा देकर एक युवक बीते चार साल से एक युवती के साथ दुराचार करता रहा । पीड़िता शुक्रवार को थाने पर तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई । पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है । थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती का अपने रिस्ते में पादरी बाजार के रहने वाले एक युवक से प्रेम हो गया । इस दौरान युवक युवती के साथ शादी करने का वादा करके उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा । युवती जब शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो युवक ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया । पीड़िता थाने पर तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है । इस संबंध में एस एस आई संजय सिंह ने कहा कि इस तरह का प्रकरण हमारे सज्ञान में नही है ।

किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास

खोराबार (एसएनबी)। खोराबार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी से उसी के गांव का रहने वाला एक अटो चालक दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पीड़िता बीते चार दिनों से थाने का चक्कर लगा रही है लेकिन पुलिस न्यायसंगत कार्यवाही करने के बजाय पीड़िता को ही फटकारने में लगी हुई है थकहार कर पीड़िता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। थाना क्षेत्र का रहने वाला एक परिवार बीते 8 नवंबर को गुरुपूर्णिमा के दिन राप्ती नदी के तट पर खिलौना के दिन खिलौना का दुकान लगाया था। उसी दिन शाम को खिलौने का कारोबार अपने गांव के रहने वाले आटो चालक से आटो किराये पर सामान घर पहुचाने के लिए बुक किया। आरोप है कि अटो चालक सामान लेकर घर पहुचा इसी दौरान किशोरी का पिता बगल में किसी कार्य से चला गया जब वह वापस घर आया तो देखा कि अटो चालक उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास में लगा हुआ है। पीड़िता और उसके परिजन अपनी फरियाद लेकर थाने पहुचा लेकिन पुलिस न्याय संगत कार्यवाही करने की वजाय पीड़िता को ही फटकार लगानी शुरू कर दिया। पीड़िता के परिजन शुक्रवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है।इस सम्बंध में थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर ने कहा कि कोई तहरीर नही मिला है, तहरीर मिलता तो विधिक कार्यवाही जरूर करता।

दादी की हत्या करने वाला पोता गिरफ्तार

रकहट (एसएनबी)। वृहस्पतिवार की सुबह गगहा थाना क्षेत्र के महुराई सिंघला में जमीनी विवाद को लेकर पोते ने ही अपनी दादी को कुदाल से काटकर हत्या कर दिया था। मृतका की बेटी संगीता की तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ धारा 147,148,302 दर्ज हुआ था जिसमें मुख्य आरोपी मुकेश यादव पुत्र राम करन यादव को मुखबीर की सुचना पर थाना प्रभारी गगहा संदीप कुमार सिंह,उप निरीक्षक आशीष कुमार दूबे कांस्टेबल विजय यादव व राजू पटेल ने गुरुवार की रात्रि अतायर पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार कर लिया पुछताछ के दौरान आलाकत्ल कुदाल भी बरामद की गयी। आरोपी को जेल भेज दिया गया बाकी की तलाश में गगहा पुलिस दविश डाल रही है।

मालूम हो कि गगहा थाने के महुराई के सिंघला टोला निवासी चन्द्रावती यादव पत्नी स्वर्गीय पलकधारी यादव की मौत सम्पत्ति विवाद के कारण बृहस्पतिवार की सुबह करीब 8 बजे गांव की सड़क पर जा रही बुजुर्ग महिला को उसके नाती ने ताबड़तोड़ प्रहार कर लहुलुहान कर दिया जिससे मौके पर ही बुजुर्ग दादी की मौत हो गयी। पति की मौत के बाद सम्पत्ति मृतका व उसके बेटे रामकरन यादव के नाम हो गई थी। पति की मौत के बाद मृतका बेलीपार थाना क्षेत्र के सेंवई में अपनी बेटी संगीता के यहां रहती थी। कभी कभी अपने गांव आया करती थी। चन्द्रावती की दो बेटियां व एक पुत्र है तीनों की शादी हो चुकी थी उसकी एक बेटी की मौत काफी साल पहले हो चुकी थी जिसकी एक पुत्री रंजू है जिसकी शादी में मृतका ने कुछ जमीन बेच दी थी उसी को लेकर मां बेटे में और दुरिया बढ़ती गयी दुसरी बेटी संगीता यादव की शादी सेवई निवासी गामा यादव से हुई थी।बेटा रामकरन गांव सिंघला में अपने परिवार के साथ रहता है।बेटे रामकरन की पांच संताने है जिसमें तीन बेटी व दो बेटा है।

सिकरीगंज में फायरिंग करने वाला एक आरोपी धराया

गोरखपुर (एसएनबी)। वृहस्पतिवार को सिकरीगंज थाने के कटया में मनबढ़ों ने घर पर चढ़कर फायरिंग करने वाला रुदमन पुत्र स्व रामसकल निवासी कटया थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सिकरीगंज क्षेत्र के कटया निवासी संतराज यादव ने पुलिस को तहरीर दिया कि मेरा पुत्र वेद प्रकाश सेना में भर्ती के लिए वृहस्पतिवार की सुबह दौड़ लगाने कटहरिया पाकड़ घाट ग्राउंड पर गया था। मैदान में पहले से मौजूद जयहिंद पुत्र रुदमन से दौड़ लगाने के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। जिसके बाद वेद प्रकाश घर चला आया। लेकिन सुबह करीब नौ बजे इंद्र प्रताप यादव, जयहिंद, रुदमन, रूदल, राहुल यादव, परशुराम, एकजुट होकर असलहों से लैस होकर पूरे परिवार को जान से मारने की नीयत से उसके दरवाजे पर पहुंचे गाली देने लगे। इस दौरान असलहा लिये इंद्र प्रताप ने अपने सहयोगियों से कहा परिवार के सदस्यों को घर से बाहर निकाल कर गोलियों से भून दो। फायरिंग के दौरान एक गोली वेद प्रकाश के पैर में लग गयी जिससे वह घायल हो गया। एसओ सिकरीगंज दीपक कुमार सिंह ने फायरिंग करने वाले आरोपितों के खिलाफ मुकदमा संख्या 291/2022 धारा 147, 148, 149, 323, 336, 307, 504, 506 भादवि व 27/30 आयुध अधिनियम, 1959 से सम्बन्धित केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

हत्यारोपित को उम्र कैद

गोरखपुर (एसएनबी)। हत्या कर लाश छिपाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने खजनी थाना क्षेत्र के कूड़ा बुजुर्ग उर्फ कूड़नी निवासी अभियुक्त श्रीमती मालती देवी को आजीवन कारावास एवं 13 हजार रुपया अर्थदंड से दण्डित किया है।अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल एक माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि वादी रामबेचन खजनी थाना क्षेत्र के कूड़ा बुजुर्ग उर्फ कूडनी का निवासी है। वादी के खलिहान के बगल में रामचंदर केवट का खलिहान है।वादी का मेड़ काटने को लेकर रामचंदर केवट से विवाद हुआ था।उसी रंजिश को लेकर 13 अप्रैल 1999 को शाम छः बजे जब वादी का लड़का सत्यपाल उर्फ बैठोल अपने खलिहान में जा रहा था तभी अभियुक्त रामदवन और उसकी मां मालती देवी रास्ते में वादी के लड़के को पकड़कर रस्सी से उसका गला दबाकर और चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दिए और लाश गेंहू के बोझ के पीछे छिपा दिया।

धरना-प्रदर्शन किया तो होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

डीडीयू के नियंता ने पत्र जारी करते हुए किया आगाह

विश्वविद्यालय में बेहतर माहौल बनाने की दी सलाह

जिम्मेदारों को विद्यार्थियों की समस्याएं खुद सुलझाने को कहा

गोरखपुर (एसएनबी)। गोविवि. प्रशासन ने छात्र-छात्राओं द्वारा धरना-प्रदर्शन करने पर सख्ती से पाबंदी लगाने के लिए निर्देश जारी किये हैं। यदि छात्र-छात्राओं द्वारा विश्वविद्यालय के गेट पर या प्रशासनिक भवन पर धरना-प्रदर्शन किया जाता है तो इसे अनुशासनहीनता मानते हुए नियमानुसार उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

बता दें कि पिछले दिनों विधि विभाग एवं बीटेक के छात्र-छात्राओं द्वारा विश्वविद्यालय के गेट तथा प्रशासनिक भवन पर अपनी समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन किया गया था। जिसे लेकर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के नये नियंता ने एक पत्र जारी करते हुए सभी विभागाध्यक्षों, संकायाध्यक्षों, निदेशक, छात्रावासों के अभिरक्षकों को एक पत्र के माध्यम से कहा है कि वे छात्र-छात्राओं की समस्याओं का समाधान अपने स्तर से योजना बनाकर कर लें ताकि कोई छात्र या छात्रा ताकि कोई भी विद्यार्थी धरना प्रदर्शन जैसी गतिविधियों में भाग न ले सके। जैसा कि पिछले दिनों बीटेक था विधि विभाग के छात्र-छात्राओं ने विवि. गेट पर धरना-प्रदर्शन करके किया।

उन्होंने कहा है कि इस तरह का आचरण अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। छात्र-छात्राओं के बीच अनुशासन और बेहतर माहौल कायम करें। यदि छात्र-छात्राओं की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो विश्वविद्यालय प्रशासन नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा।

दुकानदार को जान माल की धमकी, एसएसपी से लगायी गुहार

गोरखपुर। कैंट इलाके के कूड़ाघाट निवासी दुकानदार कमलेश गुप्ता की सोनार गली में घड़ी की दुकान है। दुकान खाली कराने के लिए दुर्गेश और मनीष सहित अन्य लोग दबाव बना रहे हैं। इस मामले में दुकानदार ने कैंट थाने में दुर्गेश, विट्टू, मनीष और सर्कस के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कराया है। केस दर्ज होने के बाद दुकानदार पर खतरा बढ़ गया है और उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। दुकानदार कमलेश कुमार गुप्ता ने बताया कि दुकान लम्बे समय से बंद चल रही है। दुकान से ही परिवार का खर्च चलता था। दुकान खोलने पर जाने से मारने की धमकी दी जा रही है। उसने एसएसपी डा. गौरव गौरव से गुहार लगायी है कि मेरे जान को खतरा है। पूरे मामले की जांच करायी जाए और जिससे न्याय मिल सके।

मारपीट मामले में चार के खिलाफ एफआईआर

गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल डुमरी नंबर दो के खपड़हवा चौराहे पर स्थित पुलिस पिकेट के समीप छह नवम्बर की रात मनबढ़ों ने भाई व बहन को दौड़ाकर पीटा था. इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी वायरल हुआ था. उच्चाधिकारियों के निर्देश पर शुक्रवार को युवती की तहरीर पर पुलिस ने सकलदीपपुर निवासी अंगद पुत्र रामकरन, वकील पुत्र मुस्तफा, रामनवमी पुत्र पराग व बुधिराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. बता दें कि जंगल डुमरी युवती और उसका भाई छह नवंबर की शाम आठ बजे खपड़हवा चौराहे पर दवा खरीदने जा रहे थे.

चोरी के मोबाइल के साथ आरोपित गिरफ्तार

थाना क्षेत्र के राजधानी सोनबरसा टोला निवासी रामधारी चौहान के घर गुरुवार की रात हुई चोरी के आरोपित विश्नाथपुर गांव निवासी खुशबुद्दीन को पुलिस चोरी की मोबाइल के साथ शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है. उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है.

खिड़की तोड़कर गोदाम में हुई चोरी

थाने के बगल में स्थित संतोष तिवारी के गोदाम में गुरुवार की रात चोरों ने खिड़की तोड़कर नगद समेत अन्य सामान उठा ले गए. शुक्रवार को संतोष ने थाना पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि गुरुवार की सुबह दस बजे गोदाम बंद करके जिले पर चला गया था. रात नौ बजे वापस आकर जब गोदाम खोला तो खिड़की टूटी हुई मिली. अंदर रखा करीब चालीस हजार का बिस्किट, टाफी, सर्फ और साबुन गायब मिले. थाना प्रभारी शिव शंकर चौबे ने बताया कि तहरीर के बाद जांच की जा रही है.

ड्रोन से ड्रग्स मंगवाने में जेल सुप्रीटेंडेंट अरेस्ट

FIROZPUR (11 Nov, Agency) : फिरोजपुर सेंट्रल जेल में गैंगस्टरों, आतंकियों और नशा तस्करों को ड्रग्स व मोबाइल फोन पहुंचाने वाले डिप्टी जेल सुप्रीटेंडेंट गुरचरन सिंह धालीवाल को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोप है कि वह पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ मंगवाने की साजिश रच रहा था. यह पहली बार है, जब किसी पुलिसकर्मी को पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ मंगवाने की साजिश में गिरफ्तार किया गया हो. फिरोजपुर सिटी थाने के इंस्पेक्टर मोहित धवन ने बताया कि जेल में दो मोबाइल फोन सक्रिय होने की सूचना मिली थी, जिन्हें गुरचरन सिंह ने गैंगस्टरों को मुहैया कराए थे. जांच के बाद पता चला कि वह कैदियों, विचाराधीन कैदियों से पैसे लेकर उन्हें मोबाइल व नशीले पदार्थ सप्लाई कर रहा था और गैंगस्टरों व आतंकियों के साथ मिलकर सीमा पार से ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ मंगवाने की साजिश रच रहा था. वह गैंगस्टरों के सीमा पार बैठे गुर्गों से संपर्क करने वाला था. गुरचरन सिंह एक महीने पहले जेल के हाई सिक्योरिटी जोन में भी गैंगस्टरों व नशा तस्करों को पांच मोबाइल फोन सप्लाई कर चुका है.

बाइक सवार युवकों ने की मारपीट, हुए अरेस्ट

गुलरिहा थाना क्षेत्र के बरगदही केवटान टोले के समीप शुक्रवार की शाम गोरखपुर-महराजगंज फोरलेन पर बाइक सवार आधा दर्जन युवकों ने आपस में जमकर मारपीट की. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची भटहट चौकी पुलिस दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. चौकी पर तैनात दारोगा विवेक अवस्थी ने बताया कि दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दो गुटों की मारपीट लग रही थी.

चोरी की बाइक के साथ युवक गिरफ्तार

चौरीचौरा थाना क्षेत्र के भोपा बाजार चमड़ा मंडी के पास शुक्रवार की दोपहर में चोरी की बाइक लेकर घूम रहे मुंडेरा बाजार निवासी अनंत गुप्ता पुत्र हरिदयाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दारोगा सुनील कुमार ने बताया कि आरोपित को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है.

चोरी की बाइक के साथ दो गिरफ्तार

गीडा थाना क्षेत्र की नौसढ़ चौकी पुलिस ने दो युवकों को चोरी की बाइक के साथ शुक्रवार को गिरफ्तार किया. थाना प्रभारी राकेश सिंह यादव ने बताया कि खजनी थाना के रामपुर पाण्डेय निवासी अतुल पांडेय व नौसढ़ निवासी पवन दुबे के पास चोरी की बाइक बरामद हुई है. दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया.

चोरी की बाइक के साथ युवक गिरफ्तार

कार्रवाई

चौरीचौरा, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के भोपा बाजार चमड़ा मंडी के पास शुक्रवार को चोरी की बाइक लेकर घूम रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में पेश किया गया। जहां से जेल भेज दिया गया।

कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली के ग्राम करजहा घाट के मठसूरज गिरी निवासी सन्नी निषाद गुरुवार की दोपहर में मुंडेरा बाजार में स्थिति गुरुकुल पब्लिक स्कूल में बाइक से आया था। सन्नी निषाद जब स्कूल से बाहर निकला तो देखा कि एक युवक बाइक स्टार्ट कर लेकर चला गया। सन्नी ने शुक्रवार की दोपहर में चौरीचौरा आया था। उसने भोपा बाजार चमड़ा मंडी के पास एक युवक को उसकी चोरी की बाइक को लेकर घूमते देखा। उसने चोर को बाइक के साथ पकड़ लिया और चौरीचौरा पुलिस को सुपुर्द कर दिया। चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार युवक की पहचान मुंडेरा बाजार निवासी अनंत गुप्ता पुत्र हरी दयाल के रूप में हुई। पुलिस ने चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। एसआई सुनील कुमार ने अनन्त गुप्ता को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

चोरी की बाइक व मोबाइल के साथ तीन गिरफ्तार: गोरखपुर। चोरी की बाइक और मोबाइल फोन के साथ धर्मशाला चौकी इंचार्ज अवधेश मिश्र की टीम ने शुक्रवार को तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवकों की पहचान पादरीबाजार निवासी प्रदीप निषाद, अमित गुप्ता और अमित गौड़ के रूप में हुई। चौकी इंचार्ज अवधेश मिश्र ने बताया कि आरोपियों के पास से एक बाइक और दो मोबाइल फोन बरामद कर कोर्ट में पेश किया गया।

नौसढ़ क्षेत्र में चोरी की बाइक के साथ दो गिरफ्तार

सहजनवा । गीडा थाना अंतर्गत नौसढ़ चौकी पुलिस ने नौसढ़ क्षेत्र से दो लोगों को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने इनके पास से एक बाइक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक यह चोरी की बाइक है। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एसएचओ गीडा राकेश सिंह के नेतृत्व में नौसढ़ चौकी प्रभारी अनूप कुमार सिंह ने नौसढ़ क्षेत्र में वाहन की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान अतुल पाण्डेय पुत्र श्यामबिहारी पाण्डेय निवासी रामपुर थाना खजनी और पवन दूबे पुत्र अक्षयबर दूबे निवासी नौसढ़ थाना गीडा पुलिस को देखते ही भागने लगे। तत्परता दिखाते नौसढ़ पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया, पुलिस ने उसके पास से एक बाइक बरामद कर जेल भेज दिया।

पूर्व प्रधान सहित 18 पर मारपीट व बलवा का केस

गोरखपुर। गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल नाकिन निवासी व वर्तमान प्रधान ने पूर्व प्रधान पुत्र सहित 18 के खिलाफ बलवा, मारपीट आदि धाराओं में केस दर्ज कराया है। यह मुकदमा कोर्ट के आदेश पर हुआ है। इससे पहले थाने में ही ईंट से सिर फोड़ने के मामले में वर्तमान प्रधान सहित चार पर हत्या के प्रयास में केस दर्ज था।

जंगल नाकिन में तीन माह पहले खड़ंजा लगने को लेकर विवाद हो गया था। कोर्ट के आदेश पर प्रधान प्रमोद यादव की तहरीर पर शुक्रवार को 18 पर बलवा, मारपीट में केस दर्ज हुआ।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप

खोराबार। शादी का झांसा देकर एक युवक बीते चार साल से एक युवती के साथ दुराचार कर रहा था। पीड़िता शुक्रवार को थाने पर तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। थानाक्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती को पादरी बाजार के रहने वाले अपने रिश्तेदार युवक से प्रेम हो गया। इस दौरान युवक-युवती के साथ शादी करने का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।

मारपीट और फायरिंग का आरोपित गिरफ्तार

सिकरीगंज। सिकरीगंज थाना क्षेत्र के कटहरियां पाकड़घाट में युवकों के बीच में मारपीट हो गई। दोनों पक्ष ने एक दूसरे फायरिंग का आरोप भी लगाया था। पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान रुदमन यादव के रूप में हुई। कटहरियां निवासी वेदप्रकाश व इंद्रप्रताप गुरुवार को गांव में दौड़ लगाने गए थे। इसी दौरान मारपीट हो गई।

रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ में प्रॉपर्टी डीलर पर एक और केस

हि फॉलोअप

गोरखपुर। रामगढ़ताल थाने में झूठा साक्ष्य देकर डकैती का मुकदमा दर्ज कराने वाले प्रापर्टी डीलर विनोद मिश्रा पर अब एक और केस दर्ज हुआ है। घटना में शामिल तीन आरोपितों पर एसएसपी ने इनाम घोषित किया है।

चौकी प्रभारी नौकायन विजय कुमार गौड़ ने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि एक नवंबर की रात को मानबेला निवासी विनोद मिश्रा और उसके साथियों ने चूल्हा-चौका रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को पीट दिया। रेस्टोरेंट संचालक ने आरोपितों के विरुद्ध डकैती, मारपीट, तोड़फोड़ और बलवा करने का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में पता चला कि आरोपित विनोद ने गुलरिहा थाने में अपनी गाड़ी के क्षतिग्रस्त होने का मुकदमा दर्ज कराया है। इसी आधार पर रामगढ़ताल थाने में रेस्टोरेंट संचालक और कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया। विनोद ने झूठा साक्ष्य पेश कर पुलिस को गुमराह किया है। प्रभारी निरीक्षक थाना रामगढ़ताल सुधीर सिंह ने बताया कि रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने वाले मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, अन्य की तलाश जारी है।

दादी के हत्यारोपी पौत्र को भेजा जेल, अन्य की तलाश

- वृद्धा की बेटी ने भाई-भाभी सहित पांच के खिलाफ दर्ज कराया है केस
- भूमि विवाद में हुई वृद्धा की हत्या, चार अन्य आरोपितों की तलाश जारी

गगहा, हिन्दुस्तान संवाद। गगहा क्षेत्र के महुराई सिंघला में गुरुवार को भूमि विवाद को लेकर दादी की हत्या करने वाले पौत्र को शुक्रवार को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इससे पहले पुलिस ने उसके पास से घटना में इस्तेमाल आला कत्ल बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपित ने घटना के बाद खुद ही थाने में सरेंडर कर दिया था। हालांकि पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार दिखाया है। घटना में शामिल अन्य चार लोगों की तलाश जारी है।

गुरुवार की सुबह सिंघला गांव निवासी मुकेश यादव ने 70 साल की अपनी दादी पर कुदाल से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। बताया जा रहा है कि घटना के बाद वह थाने पहुंच गया उसके बाद पुलिस को सूचना हुई। मृतका की बेटी संगीता की तहरीर पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ धारा 147, 148 और 302 के तहत केस दर्ज किया। मुख्य आरोपी मुकेश यादव पुत्र राम करन यादव को पुलिस ने गुरुवार की रात करीब आठ बजे अतायर पेट्रोल पंप से गिरफ्तार दिखाया। शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया। अन्य आरोपितों की तलाश में गगहा पुलिस दबिश डाल रही है।

हत्या कर लाश छिपाने के जुर्म में महिला को उम्रकैद

गोरखपुर, निज संवाददाता। हत्या कर लाश छिपाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर जनपद न्यायाधीश तेजप्रताप तिवारी ने खजनी थानाक्षेत्र के कूड़ा बुजुर्ग उर्फ कूड़नी निवासी अभियुक्त श्रीमती मालती देवी को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि वादी खजनी थानाक्षेत्र के कूड़ा बुजुर्ग उर्फ कूडनी का निवासी है। वादी के खलिहान के बगल में रामचंदर का खलिहान है।

वादी का मेड़ काटने को लेकर रामचंदर से विवाद हुआ था। उसी रंजिश को लेकर 1999 में वादी का लड़का सत्यपाल खलिहान में जा रहा था। अभियुक्त गण ने मिलकर उसकी हत्या कर शव गेहूं के बोझ तले छिपा दिया था।

यातायात जागरुकता की दिलाई शपथ

गोरखपुर, निज संवाददाता। यातायात माह के अंतर्गत यातायात पुलिस एवं विभिन्न संस्थानों द्वारा यातायात जागरूकता के लिए कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। डीडीयू में एनएसएस स्वयंसेवकों को यातायात जागरूकता की शपथ दिलाई गई तो अन्य जगहों पर कार्यशाला आयोजित हुई।

कुलपति प्रो. राजेश सिंह एवं पुलिस अधीक्षक यातायात डॉ. एमपी सिंह ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन के लिए यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसपी ट्रैफिक डॉ. एमपी सिंह ने यातायात नियमों की जानकारी दी। संचालन प्रो. सुषमा पाण्डेय ने किया।

शुक्रवार को सरमाउण्ड इंटरनेशनल स्कूल में यातायात जागरूकता अभियान के तहत छात्र-छात्राओं को शपथ दिलाते एसपी ट्रैफिक।

डॉ. जितेन्द्र कुमार, नियंता प्रो. गोपाल प्रसाद, प्रो. विनय आदि मौजूद रहे।

इसी क्रम में सरमाउंट इंटरनेशनल स्कूल में पीपीटी द्वारा बच्चों और शिक्षकों की यातायात नियमों की जानकारी कार्यशाला के माध्यम से दी गई। एसपी ट्रैफिक ने इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम अधिकारी प्रभाकर शुक्ल, एआरटीओ संजय कुमार झा आदि मौजूद रहे।

घर में घुसे चोर को पीट पुलिस को सौंपा

झंगहा/चौरीचौरा। झंगहा थानाक्षेत्र के राजधानी नकहा निवासी रामधारी चौहान के घर में गुरुवार रात घुसे एक चोर को परिजनों ने गांव वालों की मदद से पकड़ लिया और पीटकर झंगहा पुलिस को सौंप दिया। इस दौरान बाहर खड़े दो अन्य चोर भागने में सफल रहे।

बताया जा रहा है कि रामधारी चौहान के छत पर चढ़कर सीढ़ी के रास्ते से चोर जैसे ही घर में घुसा तो घर की महिलाओं की नींद खुल गई। रामधारी चौहान की तहरीर पर झंगहा पुलिस ने झंगहा थाना क्षेत्र के विश्वनापुर निवासी खुशबूद्दीन के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज कर चोरी के मोबाइल को बरामद जेल भेजा है। एक सप्ताह पूर्व इसी गांव के करमावन टोले में चंद्रदेव साहनी के घर में कमरे में घुसे चोरों ने पांच हजार नकद सहित हजारों के जेवर उड़ा दिया था।

कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा

जासं, गोरखपुर: कैंट पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर विपिन कुमार, राजकुमार पाण्डेय, निरमांती देवी, पवन कुमार, उदयचंद गुप्ता, बृजेश यादव, वीरेन्द्र यादव, गंगा प्रसाद पाण्डेय, ऋषिकेश गुप्ता, मिथिलेश चंद, रिंकी शर्मा और हरिश्चंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोर्ट ने यह आदेश शाहपुर थाना के जंगल तुलसीराम बिछिया निवासी ज्ञानेन्द्र भट्ट की अपील पर दी। ज्ञानेन्द्र ने कोर्ट में अपील दायर की थी कि तुलसीराम में स्थित उनकी जमीन पर कई लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं।

दीवानी कचहरी व तहसीलों में लोक अदालत आज

जासं, गोरखपुर: दीवानी कचहरी और वाह्य न्यायालय बांसगांव, ग्राम न्यायालय कैम्पियरगंज, चौरी चौरा व गोला के अतिरिक्त अन्य तहसील मुख्यालयों पर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे से लोक अदालत की शुरुआत होगी।

लोक अदालत में विशिष्ट विषय आपराधिक शम्मनीय वाद, धारा 138 पराक्रम लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाओं, पारिवारिक वादों, भूमि अधिग्रहण वादों व अन्य मामलों को समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा कि वादकारी संबंधित कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं।

मारपीट और हवाई फायरिंग करने का आरोपित हुआ गिरफ्तार

जासं, गोरखपुर : सिकरीगंज थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने शुक्रवार को मारपीट और हवाई फायरिंग के आरोपित कटया निवासी रुदमन पुत्र स्व.रामसकल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपित को न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया है।

कटया गांव निवासी दो युवकों में गुरुवार को कटहरियां पाकड़घाट मैदान में कहासुनी हो गई थी। युवकों के घर पहुंचने पर उनके स्वजन ने आपस में विवाद किया। इस दौरान मारपीट और हवाई फायरिंग हुई थी। इसमें दो लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा था। एहतियातन गांव में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही थी।

हत्यारोपित महिला को आजीवन कारावास

जासं, गोरखपुर : 23 साल पहले हत्या कर लाश छिपाने का आरोप सिद्ध पाए जाने पर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने खजनी थाना क्षेत्र के कूड़ा बुजुर्ग उर्फ कुड़नी निवासी अभियुक्त मालती देवी को आजीवन कारावास व 13 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल एक माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव ने बताया कि वादी राम बेचन खजनी थाना क्षेत्र के कूड़ा बुजुर्ग उर्फ कुड़नी का निवासी है। वादी रामबेचन व रामचंदर केवट के बीच विवाद हुआ था। 13 अप्रैल 1999 को वादी के बेटे की हत्या कर दी गई थी।

प्रापर्टी डीलर पर एक और मुकदमा

रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने के बाद दर्ज कराया था झूठा केस

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : झूठा साक्ष्य देकर रामगढ़ताल थाने में डकैती का मुकदमा दर्ज कराने वाले प्रापर्टी डीलर विनोद मिश्रा की मुश्किल बढ़ गई है। चूल्हा-चौका रेस्टोरेंट में हुई घटना की विवेचना कर रहे नौकायन चौकी प्रभारी ने विनोद और उसके साथियों के विरुद्ध जालसाजी करने और झूठा साक्ष्य देने का मुकदमा दर्ज कराया है। घटना में शामिल तीन आरोपितों पर एसएसपी ने इनाम घोषित किया है, जिनकी तलाश चल रही है।

चौकी प्रभारी नौकायन विजय कुमार गौड़ ने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि एक नवंबर की रात को मानबेला निवासी विनोद मिश्रा और उसके साथियों ने भोजन मिलने में देरी होने पर चूल्हा-चौका रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को पीट दिया। विरोध करने पर तोड़फोड़ करने के साथ ही जानलेवा हमला किया। रेस्टोरेंट संचालक ने आरोपितों के विरुद्ध डकैती, मारपीट, तोड़फोड़ व बलवा करने का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में पता चला कि आरोपित विनोद मिश्रा ने गुलरिहा थाने में अपनी गाड़ी के क्षतिग्रस्त होने का मुकदमा दर्ज कराया है।

वाहन क्षतिग्रस्त होने का आधार बनाते हुए रामगढ़ताल थाने में रेस्टोरेंट संचालक और कर्मचारियों के विरुद्ध झूठे साक्ष्य के आधार पर मुकदमा दर्ज करा दिया। विनोद मिश्रा और उसके साथियों ने झूठा साक्ष्य पेशकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया है। प्रभारी निरीक्षक थाना रामगढ़ताल सुधीर सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेज दिया है। अन्य की तलाश चल रही है।

गुलरिहा के बनगाई में क्षतिग्रस्त हुई थी गाड़ी : विनोद मिश्रा की गाड़ी गुलरिहा थाना क्षेत्र के बनगाई में एक नवंबर की रात को क्षतिग्रस्त हुई थी। इस मामले में विनोद मिश्रा ने दो नवंबर को गुलरिहा थाने में अज्ञात लोगों के विरुद्ध तोड़फोड़ करने का मुकदमा दर्ज कराया है। पांच नवंबर को विनोद ने रामगढ़ताल थाना पुलिस को यह जानकारी देते हुए रेस्टोरेंट के संचालक व कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करा दिया कि उन्होंने गाड़ी तोड़ी है। दैनिक जागरण ने इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपित पर कार्रवाई शुरू हुई।

मारपीट के मामले में चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जासं, भटहट : गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल डुमरी नंबर दो के खपड़हवा चौराहे पर स्थित पुलिस पिकेट के समीप छह नवम्बर की रात मनबढ़ों ने भाई व बहन को दौड़ाकर पीटा था। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी वायरल हुआ था। पुलिस ने सकलदीपपुर निवासी अंगद, वकील पुत्र मुस्तफा, रामनवमी व बुधिराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

प्रधान पति पर जानलेवा हमला, चार गिरफ्तार

जासं, सहजनवां : गीडा थाना क्षेत्र के कोडरी कला में पोल उखाड़ने को लेकर गुरुवार को ग्राम प्रधान पति रामलाल और पूर्व प्रधान प्रत्याशी में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। आरोप है कि एक पक्ष ने प्रधान पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर पांच-पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शुक्रवार को दोनों पक्षों से चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सहजनवां ब्लाक के कोडरी कला निवासी ग्राम प्रधान पति रामलाल गुरुवार की शाम पोल लगवा रहे थे। आरोप है कि टड़वा माफी निवासी कुछ लोगों ने पोल को उखाड़ कर दूसरी जगह लगा दिया। विरोध करने पर दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। आरोप है कि महिला प्रधान व एक अन्य महिला के साथ छेड़छाड़ की भी की गई।

चोरी के दो मोबाइल फोन संग तीन बदमाश गिरफ्तार

जासं, गोरखपुर : गोरखनाथ थाना पुलिस ने चोरी के दो मोबाइल फोन के साथ शुक्रवार की सुबह बाइक सवार तीन बदमाशों को पकड़ा। सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह ने बताया कि शुक्रवार की सुबह धर्मशाला चौकी प्रभारी अवधेश मिश्रा ने वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार तीन युवकों को पकड़ा। तलाशी लेने पर उनके पास से चोरी के दो मोबाइल फोन मिले। पूछताछ में आरोपितों की पहचान शाहपुर के पादरी बाजार मोहनापुर टोला निवासी प्रदीप निषाद, अमित गुप्ता और अमित गौड़ के रूप में हुई। आरोपितों के कब्जे से बरामद बाइक प्रदीप की है। दोपहर बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।

रैली निकाल यातायात जागरूकता अभियान की शुरुआत

रैली का नेतृत्व करते कुलपति प्रो. राजेश सिंह व एसपी सिटी डा. एमपी सिंह ● जागरण

जासं, गोरखपुर: गोरखपुर विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और सम्बद्ध महाविद्यालयों की ओर से शुक्रवार को विश्वविद्यालय में यातायात जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। पहले दिन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे कुलपति प्रो. राजेश सिंह और एसपी ट्रैफिक एमपी डा.एमपी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

रैली विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से निकलकर डीएम आवास, अंबेडकर चौराहा, छात्रसंघ चौराहा होते हुए वापस विश्वविद्यालय में समाप्त हुई। कुलपति ने कहा कि

गोवि के मुख्य द्वार से कुलपति के नेतृत्व में निकाली गई रैली

भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसे यातायात नियमों के पालन से ही रोका जा सकता है। एसपी ट्रैफिक ने यातायात के नियम बताए। कार्यक्रम समन्वयक डा.जितेंद्र कुमार ने कहा कि जीवन अनमोल है, इसकी सुरक्षा हमें स्वयं करनी होगी। रैली का संचालन प्रो.सुषमा पांडेय ने किया। मुख्य नियंता प्रो. गोपाल प्रसाद, प्रो. विनय कुमार सिंह, प्रो. केशव सिंह, डा. अमित उपाध्याय, दीपेंद्र मोहन सिंह, डा. मीतू सिंह मौजूद रहे।

सरमाउंट इंटरनेशनल स्कूल तारामंडल में बच्चों को यातायात जागरूकता कार्यक्रम में शपथ दिलाते एसपी ट्रैफिक ● जागरण

छात्र-छात्राओं को दी गई यातायात नियमों की जानकारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : सरमाउंट इंटरनेशनल स्कूल तारामंडल में शुक्रवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देने के साथ उनका पालन करने की शपथ दिलाई गई।

पुलिस अधीक्षक यातायात डा.एमपी सिंह ने बताया कि सुरक्षित यातायात सभी के लिए जरूरी है। इसके लिए सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। जिनका ड्राइविंग लाइसेंस बना है वही वाहन चलाएं। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाएं। पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट अवश्य लगाना चाहिए। दोपहिया वाहन पर तीन लोग न बैठें, बिना नंबर प्लेट के वाहन न चलाएं, नशे की हालत में गाड़ी न चलाएं। उन्होंने बच्चों से आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करने की जानकारी देने की अपील की। इस अवसर पर एआरटीओ संजय कुमार झा, स्कूल के प्रबंधक आरडी यादव, सुमित मिश्रा, धर्मेंद्र कुमार सिंह, अजीत कुमार पांडेय तथा रामवृक्ष यादव मौजूद रहे।

खोराबार पुलिस नहीं दर्ज कर रही मुकदमा

जासं, गोरखपुर : खोराबार क्षेत्र की रहने वाली किशोरी स्जवन के साथ शुक्रवार की दोपहर एसएसपी से मिली। स्वजन ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आटो चालक पर खोराबार थाना पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। प्रार्थना पत्र में किशोरी के पिता ने लिखा है कि आठ नवंबर को राप्ती नदी के तट पर खिलौने की दुकान लगायी थी। गांव के रहने वाले आटो चालक से शाम को खिलौने घर पहुंचाने के लिए कहा था। शाम को खिलौने लेकर घर पहुंचे आटो चालक ने बेटी को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, जिसकी शिकायत उन्होंने खोराबार थाने पर की लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।

हत्याभियुक्त को आजीवन कारावास

अमर उजाला ब्यूरो

कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला, अर्थदंड भी लगाया

गोरखपुर। हत्या कर शव छिपाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने खजनी थाना क्षेत्र के कूड़ा बुजुर्ग उर्फ कूड़नी निवासी अभियुक्त मालती को आजीवन कारावास व 13 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर 13 माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि वादी रामबेचन खजनी थाना क्षेत्र के कूड़ा बुजुर्ग उर्फ कूडनी का निवासी है। उसके खलिहान के बगल में रामचंदर केवट का खलिहान है।

वादी का मेड़ काटने को लेकर रामचंदर केवट से विवाद हुआ था। उसी रंजिश में 13 अप्रैल 1999 की शाम छह बजे वादी का लड़का सत्यपाल उर्फ बैठोल अपने खलिहान में जा रहा था।

अभियुक्त रामदवन और उसकी मां मालती ने रास्ते में वादी के लड़के को पकड़कर रस्सी से उसका गला दबाने के बाद चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी और लाश गेहूं के बोझ के पीछे छिपा दिया था।

दादी की हत्या करने के आरोपी पोते को जेल

गगहा (गोरखपुर)। क्षेत्र के महुराई के सिंघला टोले में बृहस्पतिवार सुबह चंद्रावती यादव (65) की कुदाल से काटकर हत्या में शामिल पोते मुकेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेजा गया। पुलिस ने मृतका की बेटी संगीता यादव की तहरीर पर पोते मुकेश, उसके भाई राकेश यादव पर हत्या व पिता रामकरन, उनकी पत्नी मेवाती को आपराधिक साजिश का आरोपी बनाया है।

चंद्रावती के दामाद गामा यादव ने बताया कि अभी तीन दिन पहले ही चंद्रावती बेटी के ससुराल से सिंघला आई थीं। बृहस्पतिवार सुबह पोते राकेश और मुकेश ने दादी को गांव में घेर लिया और कुदाल से मारकर हत्या कर दी थी। ब्यूरो

बिना हाई सिक्योरिटी नंबर वाले वाहनों का कटेगा चालान

15 से नंबर प्लेट के अंत में 6 व 7 नंबर वाले वाहनों पर एचएसआरपी अनिवार्य

संवाद न्यूज एजेंसी

गोरखपुर। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे 6 और 7 नंबर वाले वाहनों का 16 नवंबर से पांच हजार रुपये का चालान कटेगा। 0, 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर वाले वाहनों पर पहले से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य है। अब 0 से 7 नंबर तक बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है।

शासन की ओर से वाहनों पर कलर कोटेड हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए अलग-अलग समय सीमा तय की गई है। पिछले वर्ष सितंबर से ही व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी गई थी।

इसके बाद इस वर्ष विगत 15 फरवरी से पंजीकरण संख्या के अंत में 0 व 1, 15 मई से 2 व 3 और 15 अगस्त से 4 व 5 नंबर वाले वाहनों पर एचएसआरपी अनिवार्य की गई थी। अब 15 नवंबर से अंत में 6 व 7 नंबर होने वाले वाहनों पर भी एचएसआरपी न होने पर पांच हजार रुपये का चालान काटा जाएगा।

ये है समय सीमा

जिन वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 है, उसपर 15 नवंबर 2022 तक

जिन वाहनों के नंबर के अंत में 8 या 9 है, उसपर 15 फरवरी 2023 तक

जिन वाहनों के अंत में 6 व 7 नंबर हैं उनपर 15 नवंबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य होगा। 16 नवंबर से 6 व 7 नंबर वाले बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों का पांच हजार रुपये का चालान काटा जाएगा।

- संजय कुमार झा, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन

हत्याभियुक्त को आजीवन कारावास

अमर उजाला ब्यूरो

गोरखपुर। हत्या कर शव छिपाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने खजनी थाना क्षेत्र के कूड़ा बुजुर्ग उर्फ कूड़नी निवासी अभियुक्त मालती को आजीवन कारावास व 13 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर 13 माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि वादी रामबेचन खजनी थाना क्षेत्र के कूड़ा बुजुर्ग उर्फ कूडनी का निवासी है। उसके

कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला, अर्थदंड भी लगाया

खलिहान के बगल में रामचंदर केवट का खलिहान है।

वादी का मेड़ काटने को लेकर रामचंदर केवट से विवाद हुआ था। उसी रंजिश में 13 अप्रैल 1999 की शाम छह बजे वादी का लड़का सत्यपाल उर्फ बैठोल अपने खलिहान में जा रहा था।

अभियुक्त रामदवन और उसकी मां मालती ने रास्ते में वादी के लड़के को पकड़कर रस्सी से उसका गला दबाने के बाद चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी और लाश गेहूं के बोझ के पीछे छिपा दिया था।

दादी की हत्या करने के आरोपी पोते को जेल

गगहा (गोरखपुर)। क्षेत्र के महुराई के सिंघला टोले में बृहस्पतिवार सुबह चंद्रावती यादव (65) की कुदाल से काटकर हत्या में शामिल पोते मुकेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेजा गया। पुलिस ने मृतका की बेटी संगीता यादव की तहरीर पर पोते मुकेश, उसके भाई राकेश यादव पर हत्या व पिता रामकरन, उनकी पत्नी मेवाती को आपराधिक साजिश का आरोपी बनाया है।

चंद्रावती के दामाद गामा यादव ने बताया कि अभी तीन दिन पहले ही चंद्रावती बेटी के ससुराल से सिंघला आई थीं। बृहस्पतिवार सुबह पोते राकेश और मुकेश ने दादी को गांव में घेर लिया और कुदाल से मारकर हत्या कर दी थी। ब्यूरो

प्रधान पति और उनके भाई पर चाकू से हमला

गीडा इलाके के कोडरिकला गांव में हुई घटना, चार गिरफ्तार

अमर उजाला ब्यूरो

पिपरौली/हरपुर बुदहट। गीडा थाना क्षेत्र के कोडरीकला के प्रधान पति व उनके भाई पर बृहस्पतिवार रात मनबढ़ों ने हमला कर दिया। आरोप है कि घर में घुसकर प्रधान से भी मारपीट की गई। घटना एक खंभे को उखाड़ने को लेकर हुई है।

पुलिस ने केस दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेजा गया। अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है।

घायल रामसिंह।

अन्य आरोपियों की पुलिस कर रही तलाश, घायलों को भर्ती कराया

आरोपियों की पहचान कोडरीकला निवासी राम सिंह निषाद, शेर सिंह, पुजारी यादव व सोनू यादव के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक, प्रधान पति रामलाल गांव के लोगों की सुविधा के लिए सरकारी खंभा लगवाए थे। टड़वा माफी गांव के पुजारी यादव, मुलायम यादव सहित कुछ लोगों ने उसे उखाड़कर दूसरी जगह लगा दिया।

बृहस्पतिवार रात पुजारी यादव गांव पर आए थे, रामलाल ने उनसे खंभा उखाड़ने का कारण पूछा तो पुजारी यादव ने साथियों को बुला लिया और फिर रामलाल पर चाकू व राड से हमला कर दिया। मारपीट होता देख उनके भाई रामसिंह आए तो उन पर हमला किया गया। दोनों जान बचाने के लिए घर में भागे। आरोपियों ने घर में घुसकर भी पीटा। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।

झूठा केस दर्ज कराने वाले प्रापर्टी डीलर पर मुकदमा

नौका विहार चौकी इंचार्ज की तहरीर पर पुलिस ने की कार्रवाई

अमर उजाला ब्यूरो

गोरखपुर। नौका विहार के पास स्थित रेस्त्रां में मारपीट के बाद फर्जी केस दर्ज कराने के मामले में कार्रवाई की गई। नौका विहार पुलिस चौकी इंचार्ज की तहरीर पर आरोपी प्रापर्टी डीलर विनोद मिश्रा पर फर्जी सूचना और झूठे साक्ष्य देने की धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उधर, घटना में शामिल तीन आरोपियों पर एसएसपी ने इनाम घोषित किया है, जिनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही।

दरअसल, रेस्त्रां में मारपीट और गुंडई के बाद विनोद मिश्रा ने क्रास केस दर्ज करा दिया था। डकैती का

रेस्त्रां में उत्पात मचाने के बाद आरोपी ने दर्ज करा दिया था फर्जी केस

केस दर्ज कराने वाले विनोद मिश्रा की जांच की गई तो पता चला कि गुलरिहा में हुई एक नवंबर की घटना को फिर से दिखाकर केस दर्ज कराया है। इसी आधार पर केस को खत्म कर दिया गया था और अब केस दर्ज किया गया है।

चौकी इंचार्ज नौकायन विजय कुमार गौड़ ने तहरीर में लिखा है कि एक नवंबर की रात मानबेला निवासी विनोद मिश्रा और उसके साथियों ने भोजन मिलने में देरी होने पर चूल्हा-चौका रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को पीट दिया था। विरोध करने पर तोड़फोड़ करने के साथ ही जानलेवा हमला किया। रेस्टोरेंट संचालक ने आरोपियों के विरुद्ध डकैती, मारपीट, तोड़फोड़ व बलवा करने का मुकदमा दर्ज कराया था।

विवेचना में पता चला कि आरोपित विनोद मिश्रा ने गुलरिहा थाने में अपनी गाड़ी के क्षतिग्रस्त होने का मुकदमा दर्ज कराया है। वाहन के क्षतिग्रस्त होने का आधार बनाते हुए रामगढ़ताल थाने में रेस्टोरेंट संचालक और कर्मचारियों के विरुद्ध झूठे साक्ष्य के आधार पर मुकदमा दर्ज करा कर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया है।

भाई-बहन को पीटने के मामले में चार पर केस

गुलरिहा। इलाके के जंगल डुमरी नंबर दो में पुलिस पिकेट के पास भाई-बहन को पीटने के मामले में पुलिस ने उच्चाधिकारियों के आदेश पर चार युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। छह नवंबर की रात आठ बजे के करीब घटना हुई थी।

सोनम पुत्री अंबाली अपने भाई अजय के साथ छह नवंबर की रात आठ बजे खपड़हवा चौराहे पर दवा खरीदने जा रही थी। पीड़िता का आरोप है कि सकलदीपपुर के कुछ लोगों से कहासुनी हो गई। मनबढ़ों ने भाई व बहन को दौड़ा कर पीटा था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।

मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद पीड़िता की तहरीर पर अंगद, वकील, रामनवमी, बुधिराम समेत चार पर केस दर्ज कर किया गया। ब्यूरो

पूर्व प्रधान सहित 18 पर बलवा, मारपीट का केस

अमर उजाला ब्यूरो

गुलरिहा। इलाके के जंगल नाकिन निवासी प्रधान प्रमोद यादव ने पूर्व प्रधान राममिलन यादव, रामकिशन, बृजेश सहित 18 लोगों पर मारपीट व बलवा का केस दर्ज कराया है। पुलिस कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर जांच कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, गांव में लगभग तीन माह पहले पूर्व प्रधान व कुछ लोगों ने खड़ंजा लगने को लेकर आपत्ति कर कार्य को बंद करा दिया था। तब पुलिस ने वर्तमान प्रधान व दूसरे पक्ष को पंचायत के लिए थाने पर बुलाया था।

पंचायत शुरू होने से पहले ही प्रधान और उनके लोगों द्वारा ईंट से हमला कर दूसरे पक्ष का सिर फोड़

प्रधान की तहरीर पर कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया मुकदमा

देने से थाने परिसर में खलबली मच गई थी। पुलिस ने प्रधान सहित चार को हत्या के प्रयास में जेल भेज दिया था।

जेल से छूटने पर प्रधान ने आरोप लगाते हुए हरिवंश, पूर्व प्रधान राममिलन यादव, रामकिशन, बृजेश उर्फ फूले, विजय, सिरी सहित 12 अज्ञात पर बलवा, मारपीट व धमकी की धाराओं में केस दर्ज कराया है। प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा मनोज कुमार पांडेय ने बताया केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

चोरी के आरोप में युवक को पकड़ा

झंगहा। इलाके के राजधानी नकहा गांव निवासी रामधारी चौहान के घर में घुसे चोर को लोगों ने दबोच लिया। उसकी पिटाई कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। जानकारी के मुताबिक, रामधारी चौहान के घर में एक युवक घुस गया और चोरी की कोशिश करने लगा। इसी दौरान खटपट की आवाज सुनकर घरवाले जग गए और शोर मचाने पर आसपास के लोग गए। ग्रामीणों के जुटने पर बाहर खड़े दो युवक फरार हो गए, जबकि एक पकड़ा गया। पुलिस ने रामधारी चौहान की तहरीर पर क्षेत्र के विश्वनाथपुर गांव निवासी खुशबूद्दीन के खिलाफ केस दर्ज कर मोबाइल फोन बरामद कर लिया। ब्यूरो

मारपीट व फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार

सिकरीगंज। इलाके के कटहरियां पाकड़घाट में युवकों के बीच में मारपीट हो गई। दोनों पक्ष ने एक दूसरे फायरिंग का आरोप लगाया था। पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान रुदमन यादव के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक, कटहरियां निवासी संतराज यादव का बेटा वेदप्रकाश व रामसकल का बेटा इंद्रप्रताप बृहस्पतिवार को गांव में दौड़ लगाने गए थे। इसी दौरान दोनों पक्ष में मारपीट हो गई। ब्यूरो

11 आईपीएस बदले गए पांच जिलों में नए एसपी

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार देर रात 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें पांच जिलों के पुलिस कप्तानों को बदल दिया गया है। जबकि तीन जिलों के पुलिस अधीक्षकों को हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया गया है। गंभीर शिकायतों से घिरे उन्नाव के एसपी दिनेश त्रिपाठी समेत मुरादाबाद के एसएसपी हेमंत कुटियाल और गाजीपुर के एसपी बोत्रे रोहन प्रमोद को प्रतीक्षारत कर दिया गया है। वहीं, अभिसूचना में तैनात दिनेश कुमार सिंह को बाराबंकी का नया एसपी बनाया गया है। अब तक इस पर तैनात रहे अनुराग वत्स को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर गृह मंत्रालय के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया है।

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान मुरादाबाद के एसएसपी और उन्नाव के एसपी की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई थी। वहीं मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई में ढिलाई को लेकर गाजीपुर के एसपी को फटकार लगाई थी। तभी से माना जा रहा था कि इन तीनों अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। इसी कड़ी में इन तीनों जिलों के पुलिस कप्तानों को हटाकर प्रतीक्षा में डाल दिया गया है। ब्यूरो

DEORIA POLICE

उत्तर प्रदेश पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक:- 12-11-2022

चोरों ने खाली घर को खंगाला, लाखों के आभूषण चोरी

रुद्रपर (एसएनबी)। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सतुआभार में मंगलवार की रात एक खाली घर को चोरों ने खंगाल लिया और लाखों रुपये के आभूषण चोरी कर लिये। इस मामले में उक्त गांव निवासिनी कलावती देवी पत्नी रामअधार ने स्थानीय थाने में तहरीर देकर कहा कि हम पूरे परिवार के साथ गोरखपुर में रहती हूँ। हमारे पैतृक गांव सतुआभार में घर के बारामदे की दीवार तोड़कर अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर बख्शे का ताला तोड़कर 1 सोने की चेन, 2 जिउतिया, एक जोड़ी झुमका, 2 मंगलसूत्र, 2 पाजेब, 2 सोने की अंगूठी आदि लाखों का सामान चुरा ले गये। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ धारा 457, 380 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

मारपीट मुकदमा दर्ज

रुद्रपुर। स्थानीय उपनगर की [illegible]आ चौराहे पर दुकान पर चढ़कर किए गए मारपीट के मामले में रुद्रपुर पुलिस ने वादी संगम मोदनवाल पुत्र किशोरी मोदनवाल निवासी भटोला वार्ड की तहरीर पर राजन चौधरी पुत्र राम प्रताप पवन पुत्र रामकेवल वह 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

राष्ट्रीय सहारा दि. 12/11/22

पत्रकार कल करेंगे थाने का घेराव

बरहज (एसएनबी)। पत्रकार डा. जनार्दन कुशवाहा पर प्राणघातक हमला कर उनकी जान लेने की कोशिश करने वाले आधा दर्जन से अधिक अज्ञात नकाबपोश बदमाशों को गिरफ्तार करने, घटना की लीपापोती करने, हल्की धाराओं में मुकद्मा दर्ज करने, बरहज थाना में तैनात गांव के हलका सिपाही को निलम्बित करने और पूरे मामले में मईल पुलिस की लापरवाही आदि को लेकर आक्रोशित जनपद सहित अन्य जनपदों के पत्रकार आगामी 13 नवम्बर रविवार को 11 बजे से मईल थाना का घेराव करेंगे। पत्रकारों ने अपने आन्दोलन की सूचना बरहज के उपजिलाधिकारी के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक देवरिया को दे दी है। एसडीएम की अनुपस्थिति में तहसीलदार बरहज को ज्ञापन सौंपा गया। विदित हो कि 10 अक्टूबर को सायंकाल जनार्दन कुशवाहा मईल थाना क्षेत्र के तेलिया कला स्थित मेडिकल स्टोर से सलेमपुर आवास के लिए जा रहे थे कि बरेजी बरठा मार्ग पर अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट कर उन्हें लहुलुहान कर दिया था। पत्रकार श्री कुशवाहा ने अज्ञात बदमाशों के विरूद्ध थाने में तहरीर दिया था लेकिन ठोस कार्यवाही न होने से पत्रकार संघ मईल थाने का घेराव करने के लिए रणनीति बनायी है।

राष्ट्रीय सहारा दि. 12/11/22

पाक्सो एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं का अभियुक्त गिरफ्तार

सलेमपुर (देवरिया)। कोतवाली पुलिस ने पास्को एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में वांछित अभियुक्त अमित कुमार साहनी पुत्र कमलेश साहनी निवासी ग्राम अकोलही थाना जीरादेई जिला सिवान (बिहार) को बड़े ही नाटकीय ढंग से चनुकी पुल के पास से गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र कुमार सिंह अपने हमराही प्रीजेश कुमार एवं अभिषेक यादव के साथ मुखबीर की सूचना पर चनुकी पुल के पास से गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज था। जिसकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही थी।

पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट बलबा का केस

रुद्रपुर (एसएनबी)। स्थानीय कोतवाली के उपनगर भर टोला वार्ड निवासी संगम मोदनवाल पुत्र किशोर चंद्र मोदनवाल को कुछ मनबढ़ों ने पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट कर घायल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने संगम मोदनवाल के तहरीर पर रुद्रपुर भरटोला वार्ड निवासी राजन पुत्र रामप्रताप, पवन पुत्र रामकेवल सहित 3 नाम पता अज्ञात के खिलाफ धारा 147, 323, 504, 506 के तहत बलबा का मुकदमा दर्ज किया है।

हिन्दुस्तान दि. 12/11/22

छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने वाले को जेल

कार्रवाई

सलेमपुर, हिन्दुस्तान संवाद। एक युवक लार क्षेत्र की रहने वाली एक छात्रा के मोबाइल पर अश्लील फोटो तथा मैसेज भेज रहा था। कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को उसे चनुकी पुल के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

लार थाने के एक गांव की रहने वाली युवती भाटपाररानी के एक डिग्री कालेज की छात्रा है। कहीं से उसका मोबाइल नंबर अमित कुमार साहनी पुत्र कमलेश साहनी निवासी अकोली थाना जीरादेई जनपद सीवान बिहार के हाथ लग गया। छात्रा का आरोप है कि मोबाइल नंबर पर अमित आए दिन अश्लील मैसेज भेजता था। यही नहीं वह मोबाइल पर गलत स्टेटश लगाकर छात्रा को बदनाम करने की भी साजिश कर रहा था। मनबढ़ ने छात्रा को इसकी शिकायत कहीं करने पर स्कूल से उठा ले जाने तथा मारकर फेंक देने की धमकी देकर ब्लैक मेलिंग कर रहा था। तंग होकर छात्रा ने लार थाने में इसकी तहरीर दी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मामलें की जांच सलेमपुर के कोतवाल को सौंपी। शुक्रवार को प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह, कांस्टेबल प्रिजेश कुमार व अभिषेक यादव की टीम ने चनुकी पुल के समीप से उसे गिरफ्तार कर कर जेल भेज दिया।

कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में अमित कुमार साहनी।

दै० जागरण दि. 12/11/22

छात्रा के मोबाइल पर अश्लील फोटो भेजने का आरोपित गिरफ्तार

जासं, सलेमपुर: छात्रा के मोबाइल पर अश्लील फोटो व मैसेज भेजने के आरोपित को कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। लार थानाक्षेत्र की रहने वाली युवती भाटपाररानी के एक डिग्री कालेज की छात्रा है। छात्रा का मोबाइल नंबर सिवान जनपद के जीरादेई थानाक्षेत्र के अकोली गांव निवासी अमित कुमार साहनी पुत्र कमलेश साहनी के हाथ लग गया। छात्रा का आरोप है कि मोबाइल नंबर पर अमित आए दिन अश्लील मैसेज भेजता था। वह मोबाइल पर गलत स्टेटस लगाकर छात्रा को बदनाम कर रहा था। मनबढ ने शिकायत करने पर अगवाकर हत्या करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था। छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रभारी निरीक्षक सलेमपुर को सौंपी। कोतवाली पुलिस आरोपित की तलाश कर रही थी। शुक्रवार को प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने मुखबिर की सूचना पर चनुकी पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया।

सात लोगों के विरुद्ध बलवा का मुकदमा दर्ज

दैनिक जागरण, 17/11/22

रुद्रपुर : खजुहा चौराहे पर दो दिन पूर्व हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने सात लोगों के विरुद्ध बलवा समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अब आरोपितों की गिरफ्तारी को पुलिस दबिश दे रही है। रुद्रपुर उपनगर के भरटोला वार्ड के रहने वाले संगम मोदनवाल की खजुहा चौराहे पर दुकान है। पुरानी रंजिश में उनके बेटे शिवांश की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। इस मामले में पुलिस ने राजन चौधरी, पवन चौधरी व पांच अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। (जासं)

चार के विरुद्ध मुकदमा

रामपुर कारखाना : करनपुर पचफेड़ा में मछली निकालने को लेकर दो पक्षों में बुधवार का हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने पांच चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। गांव की रीता राव ने आरोप लगाया है कि ममतुल्लाह समेत चार लोगों ने उनके साथ मारपीट की। (जासं)

अमर उजाला दि. 12/11/22

बरहज थाने पहुंचा एसओजी, महिला सहित आधा दर्जन से की पूछताछ

संवाद न्यूज एजेंसी

बरहज। स्थानीय थाना परिसर में शुक्रवार को पूरे दिन एसओजी जमा रहा। विलासपुर गांव निवासी नीरज तिवारी प्रकरण में एसओजी ने महिला सहित करीब आधा दर्जन लोगों से पूछताछ की। बरहज और भलुअनी थाने की पुलिस के लिए नीरज की लोकेशन न मिलनी चुनौती बना हुई है।

एसओजी प्रभारी अनिल यादव के नेतृत्व में टीम बरहज पहुंची। जहां दोनों थानों की पुलिस से मंत्रणा करने के साथ गांव के ग्राम प्रधान सहित आधा दर्जन महिला-पुरुषों से गहनता से पूछताछ की। पुलिस के अनुसार टीम ने अलग-अलग और संयुक्त रूप से मामले की पड़ताल की।

पुलिस के लिए चुनौती बनी नीरज की लोकेशन

एसओजी घटना के दिन की लोकेशन ट्रेस करने के साथ सीडीआर भी खंगाल रही है। भलुअनी थाना क्षेत्र के विलासपुर गांव निवासी धीरज तिवारी पुत्र कामेश्वर ने एसपी संकल्प शर्मा को तहरीर देकर चचेरे भाई नीरज तिवारी के रहस्यमय तरीके से गायब होने पर गुहार लगाई है।

उसका कहना है कि नीरज दो नवंबर की रात साथी के साथ प्रेमिका से मिलने बरहज थाना क्षेत्र के एक गांव गया था। जहां से वह गायब हो गया है। उसने प्रेमिका के घर वालों पर हत्या कर शव ठिकाने लगाने का आरोप लगाया है। जबकि बरहज में नीरज के विरुद्ध युवती को बहला-फुसला कर भगा ले जाने, जबकि भलुअनी थाने में उसकी गुमशुदगी का केस दर्ज है। थानाध्यक्ष जयशंकर मिश्र ने बताया कि नीरज प्रकरण की जांच की जा रही है।

अमर उजाला दि. 12/11/22

अश्लील फोटो भेजने वाले को जेल

छात्रा को मैसेज भेज कर रहा था ब्लैकमेल, 16 जुलाई को केस दर्ज कर जांच कर रही थी पुलिस

संवाद न्यूज एजेंसी

सलेमपुर। भाटपाररानी क्षेत्र के कॉलेज की एक छात्रा के मोबाइल पर अश्लील फोटो व मैसेज डालने के मामले में कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को मनचले को गिरफ्तार कर लिया है।

लार थाने में 16 जुलाई को उसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। इसके बाद से वह फरार चल रहा था।

गिरफ्तार अमित।

लार थाना क्षेत्र की एक युवती एक डिग्री कॉलेज की छात्रा है। उसने 16 जुलाई को लार थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि सिवान जनपद के जीरादेई थाना थाना क्षेत्र के अकोली गांव का अमित कुमार साहनी कहीं से उसका मोबाइल नंबर पा गया। उसके बाद उसके मोबाइल पर आए दिन अश्लील मैसेज भेजता था। यही नहीं वह मोबाइल पर गलत स्टेटस लगाकर छात्रा को बदनाम करने की भी साजिश कर रहा था।

मनचला छात्रा को इसकी शिकायत कहीं करने पर स्कूल से उठा ले जाने तथा मारकर फेंक देने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच सलेमपुर कोतवाल को सौंपी। कोतवाली पुलिस युवक की तलाश में जुट गई। शुक्रवार को कोतवाल जितेंद्र सिंह ने आरोपी को चनुकी पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया।

अमर उजाला दि. 12/11/22

दिल्ली में मिली भैंसही से अपहृत युवती की लोकेशन

संवाद न्यूज एजेंसी

रुद्रपुर। छह दिन पहले रुद्रपुर-निबही मार्ग पर अपनी भाभी के साथ टहलने निकली युवती के कथित अपहरण का मामला अभी सुलझ नहीं रहा है। पुलिस पांच दिन से युवती को तलाश रही है। पुलिस की एक टीम उसका पता लगाने दिल्ली गई है। मोबाइल सर्विलांस के जरिए दिल्ली में उसकी लोकेशम मिली थी। तीन दिन से पुलिस युवती को ढूंढने के लिए दिल्ली में खाक छान रही है।

सात नवंबर की रात करीब आठ बजे रुद्रपुर-निबही मार्ग पर गाजीपुर भैंसही गांव के सामने एक युवती अपनी भाभी के साथ भोजन करने के बाद टहल रही थी। रुद्रपुर की तरफ से एक चार पहिया वाहन में कुछ युवक जा रहे थे। उन्होंने गाड़ी रोक कर युवती को जबरन गाड़ी में बैठा लिया। गाड़ी में सवार युवक उसे लेकर गोरखपुर की तरफ भाग निकले।

परिजनों ने अज्ञात अपहरण कर्ताओं के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार युवती अपने जाने-पहचाने मित्र के साथ गई है। मोबाइल सर्विलांस से उसे गाड़ी में बैठाकर ले जाने वालों से बातचीत के आधार पर पुलिस प्रेम संबंधों का कयास लगा रही है। प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र मिश्र ने बताया कि पुलिस मामले के खुलासे के करीब है।

KUSHINAGAR POLICE

सराहनीय कार्य दिनांकः- 12-11-2022

महिला का अश्लील वीडियो वायरल मामले में दो पर केस

नेबुआ-नौरंगिया: क्षेत्र निवासी महिला से जुड़ी अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने के मामले में नेबुआ-नौरंगिया पुलिस ने शुक्रवार को आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया। आरोपितों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। बता दें कि एक पखवारा पूर्व महिला से जुड़ी फोटो व वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई थी। जानकारी होने पर थाने पहुंच महिला ने गांव की ही एक महिला व पुरुष पर जानबूझकर वीडियो बनाने तथा ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। जांच के पश्चात पुलिस ने आरोपित जगदीश व रिंकू के विरुद्ध आइटी एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया। एसएचओ अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों आरोपितों की तलाश चल रही है। शीघ्र ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। (जासं)

पिकअप पलटी, सात गोवंश बरामद

जासं, सिसवा महंथ : कसया–देवरिया मार्ग पर बेलवा–बटेसरा मोड़ के समीप शुक्रवार की सुबह नौ बजे गोवंशीय पशुओं से भरी पिकअप सड़क किनारे पलट गई। वाहन छोड़कर तस्कर व चालक फरार हो गए। सुबह गांव के लोग निकले तो पलटी

चोरी की बाइक के साथ एक गिरफ्तार

जासं, खड्डा : थाना क्षेत्र के गांव मिश्रौली में शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान थाना क्षेत्र के गांव मिश्रौली निवासी राधेश्याम के रूप में हुई है। प्रभारी थानाध्यक्ष वीरेंद्र यादव का कहना है कि बाइक के साथ पकड़े गए आरोपित को जेल भेजा गया है।

हत्या में फरार चल रहे तीन आरोपित गिरफ्तार

जासं,जटहाबाजार : गोरखपुर जिले की पीपीगंज पुलिस ने जटहाबाजार पुलिस के सहयोग से शुक्रवार को बाजूपट्टी गांव में छापेमारी कर हत्या के मामले में नामजद तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया। पुलिस कागजी कोरम पूरा कर तीनों को कोर्ट ले गई, वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोपहर एक बजे पीपीगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर चौबे टीम के साथ जटहाबाजार थाने पहुंचे। संयुक्त टीम ने बाजूपट्टी में छापेमारी कर मुनरिका यादव, गुड्डू उर्फ जितेंद्र यादव व विनोद यादव निवासी बाजूपट्टी थाना जटहबाजार को गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक जटहबाजार महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि तीनों हत्या के मामले में नामजद आरोपित हैं। तीनों पर गांव के ही एक व्यक्ति की हत्या का आरोप है। वादी की मांग पर एडीजी जोन द्वारा जटहाबाजार थाने में दर्ज मुकदमे की विवेचना पीपीगंज पुलिस कर रही। पीपीगंज पुलिस ने आज छापेमारी कर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

सामूहिक दुष्कर्म की घटना का मुख्य आरोपित गिरफ्तार

जासं, बरवापट्टी : क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को अगवा कर पांच दिनों तक कमरे में बंद कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बरवापट्टी पुलिस ने शुक्रवार को मुख्य आरोपित नीतीश यादव निवासी मुसहरी थाना भितहा जिला पश्चिमी चंपारण बिहार को भितहा बाजार से गिरफ्तार कर लिया। फरार दूसरे आरोपित की तलाश में टीम दबिश दे रही है। उधर पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है।

बता दें कि बीते दो नवंबर की रात 14 वर्षीय किशोरी शौच के लिए घर से बाहर खेत की ओर गई थी। इस दौरान बगल के गांव के नीतीश और जितेंद्र किशोरी के मुंह और आंख पर कपड़ा बांधकर बाइक से अज्ञात जगह ले गए। वहां से बिहार के भितहां थाना के रंगललही गांव के एक घर में बंद कर पांच दिनों तक दुष्कर्म किए। सात नवंबर की शाम करीब तीन बजे किशोरी की हालत बिगड़ने पर आरोपितों ने उसके घर फोन कर रंगललही बुलाया। रात नौ बजे पिता के पहुंचने पर आरोपित पीड़िता को उनके पास छोड़ कर फरार हो गए। गुरुवार रात को पिता ने तहरीर देकर मामले की जानकारी दी। आरोपित नीतीश यादव व जितेंद्र निवासी मुसहरी थाना भितहा जिला पश्चिमी चंपारण बिहार के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस दोनों की तलाश में जुट गई। एएसपी रितेश कुमार सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपित को सुबह बिहार के भितहा बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया है।

तमकुहीराज सर्किल के विवेचकों की समीक्षा करते एसपी धवल जायसवाल बाएं● जागरण

लापरवाह विवेचकों को फटकार, सुधार के निर्देश

- दुष्कर्म के मामलों में एक माह के भीतर प्रस्तुत करें आरोप-पत्र
- मामलों में मजबूत पैरवी कर जल्द से जल्द दिलाई जाएगी सजा

जासं, पडरौना: आपराधिक मामलों की विवेचना में की जा रही लापरवाही पर एसपी धवल जायसवाल ने मातहतों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। शुक्रवार को तमकुहीराज सर्किल के विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए एसपी ने दो टूक कहा कि विवेचना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विवेचक स्थिति में सुधार लाएं। यौन अपराध तथा दुष्कर्म जैसे मामलों की विवेचना में तत्परता बरतते हुए एक माह के भीतर आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किए जाएं।

अपने कार्यालय में विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए एसपी ने कहा कि विवेचना को लेकर विवेचक गंभीरता बरतें। लापरवाह विवेचकों को उन्होंने अंतिम मौका देते हुए कहा कि लंबित विवेचनाओं को शीघ्र निस्तारित करें। ताकि कोर्ट में मजबूत पैरवी कर अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। सेवरही, तरयासुजान में लंबित विवेचनाओं की स्थिति पर असंतोष जताते हुए एसपी ने संबंधित विवेचकों को कड़ी फटकार लगाई और सुधार के निर्देश दिए।

कहे कि हत्या, लूट आदि जैसे गंभीर अपराध की घटनाओं में विवेचना की सुस्त स्थिति बेहद गंभीर मामला है। एसपी ने विवेचकों को निर्देश दिया कि दुष्कर्म, यौन अपराध के मामलों में बिना देर लगाए साक्ष्य व तथ्य संकलित कर विवेचना हर हाल में एक माह के भीतर पूरी कर ली जाए।

घर में घुसा युवक पुलिस के हवाले

जासं, सुकरौली बाजार : हाटा कोतवाली के एक गांव में गुरुवार की रात घर में घुसे युवक को युवती द्वारा शोर मचाने की आवाज सुन ग्रामीणों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस युवक को अपने हिरासत में लेकर मामलें की जांच करने में जुटी हुई है।

हाटा कोतवाली के एक गांव निवासी युवती ने आरोप लगाया है कि गुरुवार की रात को वह अपने घर पर अकेली थी। उसकी मां बड़ी बहन के साथ रिश्तेदारी में गयी हुई थी। गांव का ही एक युवक रात को घर में अकेला देख दुष्कर्म की नियत से घर में घुस गया, तभी उसकी नींद खुल गई। युवक को घर में देख शोर मचाने लगी। शोर सुन कर पहुंचे आसपास के लोगों ने रात को ही युवक को पकड़ कर पुलिस को सौंपा।

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हाटा निर्भय कुमार सिंह ने कहा कि युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दोषी पाए जाने पर युवक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज

पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार

संवाद न्यूज एजेंसी

बरवापट्टी क्षेत्र की घटना, महिला सहित तीन आरोपी किए गए हैं नामजद

बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस

दुदही/बरवापट्टी। बरवापट्टी थाना क्षेत्र में रहने वाली किशोरी का अपहरण करके उसे बंधक बनाकर पांच दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है।

किशोरी के पिता की तहरीर पर महिला और दो युवकों पर अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की तलाश की जा रही है। एएसपी रितेश कुमार सिंह ने बताया कि जल्द ही अन्य आरोपी भी पकड़ लिए जाएंगे।

बरवापट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी के पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी। पुलिस को बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी दो नवंबर की रात घर से थोड़ी दूरी पर नित्यक्रिया के लिए गई थी। तभी बाइक सवार दो युवकों ने उसका अपहरण कर लिया और बिहार के रंगललही गांव में ले जाकर उसे बंधक बना लिया। दोनों ने उसके साथ पांच दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया। किशोरी की हालत बिगड़ने पर युवकों ने कॉल करके उन्हें बुलाया। उनकी बेटी को छोड़कर भाग गए। अब उपचार कराने के बाद बेटी की हालत सुधरी है।

किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पीड़िता के बगल में रहने वाली एक महिला और उसकी रिश्तेदारी के दो युवकों नीतीश व जितेंद्र पर मुकदमा दर्ज किया है। शुक्रवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी नीतीश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जितेंद्र और उनकी सहयोगी महिला की तलाश जारी है।

इस संबंध में एएसपी रितेश कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। मुख्य आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। अन्य की तलाश जारी है।

बड़वा छापर के विवाद में 18 पर मुकदमा दर्ज

संवाद न्यूज एजेंसी

पिपरा बाजार। नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के बड़वा छापर में कार सवार पर हमला करने और विद्यार्थियों की पिटाई करने के मामले में अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसमें पीड़ित पक्षों की तहरीर पर 18 लोगों पर बलवा, मारपीट, तोड़फोड़ सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करके पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। एहतियात के तौर पर पुलिस बल को तैनात किया गया है।

बृहस्पतिवार की सुबह क्षेत्र के एक गांव की कक्षा 11 में पढ़ने वाली छात्रा कुछ अन्य विद्यार्थियों के साथ विद्यालय जा रही थी। बड़वा छपरा टोला में मनबढ़ युवकों ने उनको रास्ते में रोककर अपशब्द कहते हुए पीट दिया। इस दौरान वहां पहुंचीं सातवीं कक्षा की छात्रा के साथ भी आरोपियों ने बदसलूकी की। आसपास के लोगों के विरोध करने पर आरोपी चले गए। मामला दो समुदायों के बीच होने से तनातनी बढ़ गई। इसकी सूचना पाकर पुलिस गांव में पहुंची।

इसके पूर्व बुधवार की रात कुछ आरोपियों ने कार सवार व बलकुड़िया निवासी राकेश उर्फ पप्पू जायसवाल पर हमला किया था। पिटाई से बचने के लिए वह गांव के रमेश यादव के घर में घुस गए थे। उनके बीच बचाव करने से आरोपी काफी नाराज थे। आरोप है कि इसी वजह से दूसरे दिन बृहस्पतिवार को आरोपियों ने विद्यार्थियों पर हमला किया। दोनों घटनाओं में पीड़ित रमेश यादव और कार सवार राकेश उर्फ पप्पू ने तहरीर दी। 18 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

चोरी की बाइक के साथ एक गिरफ्तार

खड्डा। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देश पर जिले में वाहन चोरों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में खड्डा पुलिस ने शुक्रवार को बंजारीपट्टी में चोरी की बाइक के साथ एक वाहन चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। खड्डा के कार्यवाहक एसओ विरेन्द्र कुमार यादव एसआई उपेन्द्र कुमार सिसवा मार्ग की ओर गस्त पर निकले थे। इसी दौरान मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक वाहन चोर चोरी की बाइक लेकर बंजारीपट्टी के रास्ते कहीं बेचने ले जा रहा है।

पुलिस कर्मियों से लगवायी दौड़

पडरौना। रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर पुलिस कर्मियों ने परेड किया। इस दौरान यूपी 112 के वाहनों का निरीक्षण भी किया गया। शुक्रवार की परेड रिजर्व पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड पर कराते हुये परेड की सलामी ली गई। सलामी ग्रहण करने के उपरांत पुलिस बल की दौड़ कराई गई एवं टोली वार परेड ड्रिल का निरीक्षण करते हुए परेड ड्रिल के संबंध में जानकारी दी गयी।

गैंगरेप में दो युवक व महिला पर केस दर्ज

- एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश में छापेमारी
- बरवा पट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी अगवा कर गैंगरेप का मामला

बरवापट्टी, हिन्दुस्तान संवाद। बरवापट्टी थाना क्षेत्र एक गांव की रहने वाली किशोरी को अगवा कर बंधक बनाकर 5 दिनों तक दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने दो युवकों एवं उनका सहयोग करने वाली महिला के खिलाफ गैंग रेप व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जबकि अन्य दो आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है।

पीड़िता के पिता ने तहरीर दी है कि 2 नवंबर की रात्रि उसकी नाबालिक बेटी घर से थोड़ी दूरी पर नित्य क्रिया के लिये गई थी। तभी बाइक पर सवार दो युवकों ने उसके मुंह और आंख पर कपड़ा बांध कर अपहरण कर लिया। उसे धमकाकर किसी अज्ञात जगह पर ले गए। फिर वहां से उसे बिहार के रंगललही गांव के पास एक घर में ले जा कर बंधक बना लिया। किशोरी को कमरे में बंधक बनाकर दोनों युवकों ने उसके साथ 5 दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया। 7 नवंबर को दोपहर किशोरी की हालत बिगड़ने पर दोनों युवकों ने पिता को फोन करके बुलाया। रात में 9 बजे बेटी की तलाश करते हुए पिता रंगललही गांव पहुंचा। दोनों युवक किशोरी को उसके पास छोड़ के भाग गए। बेटी की हालत देखकर घबराए पिता ने पहले उसका उपचार कराया, उसके बाद लौट कर घटना की सूचना 10 नवंबर को पुलिस को दी। किशोरी की पिता का आरोप है कि अपहरण के दोनों आरोपी उसके बगलगीर महिला के रिश्तेदार हैं। महिला की मदद से ही दोनों युवकों ने किशोरी के अपहरण करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी नीतीश पुत्र रामचंद्र उम्र 25 वर्ष निवासी मुसहरी थाना भीतहा जिला पश्चिमी चंपारण, जितेंद्र निवासी रंगललही धनहा जिला पश्चिमी चंपारण बिहार तथा सहयोगी महिला के खिलाफ अगवा कर बंधक बनाने, सामूहिक दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक आरोपी नीतीश को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया एवं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। इस संबंध में सीओ तमकुहीराज जितेंद्र सिंह कालरा ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

तुर्कपट्टी। स्थानीय पुलिस ने शुक्रवार की दोपहर को मुखबिर खास की सूचना पर कसया-फाजिलनगर मार्ग पर धुनवलिया मोड़ पर चौराहे के पास से एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसओ तुर्कपट्टी आशुतोष सिंह ने बताया कि मुकामी थाना क्षेत्र के धुनवलिया निवासी छोटेलाल पुत्र रामआधार के खिलाफ धारा 323, 504, 506, 352, 325 व 307 के तहत केस पंजीकृत था। शुक्रवार को सूचना मिली कि छोटेलाल धुनवलिया चौराहे से कुछ आगे मोड़ पर खड़ा है और कहीं भागने के फिराक में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया।

सात नामजद समेत एक दर्जन मनबढ़ों पर दर्ज हुआ मुकदमा

शिकंजा

विशुनपुरा, हिन्दुस्तान संवाद। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव के बड़वाछापर में गुरुवार को मनबढ़ों ने गोल बंद होकर स्कूल जा रही छात्रा को पीटने के बाद कपड़ा फाड़ दिया था। एक दिन पूर्व बुधवार रात को एक कार सवार को भी रोककर पीटा था। इन दोनों मामलों में पुलिस ने सात नामजद सहित एक दर्जन मनबढ़ों पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होंगे।

बुधवार की देर शाम को बलकुड़िया निवासी राकेश उर्फ पप्पू जायसवाल घर से अपनी कार से पडरौना जा रहे थे। इसी बीच बड़वाछापर में करीब एक दर्जन की संख्या में मौजूद मनबढ़ों ने उनकी कार को रोक लिया। पप्पू के रुकते ही मनबढ़ ने गाली देते हुए उन्हें मरना पीटना शुरू कर दिये। वह किसी तरह कार से निकले और भागकर तेजवलिया निवासी रमेश के घर पहुंचे और छुपकर जान बचाई। इसके बाद रमेश व कार चालक बलकुड़िया निवासी पप्पू ने नेबुआ नौरंगिया पुलिस को अलग अलग तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।

दुराचार की नीयत से घर में घुसे युवक को पकड़ पुलिस सौंपा

सुकरौली, हिसं। हाटा कोतवाली के एक गांव में गुरूवार की रात दुराचार की नियत से घर में घुसे युवक को युवती द्वारा शोर मचाने पर ग्रामीणों ने पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुटी हुई है।

हाटा कोतवाली के एक गांव निवासी युवती ने आरोप लगाया कि गुरूवार की रात को वह अपने घर पर अकेली थी। उसकी विधवा मां बड़ी बहन के साथ रिश्तेदारी में गयी हुई थी। गांव का ही एक युवक रात को घर में अकेला जानकर दुराचार की नियत से घर में घुसा तब तक युवती की नींद खुल गई। शोर सुन पहुंचे आस पास के ग्रामीणों ने रात को ही युवक को पकड़ कर 112 नंबर पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर हाटा कोतवाली ले गई। इस संबंध में कोतवाल निर्भय कुमार सिंह ने पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है।

MAHARAJ GANJ POLICE

सराहनीय कार्य दिनांकः- 12-11-2022

हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा

फैसला

महराजगंज, वरिष्ठ संवाददाता। जिले के घुघली चीनी मिल मेन रोड मेन रोड पर वर्ष 2000 में हुई एक हत्या के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। हत्या के इस मामले में आरोपी नरेन्द्र कुमार जायसवाल व अलीजान को दोषी पाए जाने पर अपर जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ की अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार वादी मुकदमा सुरेन्द्र जायसवाल ने घुघली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका छोटा भाई नरेन्द्र जायसवाल अपने साले सुरजीत के साथ कापी-किताब की दुकान करता है। 29 फरवरी-2000 को साढे नौ बजे सुबह उसने देखा कि नरेन्द्र कुमार जायसवाल अपने नौकर अलीजान से बैट मांगकर सुरजीत को मारने लगा। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस पर पुलिस ने हत्या सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया। वहीं नरेन्द्र जायसवाल की पत्नी मुन्नी देवी ने सुरजीत, सचिन व सुरेन्द्र के खिलाफ मारपीट करने का मामला दर्ज कराया। क्रास केस के इस मामले में विवेचक ने अलग-अलग आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विचारण के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र पांडेय व अजीत सिंह ने दर्जनों गवाहों को पेश कर सजा की मांग की। न्यायालय द्वारा क्रास केस के इस प्राचीनतम मामले में नरेन्द्र कुमार जायसवाल व अली जान को अग्रेसर पाए जाने पर उक्त सजा सुनाई। साथ ही क्रास केस के आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।

epaper
हिन्दुस्तान

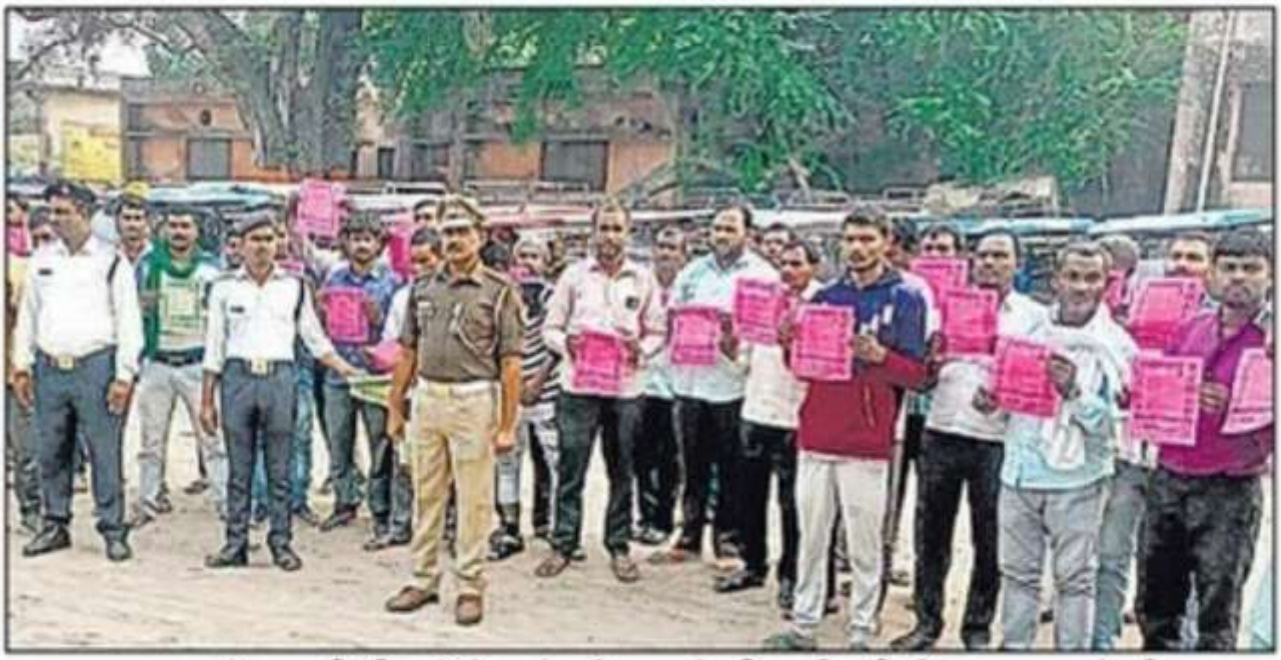

जवाहर लाल नेहरू पीजी कॉलेज के मैदान में टीआई हरी सिंह यादव ने ई-रिक्शा चालकों को जागरूक किया। ● हिन्दुस्तान

ई-रिक्शा चालकों को जागरूक किया गया

महराजगंज। सड़क सुरक्षा व यातायात जागरूकता माह में शुक्रवार को टीआई हरी सिंह यादव ने नगर क्षेत्र के ई-रिक्शा चालकों को जवाहर लाल नेहरू पीजी कॉलेज में एकत्र कर उनको ट्रैफिक नियम की जानकारी दी। वाहन चलाते समय यातायात के सभी मापदंड का पालन करने का संकल्प दिया। इस दौरान चाहन चालकों में पम्पलेट भी वितरित किया गया।

पुलिस ने हटवाया नहर पटरी से अतिक्रमण

बहुआर। निचलौल थाना क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा के झुलनीपुर में राहगीरों को गाड़ी लेकर आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। झुलनीपुर के दुकानदारों द्वारा नहर के पटरियो पर अपना अपना दुकान बना कर कब्जा कर लिया गया था। दुकानदारों द्वारा लोगों को बैठने के लिए कुर्सी, तख्त आदि सामग्री सड़क पर ही लगा दिया गया था। इसको देखते हुए बहुआर चौकी प्रभारी विवेक कुमार सिंह ने शुक्रवार को अवैध कब्जे को हटाया।

करंट की चपेट से फोरमैन झुलसा

कोल्हुई। क्षेत्र के कम्हरिया बुजुर्ग गांव के बगल खड़ी कंबाइन हार्वेस्टर मशीन के छत पर चढ़कर सफाई कर रहा फोरमैन ऊपर से गुजर रहे हाई वोल्टेज करंट के चपेट में आ गया। इससे से गंभीर रूप से झुलस गया। कंबाइन मशीन मालिक फोनमैन को इलाज के लिए निजी साधन से गोरखपुर ले गया। शाहजहापुर निवासी लल्लन बेग क्षेत्र के कम्बाइन मशीन में फोरमैन के रूप में काम कर रहा था। ऊपर से गुजर रहे तार के सम्पर्क में आते ही झुलस गया।

नेपाल में चुनाव को लेकर पुलिस ने बढ़ाई गश्त

खनुआ, हिन्दुस्तान संवाद। नेपाल में चुनाव के मद्देनजर एसएसबी व नेपाल सशस्त्र बल के जवानों ने संयुक्त गश्त शुरू की है। खनुआ बीओपी के जवानों और नेपाल सशस्त्र प्रहरी के जवानों ने शुक्रवार को पिलर संख्या 522 से 523 तक एक संयुक्त गश्त अभियान चलाया। इस दौरान पगडंडियों के रास्ते भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आने-जाने वाले लोगों की सघन तलाशी लेते हुए उनसे पूछताछ भी की गई।

नेपाल में हो रहे चुनाव में पगडंडी सीमा के रास्ते आपराधिक, असामाजिक तत्वों की संभावित घुसपैठ व राष्ट्र विरोधी तत्वों को रोकने को लेकर यह सरगर्मी बढ़ी है। तस्करी पर भी नकेल कसी जा रही है। पेट्रोलिंग का नेतृत्व एसएसबी खनुआ बीओपी निरीक्षक अमोल सिंह चौहान ने की।

> नेपाल में चुनाव के मद्देनजर भारत-नेपाल की पगडंडी सीमा पर सघन तलाशी व पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। आपराधिक तत्वों व तस्करों पर नकेल कसी जा रही है।
>
> **वरुण कुमार**, कार्यवाहक सेनानायक, 66वीं वाहिनी एसएसबी

उनके साथ करीब एक दर्जन जवानों ने अत्याधुनिक हथियारों से लैस भारत नेपाल सीमा के पगडंडी पर पैदल गश्त किया।

गश्त में एसएसबी खनुआ के एएसआई मोहन सिंह, रुबेल बोरा, राजेंद्र चौधरी, अजय यादव और नेपाल की ओर से एसआई डोल बहादुर थापा अपनी टीम के साथ शामिल रहे।

आठ बोरी खाद के साथ तीन नेपाली गिरफ्तार

खनुआ, हिसं। सोनौली कोतवाली की खनुआ पुलिस ने गश्त के दौरान तीन नेपाली युवकों को नेपाल सीमा में जाते समय गिरफ्तार कर लिया। अग्रिम कार्रवाई के लिए नौतनवां कस्टम को सौंप दी है।

खनुआ चौकी प्रभारी रामरतन यादव ने बताया कि हरदीडाली गांव के दक्षिण टोले के पास भारत नेपाल सीमा पर पुलिस टीम गश्त कर रही थी। तभी भारतीय सीमा से चार युवक साइकिल पर खाद लेकर नेपाल जाने के फिराक में दिखे। पुलिस टीम को देख वह भागने लगे। पुलिस कर्मियों ने दौड़ा कर चार में से तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से आठ बोरी खाद यूरिया खाद और चार साइकिल बरामद हुई। तीनों आरोपित युवक नेपाल के निवासी हैं। पूछताछ में अपना नाम अजीज, राम अवध पाल और दीपेंद्र निवासी खजुरिया थाना मझगांवा जिला रूपन्देही नेपाल बताया।

छह बोरी खाद बरामद

बरगदवा। पुलिस ने गस्त के दौरान शुक्रवार को बॉर्डर क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते समय ग्राम पिपरा के कब्रिस्तान के पास तीन व्यक्तिओं के पास से 4 बोरी यूरिया, 2 बोरी डीएपी खाद बरामद किया है। पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम रंजू, अग्रहरि व रघुनाथ निवासी बरगदवा व सदाशिव कुशवाहा निवासी पिपरा थाना बरगदवा बताया।

जवाहर लाल नेहरू पीजी कॉलेज के मैदान में टीआई हरी सिंह यादव ने ई-रिक्शा चालकों को जागरूक किया। • हिन्दुस्तान

ई-रिक्शा चालकों को जागरूक किया गया

महराजगंज। सड़क सुरक्षा व यातायात जागरूकता माह में शुक्रवार को टीआई हरी सिंह यादव ने नगर क्षेत्र के ई-रिक्शा चालकों को जवाहर लाल नेहरू पीजी कॉलेज में एकत्र कर उनको ट्रैफिक नियम की जानकारी दी। वाहन चलाते समय यातायात के सभी मापदंड का पालन करने का संकल्प दिया। इस दौरान चाहन चालकों में पम्पलेट भी वितरित किया गया।

यात्रियों से बदसलूकी में दो का चालान हुआ

सोनौली। सोनौली रोडवेज बस स्टेशन के पास पुलिस ने यात्रियों के साथ बदसलूकी कर जबरिया प्राइवेट बस में बैठने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए राजकुमार व देवेन्द्र निवासी नौतनवा का पुलिस ने चालान कर दिया। कोतवाल महेन्द्र यादव ने बताया कि ये दोनों यात्रियों के साथ बदसलूकी कर जबरिया प्राइवेट वाहन में बिठाने का प्रयास कर रहे थे। दोनों का चालान कर दिया गया है।

पुलिस ने उर्वरक तस्करों को पकड़ा

जासं, नौतनवा : सोनौली कोतवाली क्षेत्र की खनुआ चौकी पुलिस ने शुक्रवार को उर्वरक तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया। खनुआ, कैथवलिया उर्फ बरगदही के मुर्गा फार्म रास्ता, हरदी डाली के मुर्दहिया व त्रिलोकपुर घाट पर उर्वरक तस्करी होती मिली। पुलिस ने तस्करों को दौड़ा लिया। काफी तस्कर उर्वरक समेत नेपाल भाग निकलने में सफल रहे। बरामदगी दक्षिण डाली के नोमेंस लैंड पिलर संख्या 525 के पास हुई, जहां एसएसबी जवान गश्त पर नहीं थे।

22 वर्ष पुराने हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास

जासं, महराजगंज: 22 वर्ष पूर्व घुघली नगर पंचायत में हुई सुरजीत जायसवाल की हत्या के मामले में जिला न्यायालय ने फैसला सुनाया है। इस मामले में नरेंद्र जायसवाल और उसके सहयोगी अली जान को दोषसिद्ध करते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा के साथ एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न जमा करने पर कारावास की सजा बढ़ाई जाएगी।

पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार घुघली नगर पंचायत के मिल गेट के करीब 29 फरवरी 2000 को सूरजीत नामक युवक की बैट से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सुरेंद्र जायसवाल ने घुघली थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं इसी मामले में आरोपित नरेंद्र जायसवाल की पत्नी मुन्नी देवी ने भी मृतक पक्ष के तीन लोगों के विरुद्ध मारपीट की धारा में क्रास केस दर्ज कराया था। हत्या के मुकदमे में जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की था। न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांडेय और अजीत सिंह ने दर्जनों गवाहों की गवाही के बाद दोषियों के विरुद्ध सजा की मांग की थी। जिसपर अपर जिला जज अनिल कुमार सेठ ने दोषी नरेंद्र जायसवाल और अलीजान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं मारपीट के मुकदमे में न्यायालय ने मृतक के स्वजन को दोषमुक्त कर दिया है।

एक नजर में

मारपीट के मामले में तीन आरोपितों पर मुकदमा

नौतनवा : बैरवा जंगल गांव में बीते आठ नवंबर को हुए भूमि विवाद में पुलिस ने शुक्रवार को तीन आरोपितों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। थानाध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि संगीता की तहरीर पर आरोपित सुनील, गूरज व शिवमूरत पर यह कार्रवाई की गई है। (जासं)

लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने का मुकदमा

नौतनवा : उस्मान नगर वार्ड निवासी संजय कुमार गौतम बीते गुरुवार को डा. राममनोहर लोहिया पीजी कालेज गेट के सामने बाइक की ठोकर से घायल हो गए थे। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपित पवन राजभर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। (जासं)

चालकों को जागरूक करती यातायात पुलिस ● जागरण

दुर्घटना से देर भली, चालक भी समझें अपनी जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, महराजगंज: सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात पुलिस की ओर से शुक्रवार को जवाहर लाल नेहरू स्मारक पीजी कालेज ग्राउंड पर वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही वाहन चलाने में जरूरी सतर्कता बरतने और सड़क पर चलते समय अनिवार्य सुरक्षा उपायों के पालन पर जोर दिया गया। यातायात प्रभारी हरी सिंह यादव ने कहा कि सवारियों को समय से पहुंचाने में कई चालक जल्दबाजी करते हैं और अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं, जबकि समय के साथ-साथ सवारी और स्वयं की सुरक्षा भी प्राथमिकता होनी चाहिए।

यातायात प्रभारी ने कहा कि जरा सी लापरवाही से हादसे होते हैं। देखने में आया है कि चालक सड़क पर वाहन चलाते समय पूरी सतर्कता नहीं बरतते हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। आए दिन हादसों में किसी न किसी की जान जाती है।

सड़क दुर्घटनाएं रुके और यात्रा सुरक्षित हो, इसके लिए चालकों को वाहन चलाते समय नियमों का पालन करने के साथ ही पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए। सड़क संकेतों का पालन कर सफर को सुरक्षित बनाया जा सकता है। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय स्टंट न करें और तेज गति से वाहन कतई न चलाएं।

वाहनों को सड़क पर खड़ा न कर निर्धारित स्थान पर ही खड़ा करें। दोपहिया, टेंपो, ट्रैक्टर, कार, बस व ट्रक के चालकों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। यातायात प्रभारी, रमेश कुमार, अभिजीत, चंद्रेश , अनिल कुमार गुप्ता, राकेश, चंदन, रवि व पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

महिला जज ने अधिवक्ता पर दर्ज कराया मुकदमा

जासं, महराजगंज: दीवानी न्यायालय में तैनात एक महिला जज ने अधिवक्ता के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने व लज्जा भंग का मुकदमा दर्ज कराया है। महिला जज की तहरीर पर मुकदमा सदर कोतवाली थाना में दर्ज हुआ है।

तहरीर के अनुसार, अधिवक्ता अभय प्रताप करीब एक वर्ष से जज के फेसबुक व वाट्सएप पर आपत्तिजनक मैसेज करता था। उसने पहली बार फेसबुक पर 29 सितंबर 2021 को मैसेज किया था। इसके बाद से लगातार मैसेज भेजने लगा। बाद में सरकारी नंबर के वाट्सएप पर भी मैसेज भेजना शुरू कर दिया। नौ नवंबर 2022 को भोर में मैसेज आने के बाद जज का धैर्य टूट गया। उन्होंने इसकी शिकायत सदर कोतवाली पुलिस से की। शुक्रवार की देर रात कोतवाली पुलिस ने आरोपित अधिवक्ता के विरुद्ध छेड़छाड़ और आइटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। सदर कोतवाल रवि राय ने बताया कि आरोपित अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

रंगरूटों के साथ दौड़ लगाकर फिटनेस परखी

- पुलिसकर्मियों से शस्त्र संचालन व शास्त्र का कराया अभ्यास
- पुलिस लाइन में एसपी ने किया परेड का निरीक्षण, ली सलामी

जागरण संवाददाता, महराजगंज: पुलिस लाइन में शुक्रवार को आयोजित साप्ताहिक परेड में पुलिस अधीक्षक ने रंगरुटों के साथ दौड़ लगाकर उनकी फिटनेस परखी। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों व रंगरूटों को उत्तम स्वास्थ्य के टिप्स भी दिए। लाइन स्थित परेड ग्राउंड पर होने वाली साप्ताहिक परेड में पुलिस अधीक्षक डा. कौस्तुभ ने परेड की सलामी भी ली।

पुलिस अधीक्षक ने थाना पुलिस, फील्ड यूनिट का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया और देखरेख व कुशल संचालन का निर्देश दिया। परेड के दौरान पुलिसकर्मियों से शस्त्र संचालन व शास्त्र का अभ्यास कराया।

आरटीसी के रंगरूटों के साथ दौड़ लगाकर उन्हें स्वस्थ रहने के टिप्स दिए। साथ ही अधिकारियों व कर्मचारियों को कर्तव्यों का सही प्रकार से निर्वहन करने व जनता के साथ सद्व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। क्वाटर गार्ड के निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने गार्ड की सलामी ली और शस्त्रागार, भोजनालय, बैरक, पुलिस लाइन परिसर का भी निरीक्षण किया। मेस निरीक्षण के दौरान सफाई के साथ ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके बाद आदेश कक्ष में विभिन्न रजिस्टरों का अवलोकन किया। प्रतिसार निरीक्षक मनोज कुमार, यातायात शाखा प्रभारी व पुलिस लाइंस अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

पुलिस लाइन का निरीक्षण करते एसपी डा. कौस्तुभ ● जागरण

दहेज हत्या के मामले में पति समेत तीन गिरफ्तार

बृजमनगंज। बृजमनगंज पुलिस ने नवविवहिता की मौत के मामले में पति समेत तीन आरोपितों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बृजमनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम दुबौलिया टोला कोइरीपुर में नवविवाहिता सुमित्रा (20) की गत बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।

मृतका के पिता की तहरीर पर स्थानीय पुलिस ने मृतका के पति बृजेश, सास जसमता, ससुर श्यामदेव, जेठ पप्पू एवं जेठानी उर्मिला सहित कुल पांच लोगों के विरुद्ध दहेज हत्या का केस दर्ज किया था। थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि मृतका के पिता की तहरीर पर केस दर्ज करते हुए पति समेत तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। संवाद

हत्या में दो दोषियों को आजीवन कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी

महराजगंज। घुघली चीनी मिल मुख्य मार्ग पर वर्ष 2000 में हुई हत्या के मामले में नरेंद्र कुमार जायसवाल एवं अली जान को दोष सिद्ध करार देते हुए अपर जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने आजीवन कारावास के साथ ही एक लाख रुपये दंड लगाया है।

सुरेंद्र जायसवाल ने थाना घुघली में रिपोर्ट दर्ज कराई। कहा कि छोटा भाई नरेंद्र जायसवाल अपने साले सुरजीत के साथ कापी-किताब की दुकान करता है। 29 फरवरी 2000 को सुबह करीब 9:30 बजे उसने देखा कि नरेंद्र कुमार जायसवाल नौकर अली जान से बैट मांगकर सुरजीत को मारने लगा। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

मुकदमा पंजीकृत हुआ। नरेश जायसवाल की पत्नी मुन्नी देवी ने सुरजीत, सचिन एवं सुरेंद्र के खिलाफ मार-पीट करने का मामला दर्ज कराया गया। विवेचक ने अलग-अलग आरोप-पत्र न्यायालय से प्रेषित किया । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांडेय एवं अजीत सिंह ने गवाही को पेश कर सजा की मांग की।

स्वस्थ रहने के लिए पुलिसकर्मियों की दौड़ लगवाई

महराजगंज। पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ ने शुक्रवार को पुलिस लाइंस परिसर में परेड का निरीक्षण। पुलिस कर्मियों शारीरिक व मानसिक रुप से स्वस्थ रहने के लिए दौड़ लगवाई।

परेड का निरीक्षण करने के बाद क्वाटर गार्द, परिवहन शाखा, यूपी 112, निर्माणाधीन बिल्डिंग, मेस व आवासीय बैरक की साफ सफाई व स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी ली। प्रतिसार निरीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। संवाद

BASTI POLICE

सराहनीय कार्य दिनांकः- 12-11-2022

अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चला अभियान

बस्ती (एसएनबी)। डीआईजी बस्ती परिक्षेत्र द्वारा परिक्षेत्रीय जनपदों में अवैध शराब, मादक पदार्थों के परिवहन, विक्रय आदि पर रोकथाम हेतु अभियान चलाया गया। अभियान केदौरान जनपद बस्ती द्वारा 102 स्थानों पर दबिश दिया गया जिसमें 38 अभियोग पंजीकृत कर 38 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 4357 लीटर अवैध शराब बरामी की गयी।

जनपद संतकबीरनगर द्वारा कुल 112 स्थानों पर दबिश दिया गया जिसमें 21 अभियोग पंजीकृत कर 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें 157 लीटर अवैध शराब व 400 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया । वही जनपद सिद्धार्थनगर में 124 स्थानों पर दबिश दिया गया जिसमें 24 अभियोग पंजीकृत कर 24 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें 191 लीटर अवैध शराब बरामद की की गयी ।

सिंचाई संघ का धरना प्रदर्शन 14 को

बस्ती । सिंचाई संघ के कार्यसमिति की बैठक संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में नलकूप कालोनी स्थित संघ भवन पर शुक्रवार कोआयोजित हुई। जिसमें आगामी 14 नवम्बर को एक दिवसीय धरने की तैयारी के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। बैठक को सम्बोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि संघ द्वारा विगत एक वर्ष से कर्मचारी समस्याओं पर पत्र लिखा जा रहा है। परन्तु किसी भी पत्र का जवाव अधिशासी अभियन्ता द्वारा नही दिया गया। इसके पूर्व अन्तिम नोटिस भी संघ द्वारा अधिशासी अभियन्ता को दिया गया था जिसकी सूचना जिला प्रशासन को भी है। जिससे बाध्य होकर संघ आगामी 14 नवम्बर को अधिशासी अभियन्ता कार्यालय के सम्मुख सभी पदाधिकारी धरना प्रदर्शन करेगें। बैठक में संरक्ष राम स्वारथ चौधरी, मंत्री राजेश कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष परशुराम त्रिपाठी, संतोष कुमार, राम सवेरे, उदय नरायन सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

स्टाम्प के सत्यापन में खामियां, केस दर्ज करने का आदेश

बस्ती । जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने स्टाम्प के सत्यापन के लिए अमहट में सड़क किनारे, गढागौतम तथा बभनान में पुरा गव में 3 भूखण्ड रजिस्ट्री में लगाये गये स्टाम्प का सत्यापन किया। इसमें से 2 स्थानों में स्टाम्प की कमी पायी गयी। इस संबंध में उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया है। निरीक्षण के दौरान एआईजी स्टाम्प एमके शुक्ला भी उपस्थित रहें।

सेल्फी लेते समय युवक की ट्रेन से कट कर मौत

गौर। गोन्डा जनपद के छपिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलहरी गांव निवासी 17 वर्षीय प्रशांत कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार गुरुवार की शाम स्थानीय थाना क्षेत्र के सिटकोहर गांव में एक वरक्षा के कार्यक्रम में गये थे। गांव के निकट रेलवे ट्रैक पर सेल्फी ले रहा था। उसी दौरान ट्रैक पर ट्रेन आ गईऔर वह उसकी चपेट में आ गया जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत होगयीय। आनन-फानन में परिजन शव को घर उठा लाए और शुक्रवार की सुबह उसका दाह संस्कार कर दिया।

आपसी रंजिश में मारपीट, एफआईआर

बस्ती (एसएनबी)। आपसी रंजिश की बात को लेकर व्यक्ति को आरोपियों ने गालियां देते हुए मारापीटा तथा जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है।

मुण्डेरवा थानाक्षेत्र के रामपुर गांव में आपसी रंजिश में कुछ लोगो ने सन्तराम को गालियां दे रहे थे। जिसका विरोध करने पर लोगो ने सन्तराम को मारापीटा तथा जान से मारने की धमकी दी। मामले में पीड़ित सन्तराम पुत्र रामअधारे ग्राम रामपुर थाना मुण्डेरवा की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी निवास पुत्र गोबरी, रामलाल पुत्र रामअवध, जितेन्द्र पुत्र रामलाल, संतरी पुत्री रामलाल निवासीगण रामपुर थाना मुण्डेरवा के विरूद्ध धारा 323, 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

जानलेवा हमले का आरोपी गिरफ्तार

परशुरामपुर। थाने के उपनिरीक्षक व्यास मुनि एवं हेडकांसटेबल हेमन्त सिंह ने जानलेवा हमले के मामले में वांछित चल रहे जगदीशपुर निवासी शुभम गौतम पुत्र पवन गौतम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हे न्यायालय के समक्ष पेश किया।

उलाहना देने गयी युवती की पिटाई , मुकदमा दर्ज

गौर। स्थानीय थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती का फोटो अपने साथ खींचकर वायरल कर दिया।ढाई वर्ष बाद जब युवती की शादी तय हुई तो गांव के ही एक युवक ने वही फोटो होने वाले रिस्तेदारो को दिखा दिया।बाद में जब युवती युवक के घर उलाहना लेकर गई तो वह उसको मारपीट कर घायल कर दियास पुलिस ने युवती के मां के तहरीर पर पुलिस ने गाँव के ही अक्षय कुमार के विरुद्ध मारपीट की धारा में मुकदमा दर्ज किया है ।

पुलिस ने किया परेड

छावनी। परेड कमांडर उपनिरीक्षक वीरेन्द्र यादव के नेतृत्व में थाने के महिला एवं पुरुष कर्मचारियों का परेड कराया गया। थानाध्यक्ष दुर्गेश कुमार पाण्डेय ने परेड का निरीक्षण किया। थानाध्यक्ष ने पीटी ड्रेस में परेड कर रहे कर्मचारियों का दाढी, बाल, जूते आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान साइड जम्प, फारवर्ड जम्प, सूर्य नमस्कार, अनुलोम-विलोम,

प्रणयाम सहित विभिन्न एक्सरसाइज भी कराया गया। थानाध्यक्ष ने कर्मचारियों को नियमित दिनचर्या और अनुशासन का पालन करने तथा बडो और अधिकारियों का सम्मान करते हुए समय का पाबंद रहने की अपील किया।

दो वांरटियों को गिरफ्तार पुलिस ने भेजा जेल

बस्ती (एसएनबी)। लालगंज थाने में धारा 504, 506, 427, 352 आईपीसी से संबंधित आरोपी सरवन पुत्र तरई उपाध्याय निवासी कोहरसा थाना लालगंज के विरूद्ध न्यायालय द्वारा वारन्ट निर्गत किया गया था। जिसके आदेश का अनुपालन करते हुए लालगंज पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर थाने से औपचारिकताओं को पूर्ण कराते हुए न्यायालय भेज दिया है।

इसी प्रकार से थाना कोतवाली पुलिस द्वारा वारंटी अशोक कुमार पुत्र बेचारी निवासी बभनगांवा रौता चौराहा थाना कोतवाली को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा है। प्रभरी चौकी रौता ने बताया कि आरोपी अशोक कुमार के विरूद्ध कोतवाली में वर्ष 2006 में धारा 279, 304ए, 427 आईपीसी के तहत मुकदम पंजीकृत किया गया था। जिसके सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया जिसके अनुपालन में आरोपी की गिरफ्तारी करते हुए जेल भेजा गया।

ऑनलाइन फ्राड कर ठगे रुपये, केस

बस्ती । जालसाज ने आनलाइन फरार करते हुए एक व्यक्ति से लाखो रूपये की ठगी कर लिया। इस सम्बन्ध में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मुण्डेरवा थानाक्षेत्र के आदर्श सोनी पुत्र सुभाष चन्द्र सोनी ने पुलिस में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसके मोबाइल नम्बर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर व्हाट्सअप पर ऑनलाइन राशि मांगा। जिसके द्वारा एक लाख इक्कीस हजार रूपये तीन किश्तो में दे दिया। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 66 (डी) आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

नाबालिग से छेड़छाड़, मुकदमा

बस्ती । घर से मड़ई पर जा रही नाबालिक से आरोपी युवक ने हाथ पकड़कर छेड़खानी किया। जिसका विरोध करने पर छोड़कर भाग गया। इस सम्बन्ध में पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया है। मुण्डेरवा पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए एक महिला ने बताया कि उसकी 13 वर्षीय बेटी घर से मड़ई पर जा रही थी। इसी बीच गांव के सर्वेश ने रास्ते में लड़की को रोक लिया और हाथ पकड़कर छेड़खानी करने लगा। लड़की द्वारा शोर मचाने पर आरोपी छोड़कर भाग निकला। मामले में पुलिस ने आरोपी सर्वेश पुत्र सतीराम निवासी ग्राम कुसम्हा थाना मुण्डेरवा के विरूद्ध धारा 354क आईपीसी एवं 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

रंजिश की को लेकर दो पक्ष में मारपीट, क्रास केस

बस्ती । पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गये। जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। इस सम्बन्ध में दोनो पक्ष थाने पहुचा जहां पर पुलिस ने क्रास केस दर्ज करने की कार्यवाही किया है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के बड़ेरिया खुर्द गांव में पुरानी रंजिश की बात को लेकर कुछ लोगो ने एक राय होकर मोतीलाल को गालियां देने लगे। जिसका विरोध करने पर उन्हे मारा पीटा तथा जान सेमारनेकी धमकी दी। मामलेमेंपीड़ित मोतीलाल पुत्र मेहीलाल निवासी बड़ेरिया खुर्द थाना पुरानी बस्ती की तहरीर पर पुलिस नेआरोपी हजारी प्रसाद, गोरे पुत्रगण सूरत, विशाल, चन्नू पुत्रगण गोरे, निवासीगण बड़ेरिया खुर्द थाना पुरानी बस्ती के विरूद्ध धारा 323, 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं दूसरे पक्ष के हजारी प्रसाद ने भी तहरीर देकर पुलिस को बताया कि पुरानी रंजिश में आरोपियों ने मिलकर गालियां देते हुए मारा पीटा तथा जान से मारने की धमकी दी। मामले में पीड़ित मोती पुत्र मेहीलाल, दुर्गा पुत्र मेहीलाल, हरिश्चन्द्र पुत्र मेहीलाल, निवासीगण बड़ेरिया खुर्द थाना पुरानी बस्ती के विरूद्ध धारा 323, 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

रास्ते में रोक कर युवक की पिटाई, केस

बस्ती । कुछ लोगों ने एक युवक को रास्ते में रोककर उसका नाम पूछा और गालियां देते हुए मारा पीटा तथा जान सेमारनेकी धमकी दी। इस सम्बन्ध में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली क्षेत्र के ब्लाक रोड रौता चौराहा स्थित कुछ लोगो ने राजश्री श्रीवास्तव को रास्ते में रोककर उनका नाम पूछा। इस दौरान दोनो लोगो में कुछ विवाद हो गया और अभियुक्तों ने राजश्री को गालियां देते हुए मारा पीटा तथा जान से मारने की धमकी दी। मामले में पीड़ित राजश्री श्रीवास्तव पुत्र अरविन्द कुमार श्रीवास्तव निवासी न्यू कालोनी बैरिहवा थाना कोतवाली की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शक्ती यादव पुत्र सूरज याज यादव, सीवा सोनकर पुत्र रामू सोनकर, समीर खान तथा दो से तीन अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध धारा 147, 323, 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

दहेज के लिए विवाहिता को पीटा, केस

बस्ती । दहेज की मांग को लेकर ससुरालियों ने विवाहिता को गालियां देते हुए मारा पीटा तथा जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है। वाल्टरगंज थानाक्षेत्र के भितरी पचानू गांव निवासी राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रघुवीर प्रसाद ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसने अपनी पुत्री की शादी गौर थाना क्षेत्र के पड़री गांव में किया था। शादी के बाद से ही बेटी को ससुरालियों द्वारा दहेज की मांग को लेकर तरह तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा। मांग पूरी न होने पर उसे मारा पीटा गया तथा जान से मारने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने आरोपी शीला देवी पत्नी प्रेम कुमार, प्रेम कुमार पुत्र झिनकान निवासी पडरी थाना गौर के विरूद्ध धारा 498ए, 323, 504, 506 आईपीसी एवं 3/4 डीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

कूड़ा फेकने को लेकर मारपीट, मुकदमा दर्ज

बस्ती । कूड़ा फेकने के विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को गालियां देते हुए मारा पीटा तथा जान से मारने की धमकी दी। मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है। मुण्डेरवा थानाक्षेत्र के मेहड़ा गांव में कूड़ा करकट फेकने की बात को लेकर एक व्यक्ति को कुछ लोगो ने गालियां दी। जिसका विरोध करने पर उसे मारा पीटा गया तथा जान से मारने की धमकी दी। मामले में पीड़ित भुट्टू पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी मेहड़ा थाना मुण्डेरवा की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शेखावत अली पुत्र मुरादअली, दरकशा पुत्री शेखावत अली, मेराज अहमद पुत्र शेखावत अली, सरतुलनिशा पत्नी किसमत अली निवासीगण मेहड़ा थाना मुण्डेरवा के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

एसपी ने किया परेड का निरीक्षण

संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक सोनम कुमार ने शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड का निरीक्षणक किया। परेड की सलामी ली। पुलिस कर्मियों के टर्नआउट को चेक करने के पश्चात कर्मियों को शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए दौड़ लगवाई गई व टोलीवार ड्रिल कराई गई।

अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार

संतकबीरनगर। अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्रवाई में 15 शीशी अवैध देशी शराब बरामद की गई और एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कोतवाली पुलिस ने 15 शीशी अवैध देशी शराब के साथ विकास निवासी खवईपार थाना कोतवाली खलीलाबाद को गिरफ्तार किया है।

गोकशी कांड से आरोप मुक्त होंगे नामजद एसआई

हि फॉलोअप

बस्ती, निज संवाददाता। सोनहा थाने के गदापुर चक में हुई गोकशी मामले में नामजद सब इंस्पेक्टर आरोप मुक्त होंगे। एसआई अनिल यादव के साथ 18 नामजद व 20 अज्ञात के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज है। प्रारंभिक जांच में एसआई की संलिप्तता नहीं मिली है। केस से उनका नाम निकाला जाएगा। सभी वास्तविक आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। यह जानकारी एसपी आशीष श्रीवास्तव ने दी।

एसपी श्री श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की प्रारंभिक जांच में एसआई अनिल यादव की गोकशी कराने के मामले में संलिप्तता नहीं मिली है, इसलिए मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। उनका नाम भी केस से निकाला जाएगा। किसी भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो गी। एसआई निलंबन मामले में विभागीय स्तर पर जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई होगी।

एसपी ने बताया कि गांव में तैनात अतिरिक्त फोर्स हटा ली गई है। गांव में शांति का माहौल है। लोगों से अपील है कि वह अपने-अपने घर को लौटें। इस

- **प्रारंभिक जांच में नहीं मिली संलिप्तता, केस से निकलेगा नाम**
- **गिरफ्तार किए गए जाएंगे वास्तविक आरोपी : एसपी**

मामले में जो भी वास्तव में शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसी निर्दोष को डरने की जरूरत नहीं है।

गांव के बाहर गोवंशीय पशु मृत मिलने पर हुआ था तनाव: सोनहा थाने के गदापुर चक गांव में आठ नवंबर को एक गोवंशीय मृत मिला था। एसआई अनिल यादव ने प्रधान की मौजूदगी में उसे दफन करा दिया था। बाद में हिन्दू संगठनों के विरोध पर पशु को निकाल कर पोस्टमार्टम किया गया। जिसमें गोकशी की पुष्टि हुई। इसको लेकर क्षेत्र में तनाव फैल गया। डीआईजी, एसपी, एएसपी, सीओ ने घटना स्थल का दौरा किया। बड़ी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस ने 18 नामजद व 20 अज्ञात पर केस दर्ज किया। 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गांव के अधिकांश पुरुषों ने गांव छोड़ दिया। जनप्रतिनिधियों व पुलिस ने प्रयास किया तो लोगों की घर वापसी होने लगी है।

अमानत में खयानत का आरोपी गया जेल

बभनान। गौर थाना क्षेत्र के आमा टिनीच गांव निवासी दिनेश ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया था कि गांव निवासी अमित अग्रहरि ने तीन दिसम्बर 2021 को जमीन बैनामा कराने के नाम पर पांच लाख रुपए का चेक कैश करा लिया। बाद में जमीन का बैनामा करने में आनाकानी करने लगा। पैसा वापस मांगने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने लगा। चौकी प्रभारी टिनिच ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

सड़क को दुकान न बनाएं दुकानदार, होगी कार्रवाई

शुक्रवार को शहर में साफ-सफाई अभियान का जायजा लेतीं डीएम प्रियंका निरंजन साथ में निकाय के नोडल अधिकारी केवी लाल श्रीवास्तव। • हिन्दुस्तान

बस्ती, निज संवाददाता। डीएम प्रियंका निरंजन तथा शासन द्वारा नामित स्थानीय निकाय के नोडल/ अनुसचिव केवी लाल श्रीवास्तव ने शुक्रवार की सुबह कम्पनीबाग, गांधीनगर, जीआईसी, महिला अस्पताल रोडवेज चौराहे तक साफ-सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया।

डीएम ने कहा कि गाँधीनगर में दुकानों के बाहर सामान न लगाया जाए। गाड़ियां बेतरतीब न खड़ी की जाए। साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। समय से कूड़ा उठान सुनिश्चित किया जाए। मुआयने के दौरान दुकान का सामान बाहर सड़क पर शोरुम की तरह सजाए हुए देख डीएम ने कहा कि सड़क पर सामान लगाये जाने के कारण दिन में आवागमन में दिक्कत होती है। सभी दुकानदारों को चाहिए कि वह दुकान के अन्दर सामान रखकर ब्रिकी करें। इसका अनुपालन कराने के लिए उन्होने ईओ नपा को निर्देशित किया कि शहर का मुख्यमार्ग होने के कारण इस पर आवागमन अधिक रहता है, ऐसे में बेतरतीब होर्डिंग न लगायी जाए। नगर पालिका से अनुमति लेकर ही होर्डिंग स्थापित कराई जाए। नालियों की नियमित सफाई कराई जाए।

पॉक्सो मामलों में दो माह के भीतर होगी कार्रवाई

निर्देश

- मुख्य सचिव बोले, पॉक्सो मामलों की हर माह समीक्षा
- महिलाओं से जुड़े मामलों की जल्द तफ्तीश हो

लखनऊ, विशेष संवाददाता। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा है कि महिला एवं बालिका से जुड़े अपराध के मामलों में जल्द से जल्द तफ्तीश पूरी कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोप पत्र भेजा जाए।

उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट मामलों में दो माह के भीतर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मामलों में जल्द कार्यवाही होने से अपराध में कमी आएगी और पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों की वह स्वयं हर महीने समीक्षा करेंगे। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को पॉक्सो, महिला उत्पीड़न, सीसीटीएनएस और आईटी सिस्टम के कार्यों की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि यूपीकॉप ऐप द्वारा जनता को नागरिक केन्द्रित सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसका प्रचार प्रसार कराया जाए। बैठक में बताया गया कि इनवेस्टीगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फार सेक्सुअल ऑफिन्स के अनुसार आईपीसी-376 और पाक्सो एक्ट की एफआईआर में दो महीने से अधिक समय से जांच चल रही है।

गैंगस्टर एक्ट के दो मामलों में दो को सजा

जागरण संवाददाता, बस्ती : विशेष सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट पीएन त्रिपाठी ने गैंगस्टर के दो अलग-अलग मामलों में दो लोगों को दोषी ठहराया है। एक मामले के आरोपित को तीन वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

विशेष शासकीय अधिवक्ता राम प्रकाश दुबे ने अदालत में कहा कि तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली प्रभात यश कुमार ने 13 नवंबर 2019 को गब्बू और इसराइल निवासी माली टोला कोतवाली बस्ती के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। तत्कालीन थानाध्यक्ष कलवारी सूर्य प्रसाद गौतम ने 21 फरवरी 2006 को महेश व संदीप नायक निवासी गण पिछौरा थाना कलवारी एवं राम लौट पर गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया। महेश उर्फ मकालू के मामले में 27 जून 2022 को ही फैसला हो चुका है। राम लौट को न्यायालय ने दो वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

वांछित आरोपितों की हुई गिरफ्तारी

बस्ती: चौकी प्रभारी टिनिच रामभवन प्रजापति ने थाना गौर पर दर्ज धोखाधड़ी, रकम हड़पने व जानमाल की धमकी देने के मुकदमे में वांछित अमित अग्रहरी को निवासी आमा टिनिच को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय रवाना किया गया। इसी क्रम में परशुरामपुर पुलिस ने थाने पर दर्ज जानलेवा हमले, मारपीट के मुकदमे में वांछित शुभम गौतम को शुक्रवार के दिन गिरफ्तार कर लिया। (जासं)

अनधिकृत रूप से संचालित दो बसें सीज

बस्ती : शुक्रवार को अनधिकृत रूप से संचालित की जा रही दो बसों को एआरटीओ प्रवर्तन पंकज सिंह ने हाईवे से पकड़कर उन्हें सीज कर दिया। इनमें एक बस पर लगभग चार लाख रुपये का टैक्स वर्ष 2020 से बकाया था।उसका फिटनेस भी 2020 से नहीं था। वहीं दूसरी बस पर 2021 से टैक्स नहीं जमा है। यह परमिट का उल्लंघन कर संचालित की जा रही थी।इसके संचालक ने 1,92,000 रुपये टैक्स आफिस में जमा कर दिया। एआरटीओ ने आरआइ को इस बस की फिटनेस जांचने का निर्देश दिया है। दोनों में बिहार की सवारियां बैठी थीं। उनको सकुशल उनके गंतव्य तक रोडवेज बस से रवाना किया गया। जांच के दौरान यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। (जासं)

अब तक 26.70 लाख रुपये शमन शुल्क की वसूली

जागरण संवाददाता, बस्ती : यातायात माह नवम्बर-2022 के दौरान जनपद के विभिन्न स्कूलों, कालेजों में यातायात पुलिस व स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न आयोजनों

के माध्यम से लोगों को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

जागरूकता के साथ-साथ नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध यातायात पुलिसकर्मियों द्वारा कार्यवाही भी की जा रही है। पहली से 10 नवंबर तक 2739 वाहनों से 26,70,000 रुपये का शमन शुल्क वसूल किया गया है।

जिसमें बिना हेलमेट के 1174 दोपहिया वाहनों से 11,74,000 रुपये का सम्मन शुल्क शामिल है।

ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज

जासं, हर्रैया, बस्ती : हर्रैया कस्बे के फ्लाईओवर पर बुधवार की देररात एक ट्रक की ठोकर से एक स्कूटी सवार महिला की मौत के मामले में हर्रैया पुलिस ने मृतका के भाई बृजेश निषाद की तहरीर पर वाहन चालक नाम पता अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।गोरखपुर जनपद के मोहद्दीपुर निवासी 30 वर्षीय ललिता निषाद पुत्री रामभजन अपने भाई आकाश निषाद को स्कूटी पर बैठाकर लखनऊ से गोरखपुर अपने घर आ रही थी।

यमदूत बनकर छात्रों ने लोगों को किया जागरूक

दीनबंधु महाविद्यालय तेनुआ मे यातायात नियमों की जानकारी देते वाल्टरगंज थानाध्यक्ष योगेश कुमार सिंह जागरण

यातायात नियमो का पालन करने के लिए जागरूक करते यमदूत बने बच्चे जागरण

- जीजीआइसी व हंसराज लाल इंटर कालेज में जागरूकता कार्यक्रम
- यातायात नियमों को जानने के साथ उसका पालन करना भी जरूरी

जागरण संवाददाता, बस्ती : यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यातायात पुलिस जहां जागरूकता कार्यक्रम चला रही है, वहीं शुक्रवार को उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी कुछ छात्रों ने यमदूत के वेश में कंपनीबाग चौराहे पर पहुंचकर बिना हेलमेट के बाइक चला रहे लोगों को चेताया। कहा कि नियमों का पालन नहीं करने पर कभी भी हादसा हो सकता है और उनकी जान जा सकती है।

राजकीय कन्या इंटर कालेज बस्ती व हंसराज लाल इंटर कालेज गनेशपुर में यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर छात्र छात्राओं को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक किया गया।

पंफलेट व स्टीकर आदि वितरित कर यातायात नियमों की जानकारी दी गई। यातायात प्रभारी कामेश्वर सिंह ने कहा कि यातायात नियमों को लेकर गंभीर होने की जरूरत है। नियमों की जानकारी होने के बाद भी लोग इसका पालन नहीं करते हैं, ऐसे में हादसों की आशंका बनी रहती है। कहा कि यातायात नियमों को जानने के साथ ही उसका पालन करने की जरूरत है।

प्रभारी निरीक्षक महिला थाना भाग्यवती पांडेय ने छात्राओं से कहा कि वे अपने परिवार के लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें। पिता व भाई को बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करने को कहे। टीएसआइ प्रभुनाथ ने बात रखी। गौटवा प्रतिनिधि के अनुसार चंद्रावती देवी बालिका इंटर कालेज बेलाड़ी में यातायात माह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। थानाध्यक्ष नगर धर्मेंद्र कुमार तिवारी ने छात्र- छात्र को यातायात नियमों व स पर सुरक्षित आवागमन को ले जागरूक किया।

विद्यार्थियों को दी गई यातायात नियमों की जानकारी

जासं, रुधौली, बस्ती: यातायात माह के तहत शुक्रवार को दीनबंधु महाविद्याल तेनुआ में थानाध्यक्ष योगेश कुमार सिंह द्वारा महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। बाइक चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल किसी भी सूरत में न करें। गाड़ी चलाते समय हाथ के सिग्नल का भी उपयोग करें। उप प्रबंधक रवि शंकर चौधरी ने कहा कि यातायात नियमों का हम सभी को पालन करना चाहिए। जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। राकेश, संदीप त्रिपाठी, आदित्य सिंह, दिवाकर वर्मा, बृजेश, रामेश्वर, शील कन्नौजिया, सुनीता शुक्ला, प्रेमचंद्र चौधरी, अमित चौहान, विजय, साधना, रेनू, बसंती, रंजना, हर्षिता, सीमा, अंकिता मोनिका, पुष्पा, काजल आदि मौजूद रहीं

******

ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज

जासं, हर्रैया, बस्ती : हर्रैया कस्बे के फ्लाईओवर पर बुधवार की देररात एक ट्रक की ठोकर से एक स्कूटी सवार महिला की मौत के मामले में हर्रैया पुलिस ने मृतका के भाई बृजेश निषाद की तहरीर पर वाहन चालक नाम पता अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।गोरखपुर जनपद के मोहद्दीपुर निवासी 30 वर्षीय ललिता निषाद पुत्री रामभजन अपने भाई आकाश निषाद को स्कूटी पर बैठाकर लखनऊ से गोरखपुर अपने घर आ रही थी।

तीन वारंटी, एक वांछित गिरफ्तार

बस्ती। वारंटियों, वांछितों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में तीन वारंटी व एक वांछित गिरफ्तार किया गया। कोतवाली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के मामले में वारंटी अशोक कुमार हरिजन निवासी बभनगांवा रौता चौराहा थाना कोतवाली को शुक्रवार को गिरफ्तार किया।

थाना लालगंज पुलिस ने अपशब्द कहने, धमकी देने और सामान तोड़ने के मामले में वांछित चल रहे सरवन निवासी कोहरसा थाना लालगंज को गिरफ्तार किया।

उधर, परशुरामपुर पुलिस ने बलवा, हत्या का प्रयास, मारपीट, अपशब्द कहने, धमकी आदि मुकदमे में वांछित शुभम गौतम निवासी जगदीशपुर थाना परशुरामपुर को गिरफ्तार किया। गौर पुलिस ने धोखाधड़ी, अमानत में खयानत आदि के मुकदमे में वांछित अमित अग्रहरी निवासी आमा टीनिच थाना गौर को गिरफ्तार किया। संवाद

पांच लोगों पर शांतिभंग की आशंका में कार्रवाई

बनकटी। लालगंज पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न गांवों से पांच लोगों के खिलाफ शांति भंग की आशंका के तहत कार्रवाई की है। इनमें टेगरिया बाबू थाना कलवारी निवासी मोहन, सोहन व हरखौलीया उर्फ मटियरिया थाना लालगंज निवासी संदीप, अवधेश कुमार, रंगीलाल शामिल हैं। संवाद

आईटी एक्ट के तहत मुकदमा

बस्ती। कोतवाली पुलिस ने मोबाइल पर फोन करके 19 हजार 830 रुपये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लेने के एक मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस संबंध में कामिनी दूबे पत्नी मानवेंद्र पांडेय निवासी केहुनिया थाना भाटपार रानी जिला देवरिया हाल पता आवासीय भवन महिला थाना ने तहरीर दी है। संवाद

दूसरे को जमीन बेचने पर मुकदमा दर्ज

बस्ती। छावनी पुलिस ने बैनामाशुदा जमीन को फर्जी कागजात के सहारे दूसरे को बेच देने के मामले में तीन आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। इस संबंध में शान्ती गौतम पत्नी बजरंगी गौतम निवासी कनरोपुर थाना छावनी ने तहरीर दी। जिसमें रमेश, गनेश निवासी खम्हरिया थाना छावनी और रचना भारती पत्नी लालबहादुर निवासी सोनबरसा को नामजद किया गया है। संवाद

डीएम प्रियंका निरंजन ने स्टांप का किया सत्यापन। संवाद

दुकान से बाहर सामान न रखें व्यवसायी

जिलाधिकारी ने कंपनी बाग से रोडवेज तक का किया निरीक्षण

संवाद न्यूज एजेंसी

बस्ती। गांधी नगर सहित शहर के विभिन्न बाजारों में जाम व अतिक्रमण पर प्रशासनिक अमला सख्त हो गया है। इसके अलावा डेंगू व अन्य संचारी रोग को लेकर डीएम प्रियंका निरंजन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है।

शुक्रवार को डीएम ने शासन से नामित नोडल अधिकारी/अनुसचिव केवी लाल श्रीवास्तव ने कंपनी बाग से रोडवेज चौराहे तक सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। डीएम ने व्यापारियों से दुकान के बाहर सामान न रखने को कहा है।

सुबह करीब आठ बजे डीएम व नोडल अधिकारी कंपनीबाग, गॉधीनगर, जीआईसी, महिला अस्पताल रोडवेज चौराहा तक सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। डीएम ने निर्देश दिया है कि गॉधीनगर में दुकानों के बाहर सामान न लगाया जाए, गाड़ियां बेतरतीब न खड़ी की जाएं तथा सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। समय से कूड़ा उठान सुनिश्चित किया जाय।

कहा कि सड़क पर सामान लगाये जाने के कारण दिन में आवागमन में दिक्कत होती है।

दुकानदारों को चाहिए कि वे दुकान के अन्दर सामान रखकर ब्रिकी करें। इसका अनुपालन कराने के लिए उन्होने ईओ नगरपालिका को निर्देशित किया है।

अभियान में 83 आरोपी गिरफ्तार 4705 लीटर शराब बरामद

संवाद न्यूज एजेंसी

बस्ती। डीआईजी बस्ती आरके भारद्वाज के निर्देश पर बृहस्पतिवार को बस्ती, सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर जनपद में अवैध शराब के परिवहन, विक्रय आदि पर रोक के लिए अभियान चलाया गया। इसमें 83 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 4705 लीटर अवैध शराब बरामद की गई।

बस्ती जिले में 102 स्थानों पर दबिश दी गई। जिसमें 38 अभियोग पंजीकृत कर 38 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

डीआईजी के निर्देश पर हुई कार्रवाई

4357 लीटर अवैध शराब बरामदगी की गई। संतकबीरनगर जनपद में पुलिस ने 112 स्थानों पर दबिश दी। जिसमें 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 157 लीटर अवैध शराब व 400 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। सिद्धार्थनगर में 124 स्थानों पर दबिश दी गई। यहां 24 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 191 लीटर अवैध शराब बरामद की गई।

सात मामलों में 27 पर मुकदमा

कोतवाली, पुरानी बस्ती, परशुरामपुर, गौर, दुबौलिया, मुंडेरवा के मामले

संवाद न्यूज एजेंसी

बस्ती। अलग-अलग थानाक्षेत्र में मारपीट के सात मामलों में 27 आरोपियों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। ये मामले कोतवाली, पुरानी बस्ती, परशुरामपुर, गौर, दुबौलिया और मुंडेरवा थाना क्षेत्र के हैं।

कोतवाली क्षेत्र के ब्लॉक रोड पर बेवजह रोक कर अपशब्द कहने के विवाद में मारपीट का मामला सामने आया है। राजश्री श्रीवास्तव की तहरीर पर शक्ति यादव, सीवा सोनकर, समीर खान और दो-तीन अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुरानी बस्ती पुलिस ने बड़ेरिया खुर्द गांव में मारने-पीटने के मामले में मोतीलाल की तहरीर पर चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों में उसी गांव के हजारी प्रसाद, गोरे, विशाल व चन्नू शामिल हैं। इसी मामले में दूसरे पक्ष के हजारी प्रसाद ने तहरीर दी। जिसके आधार पर मोती, दुर्गा और हरिश्चन्द्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

परशुरामपुर पुलिस ने कोप गांव में खेत में खंभा गाड़ने के विवाद में मारपीट में संजू देवी पत्नी रघुनंदन की तहरीर पर लल्ला पांडेय, सहदेव व दिग्विजय के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। गौर थाने के बागडीह कुंवर गांव में मारपीट के मामले में पुलिस ने उर्मिला पत्नी सुदामा की तहरीर पर गांव के ही अक्षय कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

दुबौलिया थाने के देवारा गंगबरार गांव में मारने के लिए दौड़ाने व जान से मारने की धमकी देने के अलावा बोई हुई धान की फसल को जोतकर नुकसान कर देने के मामले में राम करन ने तहरीर दी। पुलिस ने गप्पू यादव, राजू पाण्डेय, विनोद यादव और अंगद निवासी अवसानपुर थाना इब्राहिमपुर जनपद आंबेडकर नगर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

मुंडेरवा पुलिस ने मेहड़ा गांव में मारपीट में भुट्टू की तहरीर पर गांव के शेखावत अली, दरकशा पुत्री शेखावत अली, मेराज अहमद, सरतुलनिशा पत्नी किसमत अली पर मुकदमा दर्ज किया है। थाने के रामपुर गांव में मारपीट के मामले में संतराम की तहरीर पर पुलिस ने श्री निवास, रामलाल, जितेन्द्र व संतरी पुत्री रामलाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

SIDDHARTH NAGAR POLICE

सराहनीय कार्य दिनांक:- 12-11-2022

हल्का लेखपाल पर धनउगाही का आरोप

बढनी (एसएनबी)। आपदा क्षतिपूर्ति की सूची में नाम दर्ज करने के लिए क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित किसानो से धन उगाही का मामला चर्चाओं में है।क्षेत्र के एक बाढ़ पीड़ित किसान ने डीएम को पत्र भेजकर कार्यवाही की मांग की है। विकास खंड बढनी के ग्राम सिसवा उर्फ शिवभारी निवासी मनोज कुमार पुत्र स्व अवधराम ने जिलाधिकारी (सिद्धार्थ नगर) को पत्र भेजकर अवगत कराया है कि उसने केसीसी खाते से पैसा निकालकर फसल बोया था।बाढ़ की वजह से उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाने पूंजी डूब गई है और वह परेशानहाल है। उसने पत्र में यह शिकायत भी की कि गत 09 नवंबर को गांव में बनाये गए बाढ़ आपदा (फसल क्षतिपूर्ति) सूची में हल्का लेखपाल ने उसका नाम फीड नही किया।उसने यह आरोप लगाया है कि लेखपाल द्वारा क्षतिपूर्ति दिलाने के नाम पर प्रति एकड़ पैसे की मांग की गई, तत्काल पैसा न दिये जा सकने के कारण उसके खतौनी संख्या 660 को फेंक दिया और अभद्रता के साथ भगा दिया।पीड़ित उक्त किसान ने डीएम से न्याय की गुहार लगाते हुए समुचित कार्यवाही की मांग की है।क्षेत्र में फिलहाल कईयों से धनउगाही की चर्चा जोरों पर है।

एसपी ने साप्ताहिक परेड का किया निरीक्षण

सिद्धार्थ नगर(एसएनबी)। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनन्द ने शुक्रवार को साप्ताहिक परेड एवं पुलिस लाइन्स परिसर का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया।

रिजर्व पुलिस लाइन्स के साप्ताहिक परेड में टोली वार परेड ड्रिल का निरीक्षण करते हुए परेड ड्रिल के संबंध में जानकारी दिया तथा यूपी-112 पीआरवी वाहनों, परिवहन शाखा, पुलिस कैन्टीन आदि का निरीक्षण कर संबंधित को मानक के अनुसार समस्त आवश्यक उपकरणों को सुव्यवस्थित रखरखाव हेतु निर्देश दिया।इस दौरान उन्होंने लाइन परिसर भी निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त समस्त थानों पर भी शुक्रवार की परेड करायी गयी । शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए समस्त पुलिस कर्मियों से दौड़ लगवायी गयी एवं अनुशासन व एक रूपता बनाए रखने के लिए ड्रिल भी करवाया गया।

निरीक्षण करते एसपी अमित कुमार आनंद। फोटो : एसएनबी

अपराध समीक्षा में एसपी ने मातहतों की लगाई क्लास

सदर थाना में शुक्रवार को मातहतों के साथ एसपी अमित कुमार आनंद ने क्राइम कंट्रोल मीटिंग की। • हिन्दुस्तान

क्राइम मीटिंग

सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। एसपी अमित कुमार आनंद ने गुरुवार रात को सदर थाना पर सदर सिर्कल के थानों की अपराध समीक्षा की। मीटिंग के दौरान अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया। महिला अपराध की स्थित में पीड़िता को न्याय दिलाने को कहा।

एसपी ने अपराध समीक्षा बैठक में आईटी अधिनियम के लंबित अभियोगों, महिला अपराध, धोखाधड़ी, पोर्टल पर लंबित अभियोगों के शीघ्र निस्तारण, न्यायालय में दाखिल किए जाने वाले शेष आरोप-पत्र, अंतिम रिपोर्ट, सार्वजनिक स्थानों पर अवैध मदिरा-पान करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही, पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही, वांछित आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, टाप-10 आरोपियों पर कार्यवाही, चिन्हित गैंग के पंजीकरण एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही के बारे में जानकारी ली। एसपी ने भूमि-विवाद प्रकरण थाना स्तर पर शिकायती प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण, गुमशुदा/लापता प्रकरण की समीक्षा व बरामदगी का निर्देश दिया।

सम्पत्ति संबंधी अपराधों में नामजद, प्रकाश में आए आरोपियों का सत्यापन कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने, आपरेशन क्लीन के तहत माल मुकदमाती एवं लावारिस वाहनों के निस्तारण का निर्देश दिया। छह माह से लंबित अभियोगों का शीघ्र निस्तारण करने को निर्देशित किया। उन्होंने थानेदारों से गश्त बढ़ाने व अपराधों पर नियंत्रण का निर्देश दिया।

उस्का बाजार थाना क्षेत्र के गोनहा गांव का मामला, केस दर्ज

लेखपाल को खाद्यान्न के साथ घेरा, निलंबित

कार्रवाई

- लेखपाल पिकअप पर रात के अंधेरे में लोड कर ले जा रहा था 70 बोरी खाद्यान्न
- लेखपाल सहित एक अन्य के खिलाफ भी पुलिस ने दर्ज किया है केस

सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। सदर तहसील के उस्का बाजार थाना क्षेत्र के गोनहा गांव में तैनात लेखपाल बाढ़ पीड़ितों में बंटने के लिए आए खाद्यान्न को एक पिकअप पर रात के अंधेरे में लोड कर ले जाने लगे तो ग्रामीणों ने उन्हें व एक अन्य सहयोगी को बंधक बना लिया।

सूचना पर प्रशासनिक अमला व पुलिस पहुंच गई और किसी प्रकार लेखपाल को बचाकर तहसील ले आई। पिकअप व उसपर लोड 70 बोरी खाद्यान्न को भी तहसील ले आई। राजस्व की तहरीर पर पुलिस ने लेखपाल व उसके एक सहयोगी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है।

राजस्व निरीक्षक नजमुल हसन द्वारा उस्का बाजार थाना में दी गई तहरीर में कहा गया है कि मधुकरपुर थाना सिद्धार्थनगर निवासी लेखपाल राम करन गुप्ता पुत्र सोहबत गुप्ता गांव के ही शिवकुमार गुप्ता पुत्र पटेश्वरी प्रसाद के साथ पिकअप से बुधवार रात साढ़े दस बजे गोनहा गांव पहुंचे। बाढ़ पीड़ितों में बंटने वाली राहत सामग्री कुसुम निवासी बंगरा मोड़ गांव केवटलिया के मकान में रखे थे। वह पिकअप पर 70 बोरी खाद्यान्न बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत परिवहन एवं बिक्री की नीयत से चोरी चुपके ले जा रहे थे।

ग्रामीणों को जानकारी हुई तो उन्होंने लेखपाल व उसके साथी को घेर लिया। ग्रामीणों के लेखपाल को घेरने की खबर पर अधिकारी मौके पर पहुंच गए और किसी प्रकार उसे बाहर निकाल कर तहसील ले आए। पिकअप व खाद्यान्न को भी तहसील परिसर में लाकर खड़ा कर दिया गया है। राजस्व निरीक्षक नजमुल हसन की तहरीर के आधार पर उस्का बाजार थाना की पुलिस ने गुरुवार देर शाम गए आरोपी लेखपाल राम करन गुप्ता व शिवकुमार गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

आरोपी लेखपाल को किया निलंबित: एसडीएम सदर प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि खाद्यान्न प्रकरण में आरोपी लेखपाल व उसके एक सहयोगी के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लेखपाल ने संज्ञेय अपराध किया है उसकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए।

आरोपी लेखपाल राकसंप का वरिष्ठ उपाध्यक्ष

आरोपी लेखपाल राम करन गुप्ता राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के एक गुट का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी है। जिले में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के गुट हैं जिनकी अलग-अलग कार्यकारिणी है।

एसपी ने परेड का किया निरीक्षण

सिद्धार्थनगर। पुलिस लाइंस परिसर में शुक्रवार को एसपी अमित कुमार आनंद ने परेड की सलामी लेने के बाद परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने यूपी-112 पीआरवी वाहनों, परिवहन शाखा, पुलिस कैंटीन आदि का निरीक्षण कर संबंधित को मानक के अनुसार समस्त आवश्यक उपकरणों को अपने पास रखने व उनके सुव्यवस्थित रखरखाव का निर्देश दिया।

नशीली गोली रखने पर दो वर्ष कारावास की सजा

जासं, सिद्धार्थनगर: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रिजेश कुमार द्वितीय की कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपित को दो वर्ष कारावास की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मोहाना थाना क्षेत्र के बनकसिया निवासी अतीकुर्रहमान उर्फ वगेदु पुत्र मोहर अली को मोहाना पुलिस ने 30 सितंबर 2008 को सड्डा तिराहे पर संदिग्ध हालत में पकड़ा। तलाशी के दौरान हाथ में लिए बैग में अल्प्राक्यूइल की 270 टेबलेट बरामद हुआ।

मोहाना पुलिस ने उक्त मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपित को जेल भेजा। जांच के बाद आरोपित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने आरोपित को उक्त सजा से दंडित किया है।

पकड़े गए पिकअप में लदा बाढ़ राहत सामग्री ● जागरण

राहत सामग्री वितरण में घपला करने वाला लेखपाल निलंबित

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर: बाढ़ राहत सामग्री वितरण में घपला करने के आरोप में उसका नगर पंचायत के लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि पीड़ितों में बांटने के लिए आई राहत सामग्री उसने चचेरे भाई के जरिये दूसरी जगह भेजने की कोशिश की। निलंबन की कार्रवाई के साथ लेखपाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है।

लेखपाल रामकरन गुप्ता ने नगर पंचायत के बंगरा मोड़ केवटलिया निवासी दिनेश के घर राहत सामग्री रखी थी। राहत सामग्री का मंगलवार की रात 10 बजे वितरण किया जा रहा था। आरोप है कि इसी दौरान उसने 70 बोरी सामग्री पिकअप पर लदवाकर चचेरे भाई के जरिये कहीं बाहर भेजने की कोशिश की। ग्रामीणों ने विरोध करते हुए उसे घेर लिया और सूचना उपजिलाधिकारी प्रदीप कुमार यादव व उसका थानापुलिस को दी।

मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लेखपाल को ग्रामीणों के कब्जे से मुक्त कराया। लेखपाल का कहना था कि राहत सामग्री वह तहसील मुख्यालय पर वापस भेज रहा था। उपजिलाधिकारी ने उसी समय जांच शुरू कर दी।

दो दिन की जांच के बाद उन्होंने लेखपाल को दोषी पाया और गुरुवार की देर रात उसे निलंबित कर दिया।

- **पिकअप पर लदवाकर 70 बोरी राहत सामग्री दूसरी जगह भिजवाने का आरोप**
- **लेखपाल व उसके चचेरे भाई के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा**

बाढ़ राहत सामग्री वितरित करने के पश्चात बचे पैकेट को पिकअप से लदवाकर सदर तहसील में भेजवा दिया था। इसकी चाभी सदर तहसीलदार को वाहन चालक ने उपलब्ध कराया था। जिन गांवों के लोगों ने राशन की मांग की वह गांव मेरे हल्का में नहीं था। मुझे जानबूझकर फंसाया गया है।

आरके गुप्ता, लेखपाल

लेखपाल ने राशन चोरी की थी। लेखपाल को निलंबित करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस मामले की विभागीय जांच तहसीलदार सदर राम ऋषि रमन को सौंपी गयी है। जांच रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रदीप कुमार यादव, एसडीएम

साथ ही बिना अनुमति राहत सामग्री दूसरे वाहन से भेजने पर मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया।

शुक्रवार को राजस्व निरीक्षक नजमुल हसन की तहरीर पर पुलिस ने लेखपाल व उसके चचेरे भाई शिवकुमार गुप्ता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया।

पुलिसकर्मियों के साथ एसपी ने लगाई दौड़

जासं, सिद्धार्थनगर: एसपी अमित कुमार आनंद ने शुक्रवार को साप्ताहिक परेड का निरीक्षण किया। पुलिसकर्मियों के साथ दौड़ लगाई। उन्होंने कहा कि स्वस्थ्य रहने के लिए सभी को नियमित परिश्रम करने की जरूरत है। उन्होंने कैंटीन आदि का निरीक्षण किया। आवश्यक उपकरणों के सही से रख-रखाव करने के निर्देश दिए।

एसपी ने परेड में टोलीवार परेड ड्रिल का निरीक्षण करते हुए इससे जुड़ी जानकारी ली। यूपी-112 पीआरवी वाहनों, परिवहन शाखा को देखा। मौजूद उपकरणों को मानक के अनुसार रखने के लिए जिम्मेदारों को निर्देश दिए। उन्होंने सभी कर्मी को अनुशासन में रहने को कहा। किसी प्रकार की समस्या होने पर अवगत कराएं। । सीओ सदर अखिलेश कुमार वर्मा, एसपी के पीआरओ चंदन कुमार आदि मौजूद रहे। एसपी ने गुरुवार की देर रात सदर सर्किल से जुड़े थानों की समीक्षा की। कहा कि अपराधियों को हर हाल में गिरफ्तार कर जेल भेजें। धोखाधड़ी छेड़खानी, पाक्सो एक्ट से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई करें। सीओ, प्रभारी निरीक्षक सदर अजय कुमार यादव, उपनिरीक्षक शशांक सिंह आदि मौजूद रहे।

सरकारी अनाज के गबन में भाई समेत लेखपाल पर केस

संवाद न्यूज एजेंसी

सिद्धार्थनगर। बाढ़ पीड़ितों में बंटने वाले अनाज को बिक्री की नीयत से बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के पिकअप में लादकर ले जाने के मामले में लेखपाल एवं उसके चचेरे भाई पर केस दर्ज हुआ है। एसडीएम सदर प्रदीप यादव ने उसका थाने में गबन का मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही लेखपाल को निलंबित कर तहसीलदार सदर को विभागीय जांच सौंपी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। केस दर्ज कर उसका पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

एसडीएम सदर प्रदीप यादव के निर्देश पर सदर तहसील में तैनात, शिकायतकर्ता नजमुल हसन की ओर से उसका थाने में तहरीर दी गई है। बताया गया कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा था। आरोप लगाया कि लेखपाल रामकरन गुप्ता ने केवटलिया गांव निवासी कुसुम के घर में वितरण के लिए रखे अनाज को आठ अक्तूबर रात लगभग 10 बजे पिकअप से ले जा रहे थे।

ग्राम प्रधान गोनहा की ओर से अवगत कराया गया कि रामकरन गुप्ता के माध्यम से पिकअप में लगभग 75 बोरी अनाज रखकर बाहर भेजा गया है। अनाज वापसी के लिए ग्रामीणों ने लेखपाल रामकरन गुप्ता को घेर लिया है। ग्रामीणों ने पूछा कि किसके आदेश से अनाज को लेकर जा रहे हैं तो वह न तो विभागीय आदेश दिखा सके और न ही सही जवाब दे पाए। मौके पर पहुंचकर एसडीएम की ओर से ग्रामीणों की से वार्ता की गई।

एसडीएम और गांव वालों से बातचीत हो रही थी कि इसी बीच लेखपाल ने अनाज को तहसील परिसर में भेजवा दिया। उसका पुलिस ने आरोपी लेखपाल रामकरन गुप्ता और सहयोग के मामले में चचेरे भाई शिवकुमार गुप्ता निवासी मधुकरपुर थाना सदर के खिलाफ गबन के आरोप में केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है।

वहीं, एसडीएम सदर ने इस मामले में लेखपाल को निलंबित करते हुए तहसीलदार सदर को विभागीय जांच करके रिपोर्ट देने को कहा है। इस संबंध में एसओ उसका राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

पिकअप से 75 बोरी राशन ले जाने का आरोप, एसडीएम ने किया निलंबित

बचा हुआ राशन भेजा था तहसील में

आरोपी लेखपाल रामकरन गुप्ता ने बताया कि उन्होंने बची हुई बाढ़ राहत सामग्री को तहसील परिसर में भेजा था। उन्होंने अपनी ग्रामसभा में अनाज का वितरण कर दिया था। दूसरे गांव के लोगों ने वाहन रोककर अनाज की मांग की, लेकिन दूसरी ग्राम पंचायत में अनाज वितरण करते तो नियम विरुद्ध हो जाता। जांच में सच्चाई सामने आएगी।

लेखपाल और उसके चचेरे भाई के खिलाफ उसका थाने में बाढ़ राहत सामग्री के गबन के मामले में केस दर्ज कराया गया है। उसे निलंबित करके विभागीय जांच तहसीलदार नौगढ़ को सौंपी गई है, उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में हैं।

-प्रदीप कुमार यादव, एसडीएम सदर

SANT KABEER NAGAR POLICE

उत्तर प्रदेश पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक:- 12-11-2022

छह लोगों पर मारपीट का केस

मगहर(एसएनबी)। खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के मगहर चौकी अंतर्गत मगहर कस्बे के काजीपुर रेहरवा मोहल्ले में पट्टीदारों में जमकर मारपीट हुई। घटना की पीड़िता के तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज किया है तथा मामले की जांच में जुट गई है। नगर पंचायत मगहर के मोहल्ला काजीपुर रेहरवा निवासनी चन्द्रावती देवी पत्नी स्व.श्रीराम ने कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर में लिखा है कि उसके पट्टीदार राजू पुत्र स्व. पूर्णवासी से पुरानी रंजिश चल रही है। जिसको लेकर राजू अपने परिवार के साथ 6 नवम्बर 22 रात्रि में लगभग आठ बजे अचानक उसके घर पर चढ़ गया। उसके बाद गाली-गलौज करते हुए उसे तथा उसके पुत्र आकाश और पुत्री मधु को मारपीट कर अधमरा कर दिया। घटना को सुनकर बीच बचाव करने मुहल्ले के लोग पहुंच गए। उसके बाद 108 एम्बुलेंस को बुलवा कर मुहल्ले के लोगों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजवाया। कोतवाली पुलिस ने मारपीट की घटना के संबंध में तहरीर के आधार पर राजू पुत्र स्व. पूर्णवासी, उषा पत्नी राजू, उर्मिला, पर्मिला व लक्ष्मीना पुत्रीगण राजू एवं बुद्धन पुत्र राजू के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।

मामूली विवाद में युवक की पिटाई, दो नामजद

धनघटा एसएनबी धनघटा थाना क्षेत्र के रोसया बाजार में भैंस बांधने को लेकर मामूली विवाद के चलते शुक्रवार की सुबह दो मनबढ़ों ने एक युवक को मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल युवक की तहरीर पर पुलिस ने दो हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर घायल युवक को पुलिस अभिरक्षा में इलाज के लिए सीएचसी हैंसर बाजार भेज दिया है। पुलिस को दी गई तहरीर में थाना क्षेत्र के रोसया बाजार निवासी छोटू गौड़ पुत्र रामलौट ने बताया कि शुक्रवार की सुबह भैंस बांधने को लेकर गांव निवासी प्रिंस पुत्र कमला प्रसाद तथा कमला पुत्र बदरी उसे अकारण भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। गाली देने का जब उसने विरोध किया तो उक्त दोनों उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उसके उपर हमला कर दिया और मारपीट कर उसे घायल कर दिया। घायल छोटू गौड़ की तहरीर पर पुलिस ने हमलावर प्रिंस और कमला के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक धनघटा केडी सिंह ने कहा कि जल्द ही नामजद हमलावरों को गिरफत में लेकर कानूनी कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी।

धनघटा थाना क्षेत्र के रोसया बाजार की है घटना

विवाहिता से बलात्कार करने वाले तांत्रिक की जमानत अर्जी निरस्त

संतकबीरनगर(एसएनबी)। तंत्र-मंत्र के जाल में फंसा कर विवाहिता से बलात्कार करने वाले तांत्रिक की अग्रिम जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश त्रिपाठी ने निरस्त कर दी। यह घटना धनघटा थाना क्षेत्र की एक महिला के साथ हुई थी।

जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि गोरखपुर के सहजनवां थाना अंतर्गत निवासिनी एक महिला ने थाना धनघटा में प्रार्थना पत्र दिया कि उसके पति काफी बीमार हो गए थे। काफी इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रहे थे। कुछ लोगों ने बताया कि थाना धनघटा के सेवईपर का सुरेश चंद्र झाड़-फूक करके व तंत्र से ठीक कर देगा। वह सुरेश चंद्र के घर पहुंची और अपने पति को दिखाई। सुरेश चंद्र ने बताया कि उसके पति के ऊपर मूकवाण चलाया गया है। झाड़-फूंक, पूजा-पाठ में तीन लाख ₹ खर्च आएंगे तभी उसके पति को बचाया जा सकता है। उसने किसी तरह से तीन लाख ₹ व्यवस्था करके अपने पति की जान बचाने के लिए तांत्रिक को दिया। इसके बाद उक्त तांत्रिक उसका शारीरिक मानसिक शोषण करता रहा। जब पति का स्वास्थ ठीक नहीं हुआ तो तांत्रिक से अपना ₹ मांगी तो तांत्रिक ने कहा कि उसका पति ठीक हो जाएगा। ₹ मांगने गई तो उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा तथा उसके साथ बलात्कार की घटना कारित हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। मामले में थाना धनघटा में मुकदमा पंजीकृत हुआ। आरोपी तांत्रिक सुरेश चंद्र ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश त्रिपाठी ने निरस्त कर दिया।

थाने पर आने वालों से करें शालीनता पूर्ण व्यवहार:सी.ओ.

बखिरा (एसएनबी)। क्षेत्राधिकारी मेंहदावल राजीव कुमार यादव व प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी श्रीमती दीपांशी राठौर ने संयुक्त रूप से जनपद के थाना बखिरा का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण किया। सर्वप्रथम सलामी में लगी गार्द द्वारा सलामी ली गयी तत्पश्चात उन्होंने परिसर कार्यालय की साफ-सफाई का जायजा लिया।

थाना कार्यालय में रखे समस्त अभिलेखों, शस्त्रागार तथा महिला व पुरुष हवालात का निरीक्षण कर वहां की स्थितियों की जानकारी ली। अभिलेखों के उचित रख रखाव के लिए उन्होंने थाना प्रभारी को निर्देशित किया। आगंतुक रजिस्टर में अंकित शिकायतों के विषय में जानकारी लेने के बाद उनके निस्तारण की स्थितियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने पुलिस कर्मियों को थाने में आने वाले आंगतुकों के साथ शालीनता पूर्वक विनम्र व्यवहार करने व उनकी समस्याओं को सुनकर तत्काल उन पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने थाने के महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण करते हुए महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वावलम्बन के लिए मिशन शक्ति का शिक्षण संस्थानों सहित अन्य महिलाओं से संबंधित स्थलों पर जाकर व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए मनचलों एवं शोहदों के विरुद्ध कार्रवाई एवं महिलाओं एवं बालिकाओं के शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिए। कार्यालय में निरीक्षण के बाद द्वारा पुलिस मेस का निरीक्षण किया और मेस में साफ-सफाई रखने के साथ उन्होंने पौष्टिक भोजन उपलब्ध भोजन कराने को आदेशित किया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी निरीक्षक बखिरा सहित थाने समस्त अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

थाना बखिरा का निरीक्षण करते सीओ व सीओ प्रशिक्षु।

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफतार

नाथनगर(एसएनबी) । महुली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर उसका अपहरण करने के बाद किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में नामजद अभियुक्त को महुली पुलिस ने शुक्रवार को गिरफतार कर जेल भेज दिया है। विदित हो कि महुली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर बीते दिनों गोरखपुर जिले के सहजनवा थानान्तर्गत रिठुआखोर गांव निवासी सुन्दरम शर्मा पुत्र तारकेश्वर नामक युवक ने उसका अपहरण कर लिया था और किशोरी को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म भी किया। घटना के बाद परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के बाद जब किशोरी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो बीते 16 अक्टूबर को किशोरी के पिता ने महुली पुलिस को लिखित तहरीर देकर आरोपी सुन्दरम शर्मा के विरूद्ध अपहरण, दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस किशोरी समेत आरोपी के तलाश में सम्भावित ठिकानों पर छापेमारी करती रही। छापेमारी के दौरान बीते 19 अक्टूबर को पुलिस ने पीड़िता को तो बरामद कर लिया लेकिन नामजद आरोपी पुलिस के हत्थे नही चढ़ सका। किशोरी को बरामद करने के बाद से ही पुलिस नामजद अभियुक्त सुन्दरम शर्मा की तलाश में उसके नात रिस्तेदारों सहित सम्भावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी करते हुए उसे गिरफतार करने के प्रयास में जुटी रही लेकिन वह पुलिस के हत्थे चढ़ने से बचता रहा था।

डीएम ने इण्डस्ट्रियल एरिया का भ्रमण कर दिया निर्देश

संतकबीरनगर(एसएनबी)। औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद का पैदल लगभग 02 किमी. भ्रमण/निरीक्षण जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सोनम कुमार द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद के खराब सड़कों के सीसी रोड निर्माण/मरम्मत, पाथ-वे, पार्क के फेन्सिंग एवं सुन्दरीकरण के संबंध में यूपी सीडा एवं पीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार किये गये प्रारम्भिक आगणन को दिये गये निर्देशों के अनुसार पुनरीक्षित आगणन तैयार कर अटल मिशन के तहत शासन से स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने का निर्देश दिया गया।

पेयजल की व्यवस्था, साफ-सफाई, पार्क में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय आदि की व्यवस्था कराये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग सहित सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि तीन दिन में प्रोजेक्ट तैयार करा कर प्रस्तुत किया जाय। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद के भ्रमण के दौरान मेसर्स- महावीर बिस्कीट प्रा. लि., खलीलाबाद की इकाई का भी अवलोकन किया गया। इकाई के निदेशक, अशोक सर्राफ द्वारा अपनी इकाई के उत्पादन प्रक्रिया का अवलोकन कराते हुये विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। जिलाधिकारी ने इकाई के तकनीकी एवं उत्पादन प्रक्रिया एवं जनपद के लोगों को रोजगार सृजन किये जाने के लिये प्रसन्नता व्यक्त की। भ्रमण के दौरान क्षेत्रीय प्रबंधक यूपी सीडा, गोरखपुर, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र संत कबीर नगर, प्रबंधक, यूपी सीडा सिविल अयोध्या, जिला अग्रणी प्रबंधक, एआईजी स्टाम्प, प्रतिनिधि नगर पालिका परिषद खलीलाबाद, प्रतिनिधि आर.ओ., प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती, जिला अग्निशमन अधिकारी, अधिशाषी अभियंता विद्युत, अधिशाषी अभियंता पीडब्ल्यूडी एवं अन्य अधिकारीगण तथा अरविन्द पाठक, अध्यक्ष, उ.प्र. इण्ड. एसोशिएसन, संत कबीर नगर एवं उद्यमीगण उपस्थित रहे।

औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद के भ्रमण के दौरान मेसर्स महावीर बिस्कीट प्रा. लि., खलीलाबाद की इकाई का अवलोकन डीएम प्रेम रंजन सिंह, एसपी सोनम कुमार व अन्य अधिकारीगण

लगातार छापेमारी के बाद भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका जालसाज

धनघटा (एसएनबी)। जालसाजी कर पूर्व में महुली थाना क्षेत्र के बैंक आफ बड़ौदा की पिड़िया शाखा में फर्जी खतौनी के आधार पर किसानों का खाता खोलकर करोड़ों रूपये का फर्जी भुगतान प्राप्त करने में नामजद दो अभियुक्तों में से ग्राहक सेवा केन्द्र चलाने वाला धनघटा थाना क्षेत्र के गाई बसंन्तपुर गांव निवासी राधेश्याम पुत्र रामकरन की गिरफतारी करने में महुली पुलिस अभी तक सफल नहीं हो सकी है। उक्त राधेश्याम की गिरफतारी करने के लिए महुली पुलिस बीते एक वर्ष से लगातार सम्भावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है लेकिन आरोपी राधेश्याम अभी तक पुलिस को चकमा देते हुए गिरफतारी से बचने में सफल रहा है। विदित हो कि बैंक आफ बड़ौदा की पिड़िया शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक गोरखपुर जिले के बढ़नी गोपालपुर गांव निवासी मयंक सिंह पुत्र विनोद कुमार सिंह ने महुली पुलिस को बीते वर्ष 2021 में तहरीर देकर महुली थाना क्षेत्र के बरौली गांव निवासी इन्दल पुत्र रामललित तथा धनघटा थाना क्षेत्र के गाई बसंन्तपुर गांव निवासी ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक रहे राधेश्याम पुत्र रामकरन के खिलाफ आईपीसी की धारा 419,420,467,468,407 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें पुलिस ने इन्दल को गिरफतार कर जेल भेज दिया और उसके खिलाफ आरोप पत्र भी पुलिस न्यायालय में भेज चुकी है लेकिन एक वर्ष से लगातार छापेमारी करने के बाद भी दूसरा अभियुक्त राधेश्याम पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लग सका है। इस सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा फरार अभियुक्त राधेश्याम के खिलाफ बीते 7 सितम्बर को धारा 82 के तहत अधिपत्र जारी करते हुए महुली पुलिस को अभियुक्त राधेश्याम के घर नोटिस चस्पा करने का निर्देश दिया था। प्रभारी निरीक्षक महुली संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि जल्द ही न्यायालय के आदेश पर फरार अभियुक्त राधेश्याम के घर की पुलिस कुर्की भी कर देगी।

आपसी समन्वय से मामलों का करें निस्तारण

संतकबीरनगर(एसएनबी)। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह व पुलिस अधीक्षक सोनम कुमार ने संयुक्त रूप से अभियोजन अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ न्यायालय में लंवित अभियोगों गुंडा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, पाक्सो एक्ट, एससी/एसटी एक्ट, महिला संबंधी अपराधों आदि के दृष्टिगत विकास भवन सभागार में बैठक करके अवतक अभियोजन पक्ष द्वारा की गई कार्रवाईयों पर विस्तार से चर्चा की। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा अपराधियों को चिह्नित कर अपराधों में लिप्त अपराधियों को कठोर सजा दिलाने, अभियोगों का त्वरित निस्तारण व अभियोजन की कार्रवाई को और बेहतर करने के उपायों पर चर्चा की। जिसमें न्यायालय में विचारण के दौरान आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख अभियोजन अधिकारियों द्वारा किया गया। जिनको संज्ञान में लेते हुए उसे अविलंव दूर करने हेतु संबंधित को हिदायत दी गयी। बैठक में यह भी निर्धारित किया गया कि महिलाओं व बच्चों के साथ हो रहे अपराधों में पंजीकृत अभियोगों में न्यायालय के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष और बेहतर ढंग से साक्ष्यों को प्रस्तुत करें जिससे कि अपराधियों को शत प्रतिशत सजा सुनिश्चित की जा सके और अभियोजन पक्ष तथा पुलिस आपस में समन्वय कर मामलों का यथाशीघ्र निस्तारण कराएं। बैठक में अपर जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद अंशुमान मिश्र, क्षेत्राधिकारी मेंहदावल राजीव कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी धनघटा रामप्रकाश, अभियोजन पक्ष के अधिकारी/कर्मचारीगण व समस्त थानों के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष उपस्थित रहे।

डीएम व एसपी ने संयुक्त रूप से अभियोजन अधिकारियों, थाना प्रभारियों के साथ न्यायालय के लंबित मामलों पर की चर्चा

अभियोजन अधिकारियों, थाना प्रभारियों के साथ न्यायालय के लंबित मामलों को लेकर बैठक करते डीएम, एसपी व अन्य

कंट्रोल रूम व यूपी 112 में बनी आरओईपी का निरीक्षण

एसपी ने निरीक्षण कर दिया आवश्यक दिशा निर्देश

संतकबीरनगर(एसएनबी)। रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक शुक्रवार परेड का एसपी सोनम कुमार ने निरीक्षण किया। जिले के कंट्रोल रूम व यूपी 112 कार्यालय में बनी आरओआईपी का निरीक्षण करते हुए यूपी 112 के पीआरवी व थानों द्वारा की जाने वाली रात्रि गस्त की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया।

एसपी सोनम कुमार ने पुलिस लाइन परेड ग्राउण्ड में साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में सम्मिलित पुलिस कर्मियों के टर्नआउट को चेक करते हुए सभी अधिकारियों/कर्मचारीगणों को ड्यूटी के दौरान उच्च कोटि की वर्दी पहनने व जनता से मधुर व्यवहार स्थापित करने के लिए निर्देशित किया। निरीक्षण के पश्चात कर्मियों को शारीरिक रुप से फिट रहने हेतु दौड़ लगवाई व परेड के दौरान अनुशासन व एकरुपता के लिए टोलीवार ड्रिल कराई गई। तदोपरान्त पुलिस लाइन्स की साफ-सफाई हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया। पुलिस लाइन के आदेश कक्ष में सभी गार्द रजिस्टरों को चेक करते हुए गार्द की सुरक्षा के संबंध मे सभी गार्द कमांड़रों को दिशा निर्देश दिया। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर शुक्रवार की परेड करायी गयी। परेड के दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन श्रीमती दीपांशी राठौर, प्रतिसार निरीक्षक रजनीकान्त ओझा सहित अन्य अधिकारी/ कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

शुक्रवार को बिस्कुट फैक्ट्री में निर्माण की प्रक्रिया देखते डीएम, एसपी व अन्य।

औद्योगिक क्षेत्र की जरूरी सुविधाओं का करें विस्तार

- इंडस्ट्रियल एरिया का डीएम ने निरीक्षण कर दिया निर्देश
- हाइजिन व्यवस्था के साथ निर्माण करने का निर्देश

संतकबीरनगर, निज संवाददाता। गोरखपुर के गीडा की तरह ही जनपद के औद्योगिक क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। वर्षों की बदहाली दूर होगी, यहां की सड़कें चकाचक होंगी ही साथ ही सभी दुश्वारियां दूर होंगी। इसके लिए जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने पहल शुरू कर दिया है।

शुक्रवार को डीएम ने एसपी सोनम कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक यूपीसीडा, उपायुक्त उद्योग व अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के साथ पूरे इण्डस्ट्रियल एरिया का पैदल निरीक्षण किया। करीब दो किमी पैदल चलते हुए वहां की समस्याओं से रूबरू हुए। इसके साथ ही वृहद कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश सभी जिम्मेदार अधिकारियों को दिया। तीन दिन के भीतर कार्ययोजना तैयार होकर शासन को भेजी जाएगी। उम्मीद है जल्द ही काम भी शुरू हो जाएगा।

औद्योगिक क्षेत्र की बदहाली को दूर करने को लेकर पिछले काफी दिनों से मांग उठ रही थी। कई बार उद्योग संचालकों ने इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। नवागत डीएम प्रेम रंजन सिंह के सामने यह प्रकरण आया तो वह गम्भीर हो गए। औद्योगिक क्षेत्र को पूर्ण विकसित और सभी सुविधाओं से लैस करने के कार्य में लग गए हैं। डीएम ने औद्योगिक क्षेत्र की खराब सड़कों को दुरुस्त करने की कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अन्य सड़कों को भी बेहतर तरीके से बनाया जाएगा। इस दौरान क्षेत्रीय प्रबन्धक यूपीसीडा गोरखपुर, उपायुक्त जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, प्रबन्धक यूपीसीडा, सिविल अयोध्या, जिला अग्रणी प्रबन्धक, एआईजी स्टाम्प, प्रतिनिधि नपा परिषद खलीलाबाद, प्रतिनिधि आरओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बस्ती, जिला अग्निशमन अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता विद्युत, अधिशाषी अभियन्ता पीडब्लूडी, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविन्द पाठक मौजूद रहे।

बिस्किट फैक्ट्री में पहुंच ली जानकारी

डीएम, एसपी औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित महावीर बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड में पहुंचकर वहां का पूरा अवलोकन किया। स्वच्छता और शुद्धता के साथ तैयार किया जा रहा है या नहीं, इसे देखकर जरूरी निर्देश दिए। इकाई के निदेशक अशोक सर्राफ ने इकाई के उत्पादन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। डीएम ने जनपद में लोगों को रोजगार सृजन किए जाने के लिए प्रसन्नता व्यक्त की।

दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

संतकबीरनगर। लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त सुंदरम शर्मा पुत्र तारकेश्वर नाउ निवासी रितुखोर टोला सोनारवाड़ी, थाना सहजनवा गोरखपुर निवासी है। पीड़िता की मां का आरोप है कि उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वादिनी की तहरीर पर महुली थाने में अभियोग पंजीकृत किया था। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

एसपी ने किया परेड का निरीक्षण

संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक सोनम कुमार ने शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड का निरीक्षणक किया। परेड की सलामी ली। पुलिस कर्मियों के टर्नआउट को चेक करते हुए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान उच्च कोटि की वर्दी पहनने व जनता से मधुर व्यवहार स्थापित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के पश्चात कर्मियों को शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए दौड़ लगवाई गई व टोलीवार ड्रिल कराई गई।

जमीन सम्बन्धी विवाद में मारपीट, चार पर केस

बखिरा। थाना क्षेत्र के कुरियापार बेलहसा में शुक्रवार को भूमि विवाद में मारपीट हो गई। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किया है। पुलिस को दी गई तहरीर में दलभक्कन पुत्र रामलखन ने कहा कि जमीन के मामले को लेकर प्रतिवादियों से उसका काफी दिनों से विवाद चल रहा था। शुक्रवार को दोपहर में आरोपीगण उसे अपशब्द कहने लगे।

अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार

संतकबीरनगर। अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही की गई। इसके तहत 15 शीशी अवैध देशी शराब (बंटी-बबली) बरामद की गई और एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार खलीलाबाद कोतवाली पुलिस ने 15 शीशी अवैध देशी शराब (बंटी बबली) के साथ विकास पुत्र रामभवन निवासी खवईपार थाना कोतवाली खलीलाबाद को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के खिलाफ आबकारी एक्ट में कारंवाई की गई है।

पुलिस ने लावारिस लड़के को परिजनों को सौंपा

संतकबीरनगर। धनघटा क्षेत्रान्तर्गत खेवसिया से लावारिश लड़का मिलने के संबन्ध में सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर स्थानीय लोगों के सहयोग से लड़के के पिता नाम पता लगाया। पुलिस ने बच्चे के परिजन रामकिशन निवासी भुतहा संतकबीरनगर को खोजकर सौंप दिया है। पुलिस की सक्रियता से लावारिश बच्चा अपने परिजनों से मिल सका।

217 वाहनों से वसूले 1.93 लाख सम्मन शुल्क

संतकबीरनगर। जिले की पुलिस ने अभियान चला कर 217 वाहनों से एक लाख 93 हजार रुपए का शमन शुल्क वसूल किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बैंक, चौक, चौराहों पर अभियान चला कर जांच की। जांच में संदिग्ध व्यक्तियों को रोक कर पूछतांछ की गई। जांच में अनियमितता पाए जाने पर 217 वाहनों से एक लाख 93 हजार रुपए का सम्मन शुल्क वसूल किया गया है।

शांतिभंग की आशंका में 13 अभियुक्त गिरफ्तार

संतकबीरनगर। जिले की पुलिस ने 13 अभियुक्तों को शांतिभंग की आशंका में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार महुली थाने की पुलिस ने पांच, मेंहदावल थाने की पुलिस ने चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा खलीलाबाद कोतवाली और धनघटा थाने की पुलिस ने दो-दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

खेतों में पराली जलाई तो होगी कार्रवाई

लोहरौली। दुधारा थाना परिसर में शुक्रवार को एक जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। जागरूकता बैठक में पराली न जलाने, साइबर क्राइम से बचने के लिए जागरूक किया गया। जागरूकता बैठक में प्रधान, किसान व अन्य लोग शामिल हुए। पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया।

थाना प्रभारी अनिल कुमार दूबे ने ग्राम प्रधानों से कहा कि गांव में धान कटाई के बाद बचे अवशेष जलाने से रोकें। पराली को कहीं पर इकट्ठा करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि कहीं भी फोटो के साथ पराली जलाते हुए मिली तो कार्रवाई की जाएगी। किसानों को जागरूक करते हुए कहा पराली न जलाएं। पराली जलाने से खेत की मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है। इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। वहीं मिट्टी में मौजूद किसान मित्र कीट भी नष्ट हो जाते हैं। इसका सीधा असर फसल के उत्पादन पर पड़ता है। वहीं पराली के धुएं से पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता है।

इंडस्ट्रियल क्षेत्र के आएंगे अच्छे दिन

डीएम ने निरीक्षण करके तीन दिन के अंदर विकास की कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर : गोरखपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल में स्थित इंडस्ट्रियल एस्टेट के अब अच्छे दिन आएंगे। चारों तरफ चमचमाती सड़कों और नालियों तथा छायादार व प्रदूषण रोधी वृक्षों से इस एरिया को सुसज्जित किया जाएगा। यह इंडस्ट्रियल एस्टेट भी अब गीडा और नोएडा की तरह से दिखेगा। अटल मिशन के तहत इसका विकास होगा। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने तीन दिन के अंदर विकास की कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इसका आगणन व प्लान तैयार करने को कहा।

जिलाधिकारी एसपी सोनम कुमार तथा उद्योग विभाग के

इंडस्ट्रियल क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री को देखते अधिकारी • जागरण

अधिकारियों के साथ करीब दो घंटे तक पूरे क्षेत्र का गहनता से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़कों को देखा और कहा कि यहां की सड़कों को सीसी रोड में बदला जाएगा, ताकि यह लम्बे समय तक न टूटें और इंडस्ट्रियल एस्टेट में आने वाले भारी वाहनों का दबाव सह सकें। चारों तरफ हरी घास के साथ सघन पौधारोपण करने की जानकारी दी। इससे कारखानों में काम करने वाले कामगारों तथा यहां पर रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। इस दौरान वे एक बिस्कुट के कारखाने में भी गए, जहां पर उन्होंने बिस्कुट बनाने की प्रक्रिया को देखा तथा कामगारों के बारे में जानकारी प्राप्त की।

पार्क और ओपन जिम भी होगा विकसित : जिलाधिकारी ने बताया कि इंडस्ट्रियल एस्टेट में स्थित पार्क की जमीनों का सदुपयोग करते हुए इसे पिकनिक स्पाट की तरह से विकसित किया जाएगा। चारों तरफ चहारदीवारी व पाथवे, पिंक शौचालय, पेयजल व साफ सफाई की व्यवस्था के साथ बेंच आदि बनवाया जाएगा। साथ ही यहां पर बच्चों के लिए झूले तथा ओपन जिम का भी विकास होगा। इसके पीछे मंशा यह है कि लोग सुबह-शाम यहां पर टहलें। साथ ही छुट्टी में पिकनिक आदि मनाने के लिए भी आएं।

पैदल चलते हुए छूटे अधिकारियों के पसीने : इंडिस्ट्रयल एस्टेट में डीएम और एसपी के साथ अधिकारियों की पूरी टीम करीब दो किलोमीटर तक पैदल चली। सड़क से लेकर नाली और खाली मैदान के साथ ही हर चीज का बारीकी से निरीक्षण किया गया। स्थिति तो यह थी कि इस दौरान कुछ अधिकारियों के पसीने छूटने लगे, कुछ अधिकारी तो हांफते दिखाई दे रहे थे। पीछे चल रहे एक व्यक्ति ने टिप्पणी की कि आज अधिकारी लोग भी जान जाएंगे कि किसी डीएम से पाला पड़ा है।

मार्ग दुर्घटना में मृतक जमुनी खुर्द गांव के युवक के स्वजन से मिलने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर • जागरण

मृतक युवक के परिवार को सहयोग करेंगे : ओम प्रकाश

जासं, मोलनापुर, संतकबीर नगर : सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर शुक्रवार को शाम के समय मोलनापुर पुलिस चौकी क्षेत्र के जमुनी खुर्द गांव में पहुंचे। कुछ दिन पूर्व सड़क हादसे में गांव के युवक विशाल राजभर की मृत्यु हो गयी थी। वहीं आकाश राजभर पुत्र मुन्ना गंभीर रूप से घायल हो गये थे।

उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए मृतक के परिवार के सदस्यों को हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वह जनता के सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। वह समाज की सेवा आजीवन करते रहेंगे। इससे समाज में उनकी एक अलग पहचान बनी। लोगों का प्यार उन्हें सदैव मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि समाज तभी मजबूत होगा जब सभी लोग एकजुट होकर आवाज को बुलंद करेंगे। मौके पर इंद्रासन कुमार चौधरी, श्याम सुंदर, अमरजीत जिआवन राजभर सहित क्षेत्र के तमाम लोग उपस्थित रहे।

शांतिभंग में 13 का चालान

संतकबीर नगर : जिविभिन्न थानों की पुलिस ने शांतिभंग के आरोप में 13 आरोपितों को गिरफ्तार किया। खलीलाबाद पुलिस ने दो, धनघटा में दो, महुली में पांच व मेंहदावल में चार आरोपितों का चालान कर दिया।(जासं)

दुष्कर्म के आरोपित को पकड़ा

संतकबीर नगर : महुली थाने की पुलिस ने किशोरी को बहला फुसलाकर उसे भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपित सुंदरम शर्मा रिठुआखोर, सहजनवा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा। (जासं)

15 शीशी शराब के साथ आरोपित गिरफ्तार

संतकबीर नगर : खलीलाबाद कोतवाली पुलिस ने 15 शीशी अवैध देशी शराब के साथ आरोपित विकास, निवासी खवईपार को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। (जासं)

पराली जलाने से पर्यावरण होता है प्रदूषित : अनिल कुमार

जागरण संवाददाता, दुधारा, संतकबीर नगर : पराली जागरूकता को लेकर दुधारा थाने में किसानों की बैठक हुई। इसमें पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक किया गया। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार दुबे ने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषण होता है तो वहीं उत्पादकता पर भी असर पड़ता है। खेत में पराली जलाने से खेत की मृदा शक्ति कम होती है। किसानों को खेत में पराली जलाने से बचना चाहिए। इस दौरान विनोद कुमार यादव, रामदरश यादव, अतीक अहमद, करम हुसेन, ताजुद्दीन, शमसुद्दीन, इमरान, हनीफ खान, राजकुमार, विनोद कुमार, राम सागर चौधरी आदि मौजूद रहे।

जालसाजी के आरोपी पर मुकदमा दर्ज

कोर्ट में पेश नहीं होने पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई

संवाद न्यूज एजेंसी

धनघटा। जालसाजी के आरोपी के खिलाफ महुली पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट के अवमानना का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस यह कार्रवाई एसएसआई दयानाथ राम की तहरीर पर की।

एसएसआई दयानाथ राम ने बताया कि जालसाजी का आरोपी राधेश्याम लगातार फरार चल रहा है। इसकी गिरफ्तारी के लिए विभिन्न तिथियों में दबिश दी गई लेकिन पकड़ में नहीं आया। कोर्ट से 28 जुलाई 2022 को गिरफ्तारी आधिपत्र जारी हुआ। कोर्ट के आदेश क्रम में गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है, लेकिन आरोपी पकड़ से दूर है।

कोर्ट ने अभियुक्त राधेश्याम के विरुद्ध 82 सीआरपीसी की नोटिस सात सितंबर 2022 को जारी किया। आठ सितंबर को नोटिस चस्पा कराते हुए डुग्गी मुनादी करा दी गई। उसके बावजूद अभियुक्त राधेश्याम न तो कोर्ट में उपस्थित हो रहा है और न ही पकड़ में आ रहा है।

एसओ संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि एसएसआई दयानाथ राम की तहरीर पर अभियुक्त राधेश्याम के खिलाफ कोर्ट के अवमानना का केस दर्ज किया गया है।

दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

संतकबीरनगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश त्रिपाठी ने तंत्रमंत्र के जाल में फंसा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी तांत्रिक की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दिया।

जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि गोरखपुर के सहजनवां क्षेत्र की रहने वाली महिला ने थाना धनघटा में प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें कहा कि उसके पति काफी बीमार हो गए थे। काफी इलाज के बाद भी ठीक नही हो रहे थे। कुछ लोगों ने बताया कि धनघटा क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला आरोपी तंत्रमंत्र से ठीक कर देगा।

वह तांत्रिक के घर पहुंची और अपने पति को दिखाई। आरोपी तांत्रिक ने कहा कि पूजा पाठ में तीन लाख रुपये खर्च आएंगे तभी उसके पति को बचाया जा सकता है। उसने किसी तरह से तीन लाख रुपये की व्यवस्था करके अपने पति की जान बचाने के लिए तांत्रिक को दी।

आरोप है कि उक्त तांत्रिक उसका शारीरिक मानसिक शोषण करता रहा। जब पति का स्वास्थ ठीक नहीं हुआ तो तांत्रिक से अपना पैसा मांगी तो तांत्रिक ने कहा कि उसका पति ठीक हो जाएगा। पैसा मांगने गई तो उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा तथा दुष्कर्म किया।

आरोप है उसे जान से मारने की धमकी दिया। मामले में थाना धनघटा में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा आरोपी तांत्रिक ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे सत्र न्यायाधीश हरीश त्रिपाठी ने निरस्त कर दिया। संवाद

पुलिस लाइंस में परेड़ का रिहर्सल करते पुलिसकर्मी। संवाद

जनता से करें मुधर व्यवहार : एसपी

संवाद न्यूज एजेंसी

संतकबीरनगर। एसपी सोनम कुमार ने शुक्रवार को पुलिस लाइंस की परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों को शारीरिक रुप से स्वस्थ रहने के लिए दौड़ लगवाई। उन्होंने पुलिसकर्मियों को जनता से मधुर व्यवहार करने के निर्देश दिए।

एसपी ने परेड में सम्मिलित पुलिसकर्मियों के टर्न आउट की जांच की। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान उच्च कोटि की वर्दी पहनने व जनता से मधुर व्यवहार स्थापित करने का निर्देश दिया। परेड के दौरान अनुशासन व एकरुपता के लिए टोलीवार ड्रिल कराया। उसके बाद पुलिस कर्मियों की दौड़ लगवाई।

बाद में आवासीय परिसर स्थित पार्क, ओपन जिम, मंदिर परिसर, क्वार्टर गार्द, स्टोर रुम, आर्मरी आदि का निरीक्षण कर हाल जाना। पुलिस लाइन की बेहतर साफ-सफाई के लिए प्रतिसार निरीक्षक को निर्देश दिया।

पुलिस लाइन के आदेश कक्ष में सभी गार्द रजिस्टरों को चेक करते हुए गार्द की सुरक्षा के संबंध में सभी गार्द कमांडरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया।

दुष्कर्म के आरोपी ने किया आत्मसमपर्ण

धनघटा। महुली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म करने आरोपी ने शुक्रवार को हरिहरपुर पुलिस चौकी पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया।

पीड़ित मां ने 16 अक्तूबर को पुलिस को तहरीर दिया। आरोप लगाया कि पड़ोस में रह रहे गोरखपुर जनपद के थाना सहजनवां क्षेत्र निवासी आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। आरोप है कि बेटी से दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस को 19 अक्तूबर को किशोरी मिल गई, लेकिन आरोपी फरार चल रहा था। संवाद

रंजिश में दंपती समेत तीन को पीटा तीन आरोपिया के खिलाफ मुकदमा

बखिरा। क्षेत्र के कोपिया में शुक्रवार को रंजिश में कुछ लोगों ने दंपती समेत तीन की पिटाई कर दी। ऐसा आरोप लगाते हुए पीड़ित महिला ने मां-बेटे समेत तीन पर केस दर्ज कराया।

पीड़िता काजल गिरी का आरोप है कि नौ अक्तूबर की रात दस बजे विपक्षी उसे अपशब्द कहते हुए लात मुक्का व डंडे से मारे पीटे। पिटाई से उसे गंभीर चोटें आई। बीच- बचाव में आए पति महेश गिरी व देवर उमेश को भी लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया।

आरोप है कि लोगों ने जान से मारने की धमकी दिया। एसओ अनिल सिंह ने बताया कि उर्मिला और उसके बेटे पिंटू व दीपक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। संवाद

मारपीट के मामले में चार पर केस दर्ज

बखिरा। क्षेत्र के कुरियापार बेलहसा में शुक्रवार को जमीन संबंधी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने पीड़ित की पिटाई कर दी। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों पर केस दर्ज किया। दलभक्कन पुत्र रामलखन का आरोप है कि जमीन संबंधी को लेकर जयचंद्र चौधरी से उसका काफी दिनों से विवाद चल रहा है। आरोप है कि उसी रंजिश में शुक्रवार को दोपहर में विपक्षी उसे अपशब्द कहने लगे।

विरोध करने पर लाठी डंडे से मारे-पीटे और जानमाल की धमकी दिए। एसओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जयचंद चौधरी, रामदयाल विश्वकर्मा, उमेश उपाध्याय उर्फ कुन्नू, सुरेश कन्नौजिया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद

GONDA POLICE

सराहनीय कार्य दिनांक:- 12-11-2022

बच्चों को दी सड़क सुरक्षा की जानकारी

जागरुकता

शुक्रवार को स्कूल छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाते पुलिस के अफसर।

गोण्डा, संवाददाता। जिले में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को एएसपी शिवराज ने शहर के नारायणा स्कूल में पहुंच कर बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे जागरूक किया।

एएसपी ने बच्चों से यातायात नियमों का पालन करें और लोगों से कराने का आह्वान किया। कहा कि दो पहिया वाहनों पर हेलमेट प्रयोग करें, बाइक पर दो ही सवारी बैठकर चलें, चार पहिया वाहनों पर सीट बेल्ट लगाकर चलाएं। इस दौरान सीओ सिटी लक्ष्मीकान्त गौतम, नगर कोतवाल राकेश कुमार सिंह और स्कूल के शिक्षक मौजूद रहे।

खोरहंसा संवाददाता के अनुसार झंझरी के जीनियस पब्लिक स्कूल के बच्चों को तिवारी बाजार चौकी प्रभारी अजय तिवारी व राजेन्द्र कनौजिया ने बच्चों को यातायात के नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, कार चालकों को सीट बेल्ट पहनने की सलाह दी। बालिकाओं को उनकी सुरक्षा के सम्बंध में भी जानकारी दी। स्कूल के प्रधानाचार्य शिव जनम मिश्र, सर्वेश मिश्र, सुजीत तिवारी, राहुल इकबाल रहे।

इटियाथोक संवादाता के मुताबिक थाना पुलिस ने बाइक चालकों और सवार लोगों को भी हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया। पुलिस के आह्वान पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय इटियाथोक के बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली। इस मौके पर कोतवाल करुणाकर पांडेय, शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे ।

करनैलगंज में सड़क सुरक्षा पर कार्यक्रम आयोजित हुए: यातायात माह के तहत शुक्रवार को सर्किल क्षेत्र करनैलगंज अंतर्गत कन्हैया लाल इंटर कॉलेज एंव कौड़िया बाजार थाना क्षेत्र के भगहरियापुरे मितई स्थित स्व. अवधराम इंटर कालेज में सीओ मुन्ना उपाध्याय की अगुवाई में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी तरफ थाना कौड़िया बाजार क्षेत्र में स्थित अवधराम इंटर कालेज में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं को जागरूक किया गया।

बेटे संग मां ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार

गोण्डा। धानेपुर के ग्राम भगड़िया सीर बनकट निवासी दस वर्षीय लड़के की विपक्षियों ने पिटाई कर दी। उसके परिजनों का कहना है कि बच्चे के खिलाफ ही पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। पीड़ित बेटे को लेकर मां पूनम देवी ने एसपी से मिलकर न्याय दिलाए जाने की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि मामला बच्चों के बीच उपजे विवाद का था, लेकिन बड़ों ने आकर मामले को बड़ा बना दिया और पुलिस ने विपक्षियों की ओर से रिपोर्ट भी दर्ज कर ली है।

दबे पांव कातिल तक पहुंचने में जुटी पुलिस

फालोअप

- सात नवम्बर को लुधियाना से लौटे युवक की बाग में मिली थी लाश
- मां की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध दर्ज की थी हत्या की रिपोर्ट

धानेपुर, संवाददाता। तीन दिन पहले लुधियाना से घर लौटे युवक की हत्या के मामले में धानेपुर पुलिस बहुत ही फूंक-फूंककर कदम रख रही है। पुलिस ने पहले शव के पास से बरामद युवक के क्षतिग्रस्त मोबाइल का टचस्क्रीन ठीक कराया। इसके बाद पैटर्न लाक खोला और अब काल डिटेल व मोबाइल के अन्य तथ्यों की पड़ताल में जुटी है। वह कड़ी से कड़ी जोड़कर कातिलों तक पहुंचने की जुगत में है। पुलिस युवक के संबंधों को आधार बनाकर जांच आगे बढ़ा रही है।

यह है मामला : धानेपुर थाना क्षेत्र के मेहनौन गांव का रहने वाला युवक सुनील कुमार कश्यप पंजाब के लुधियाना में अपने पिता स्वामीनाथ के साथ रहकर प्राइवेट नौकरी करता था। पांच माह बाद वहां रहने के बाद वह सात नवम्बर को अपने गांव मेहनौन लौटा था। बताया जाता है कि इसी दिन 7 नवंबर की ही देर शाम घरवालों को बगैर बताए घर से निकला और वह लापता हो गया। परिजनों ने खोजबीन की लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। थकहार कर अगले दिन आठ नवंबर को मां कुसुमा देवी की ओर से धानेपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। गुरुवार सुबह गांव से बाहर एक बाग से उसका शव बरामद किया गया था। मां की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।

नजदीकी रिश्तेदार से पुलिस कर रही पूछताछ

हत्या के जल्द खुलासे में जुटी पुलिस मृतक युवक के एक खास रिश्तेदार से पूछताछ भी कर रही है। बताया जाता है कि पुलिस ने गुरुवार शाम युवक के रिश्तेदार को बुलाया और उसका मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लिया। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। एसओ संजय गुप्ता ने बताया कि पुलिस कई बिन्दुओं पर पड़ताल कर रही है। जल्द ही हत्या का खुलासा किया जाएगा।

भूमि विवाद में दबंगों ने मां-बेटी को पीटा, केस

उमरी बेगमगंज, संवाददाता। जमीनी विवाद में दबंगों ने की मां और बेटी की पिटाई करते हुए लहूलुहान कर दिया। इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए भाग खड़े हुए। मामला स्थानीय थानांतर्गत मंगुरा चौकी के नरदा गांव का है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों घायलों का मेडिकल कराकर दबंगों की तलाश शुरू कर दी है।

घटना के विषय में बताया जा रहा है कि नरदा निवासी शेषनाथ उपाध्याय का रघुनाथ तिवारी से जमीन संबंधी विवाद चल रहा है। इसको देखते हुए तहसील प्रशासन ने जमीन की पैमाइश कराकर सरहद निर्धारित कर दी थी। पूनम पत्नी शेषनाथ ने आरोप लगाया है कि गुरुवार को उनके विपक्षी रघुनाथ तिवारी, दद्दन तिवारी, मंजेश तिवारी ट्रैक्टर से जबरदस्ती खेत जुतवा रहे थे। उनकी बेटी रोली ने जब एतराज जताया तो सभी ने मिलकर उसे अपशब्द कहते हुए मारना शुरू कर दिया। जब वह भागकर बेटी को बचाने गई तब उन लोगों ने उसको भी लाठी-डंडों से मारते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया।

बाद में पड़ोसियों ने एंबुलेंस से उसे सीएससी बेलसर भर्ती कराया गया। थानाध्यक्ष कुबेर तिवारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ितों का मेडिकल करा कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

चोरी करने का आरोपी माल के साथ गिरफ्तार

गोण्डा। थाना कोतवाली नगर गोंडा क्षेत्र के अन्तर्गत मोबाइल चोरी करने के आरोपी शहबान पुत्र राजू निवासी पंतनगर फोरविसगंज थाना कोतवाली नगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक मोबाइल बरामद किया गया है

अवैध मादक पदार्थ के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

गोण्डा। थाना करनैलगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान आरोपी श्याम कुमार निषाद उर्फ पवन कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 180 नशीली गोलियां बरामद की है। आरोपी के विरूद्ध थाना करनैलगंज में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं, खरगूपुर पुलिस ने आरोपी रज्जन उर्फ ईशा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 120 नशीली गोलियां बरामद की है।

49 सिपाही किए गए लाइन हाजिर

गोण्डा। शुक्रवार देर शाम एसपी आकाश तोमर ने जिले के विभिन्न थानों में तैनात 49 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन सिपाहियों के खिलाफ पुलिस कप्तान को कई शिकायतें मिली थीं। इसलिए उनको थानों से हटाया गया है। सभी को तत्काल लाइन में पहुंचने को कहा है।

चार चौकी प्रभारियों की तैनाती में फेरबदल

गोण्डा । पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने चार चौकी प्रभारियों की तैनाती में फेरबदल किया है। उन्होंने चौकी प्रभारी बालपुर नीरज सिंह को चौकी सालपुर, चौकी प्रभारी सालपुर विनय पांडेय को चौकी बालपुर, चौकी प्रभारी पाण्डेय बाजार नागेश्वर नाथ पटेल को चौकी पहाड़ापुर और चौकी प्रभारी पहाड़ापुर अभिषेक मिश्रा को चौकी पांडेय बाजार का प्रभार सौंपा है। वहीं मुख्य आरक्षी मुनीब यादव को पुलिस लाइन से कटरा बाजार और आरक्षी दिनेश यादव को पुलिस लाइन से पेशी सीओ करनैलगंज भेजा गया है।

माफिया की संपत्ति कुर्क करने में लाएं तेजी

मंडल के पुलिस अफसरों के साथ डीआईजी ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा, कई जरुरी निर्देश दिए

निर्देश

गोण्डा, संवाददाता। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने शुक्रवार को रेंज के पुलिस अफसरों के साथ बैठककर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने चिन्हित माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई में ढिलाई पर नाराजगी जताई और माफिया के सम्पत्ति के कुर्की की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। डीआईजी ने संगीन मामलों के साथ ही महिलाओं से संबंधित अपराधों की विवेचना की भी समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर निकाय चुनाव पर भी चर्चा की गई।

उन्होंने कहा कि शासन स्तर से 50 माफिया चिन्हित किये गये हैं। जिसकी साप्ताहिक प्रगति आख्या एडीजी कानून व्यवस्था को भेजी जाती है। चिन्हित माफिया देवेन्द्र सिंह उर्फ गब्बर व रिजवान जहीर के विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही है। विशेषकर देवेन्द्र सिंह की अथाह सम्पत्ति अभी भी कुर्क किया जाना शेष है। साथ ही इनके विरुद्ध लम्बित विवेचनाओं में भी लापरवाही बरती जा रही है। इनकी गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत अवैध सम्पत्ति जब्तीकरण, ध्वस्तीकरण की कार्यवाही स्थानीय प्रशासन से मिलकर प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें । साथ ही इनके गैंग मेम्बरों के सदस्यों की पहचान कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाए और आय के अवैध तरीकों को पता कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाए।

शुक्रवार को अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करते मण्डलायुक्त व डीआईजी।

फर्जी बैनामों पर सख्ती : उन्होंने कहा कि जनपदों में फर्जी बैनामों आदि करने का गैंग सक्रिय है। उनके पिछले 10 वर्षों की मुकदमों की सूची भी निकाली जाये। यदि ऐसे भू-माफियाओ के विरुद्ध पूर्व में कोई आरोप पत्र प्रेषित किया गया है तो उसका सत्यापन करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अवगत कराया जाये।

झूठे मुकदमों की हो मानीटरिंग : कहा कि परिक्षेत्र के जनपदों में कुछ झूठे मुकदमें हत्या, छेडखानी, बलात्कार आदि के दर्ज कराये गये हैं। कुछ प्रकरण ऐसे है जहां नदी में डूबने अथवा एक्सीडेन्ट से मृत्यु होना प्रमाणित है फिर भी मृतक के परिवारीजन द्वारा हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है। ऐसे मुकदमों की विवेचना की मानीटरिंग किये जाने की आवश्यकता है। गम्भीर अपराध के मुकदमों की विवेचना की मानीटरिंग पुलिस अधीक्षक करें व समय निश्चित करते हुए ऐसे मुकदमों को खारिज अथवा अन्तिम रिपोर्ट भिजवायेंगे। इसी प्रकार से कम गम्भीर अपराधों की समीक्षा अपर पुलिस अधीक्षक करें। कई मुकदमों में फर्जी नामजदगी भी की जाती है उनमें मात्र विवेचक को यह निर्देश देना कि निर्दोष का नाम निकाल दिया जाये, पर्याप्त नही है। बल्कि उस मुकदमें की समय निश्चित करते हुए विवेचना से नाम निकाल कर कोर्ट भेजे जाने की आख्या भी मांगी जाये। डीआईजी ने दहेज हत्या, अवैध कटान और खनन, तस्करी के मामलों पर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

जल जीवन मिशन के कार्यों की जांच करें सीडीओ

गोण्डा। मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सीडीओ को निर्देश दिया कि विकास कार्यों की नियमित समीक्षा करें। समीक्षा के दौरान बहराइच जिले में आईजीआरएस के निस्तारण की प्रगति कम मिलने पर नाराजगी जताई। साथ ही चारों डीएम को पराली जलाने पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कहा। मंडलायुक्त ने अफसरों से कहा कि रबी सीजन के लिए खाद-बीज की उपलब्धता के साथ नहरों की साफ-सफाई समय कराएं। वहीं, सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं को तत्काल गौशालाओं में संरक्षित कराने के लिए कहा। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, अपर आयुक्त राकेश चंद्र शर्मा, डीएम डा. उज्ज्वल कुमार, एसपी आकाश तोमर, सीडीओ गौरव कुमार समेत अन्य अफसर रहे।

हाईवे पर खड़े ट्रक-डम्परों का चालान

करनैलगंज, संवाददाता। काफी देर से ही सही लेकिन अब पुलिस ने गोण्डा जरवल फोरलेन पर स्थित ट्रांसपोर्ट कार्यालयों के सामने हाईवे पर खड़े ट्रकों व डम्परों से हटाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को जब पुलिस टीम हाईवे पर पहुंची तो वहां बड़ी संख्या में अनाधिकृत रूप से ट्रक व डम्पर खड़े मिले।

पुलिस टीम पहुंचते ही यहां खड़े वाहन इधर उधर भागने लगे। जिस पर पुलिस टीम ने करीब डेढ़ दर्जन ट्रक व डम्परों पर 20 हजार रुपये का चालान कर दिया। कोतवाल सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई निरन्तर जारी रहेगी। अगर इसके बाद भी ट्रासंपोर्टर सड़क पर वाहन खड़ा कराने से बाज नहीं आते तो उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी। हाईवे को हर हाल में अनाधिकृत वाहनों से मुक्त रखा जायेगा। उधर, एआरटीओ शैलेन्द्र तिवारी ने बताया कि शुक्रवार को ओवरलोडेड वाहनों सहित यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले कुल 25 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए नौ वाहनों को सीज कर दिया गया। इस दौरान करीब एक लाख पच्चीस हजार का चालान भी किया गया। यातायात नियमों के विरूद्ध चलने वाले वाहनों को कतई भी बख्शा नहीं जायेगा।

दहेज हत्या के दोषी पति को उम्रकैद

अदालत से

गोण्डा, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी अग्रवाल ने दहेज हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पांडेय के अनुसार थाना इटियाथोक में 16 फरवरी 2017को ब्रह्मदेव अवस्थी ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने अपनी बहन आरती की शादी थाना कोतवाली कोतवाली देहात अंतर्गत ग्राम सालपुर धौताल निवासी राघवेन्द्र मिश्रा के साथ की थी। दहेज की मांग को लेकर बहन को पति व उसके घर वाले प्रताड़ित करते थे । उसे सूचना मिली कि उसकी बहन को मारकर फांसी पर लटका दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना करने के बाद आरोप पत्र अदालत पर भेज दिया। आरोपी के अधिवक्ता व अभियोजन पक्ष की बहस व दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दहेज हत्या का दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी पति को उम्रकैद व दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

तीन गैंगस्टर आरोपियों को पांच वर्ष की सजा सुनाई

गोंडा। अपर सत्र न्यायाधीश अनामिका चौहान ने तीन गैंगस्टर आरोपियों को पांच वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विशेष लोक अभियोजक उदय प्रताप वर्मा के अनुसार थाना बड़हलगंज जिला गोरखपुर निवासी मृत्युंजय तिवारी, कोतवाली देहात के सोनबरसा निवासी सुरेंद्र गोस्वामी तथा जंगल छत्रधारी टोला लालगंज जिला गोरखपुर निवासी करन जायसवाल के ऊपर पुलिस ने गैंगस्टर की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। प्रकरण की विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत पर भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस व दलीलों को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का गहन अवलोकन करने के पश्चात आरोपी को दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए प्रत्येक को पांच वर्ष का सश्रम कारावास तथा बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की सजा

गोंडा, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म करने के आरोपी को दस वर्ष की कैद व पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

पुलिस मीडिया सेल के अनुसार थाना वजीरगंज के अंतर्गत महादेवा गांव निवासी पेशकार गोस्वामी पुत्र राम भजन के विरुद्ध दुष्कर्म करने की धाराओं में का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत पर भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस व दलीलों को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का गहन अवलोकन करने के पश्चात आरोपी को दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए आरोपी को दस वर्ष का सश्रम कारावास तथा पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अलग-अलग हादसों में चार लोगों ने दम तोड़ा

- बलरामपुर के दो लोगों ने गंवाई हादसे के बाद जान
- करनैलगंज में ट्रेन से कटकर अधेड़ की मौत

गोण्डा, संवाददाता। अलग-अलग स्थानों पर हुई दुर्घटनाओं में चार लोगों ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के गोसाई पुरवा ग्राम निवासी 50 वर्षीय राम स्वरूप पुत्र गोकुल की करनैलगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर मौत हो गई। वहीं, बलरामपुर जनपद के ललिया थाना क्षेत्र के शेखापुर ग्राम के 45 वर्षीय मालिक राम पुत्र राम नरेश व 35 वर्षीय राधेश्याम पुत्र सकटु बाइक से कठौवा ग्राम गए हुए थे। वहीं से निकले ही थे कि एक स्कूली वैन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गम्भीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर दोनों को गोण्डा के जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। गोण्डा लाते समय मालिक राम की मौत हो गई। वहीं, राधेश्याम को लखनऊ ले जाते समय रास्ते मे मौत हो गई। मालिक राम कठौवा ग्राम अपने मौसी के घर मिलने गया था। लौटते समय घटना घट गई। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के लौव्वा टेपरा गांव निवासी रामदेव सिंह पुत्र भगौती गांव के बाहर घर का सामान खरीदने गया था। किसी वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई।

छिटनापुर में हुई वारदात, देहरादून में सपरिवार रहता है गृहस्वामी

बदमाशों ने चौकीदार को बंधक बनाकर घर लूटा

वारदात

- हजारों की नकदी और जेवरात अपने साथ ले गए बदमाश
- जाते वक्त बदमाशों ने बीस लाख की व्यवस्था करने को कहा

लपुर, संवाददाता। कटराबाजार नाक्षेत्र के छिटनापुर गांव में गुरुवार रात चौकीदार को बंधक बनाकर बदमाशों ने हजारों की नकदी व जेवरात लूट लिए। जाते-जाते बदमाश 15 दिन में बीस लाख रुपये और व्यवस्था करने की बात कह गए। तड़के ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई। इस पर लोगों ने पुलिस को फोन किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चौकीदार को बंधनमुक्त कराया। चौकीदार ने कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी है। उधर, पुलिस गृहस्वामी के आने का इंतजार कर रही है।

घटना कटराबाजार थानक्षेत्र के ग्राम छिटनापुर गांव निवासी अशोक कुमार मिश्रा पुत्र गनपति प्रसाद मिश्रा के घर हुई। बताया जा रहा है कि गृहस्वामी अधिकतर सपरिवार देहरादून में रहते हैं। वहीं, वह कामकाज करते हैं। लोगों ने बताया कि गांव के बाहर अशोक कुमार मिश्रा ने एक बड़ा मकान बनवाकर चौकीदार राम सागर के भरोसे छोड़ रखा है। इसकी निगरानी के लिए उन्होंने सीसीटीवी कैमरे भी लगवा रखे हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात में करीब आधा दर्जन अज्ञात बदमाश अशोक के घर आ धमके। चौकीदार राम सागर को बुलाकर दरवाजा खुलवाया और घर में घुस गए।

बताया जा रहा है कि बदमाशों ने चौकीदार को पकड़कर घर के अंदर बरामदे के पिलर में बांध दिया। इसके बाद निश्चित होकर लूटपाट की। चौकीदार ने बताया कि जाते वक्त बदमाशों ने कहा कि अपने मालिक से कह देना कि बीस लाख रुपए की व्यवस्था रखें, पंद्रह दिन बाद फिर आयेंगे। सुबह नित्यक्रिया के लिए निकले तो चौकीदार की चीखपुकार सुनकर मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही हलधरमऊ चौकी इंचार्ज अजय पांडेय भी फोर्स के साथ पहुंच गए। पुलिस ने चौकीदार को बंधनमुक्त कराया।

कोतवाली नगर अंतर्गत छावनी सरकार निवासी गृहस्वामी के रिश्तेदार अमरदीप तिवारी ने थाने पर घटना तहरीर दी है जिसमें सत्तर हजार नकदी व लाखों के जेवरात लूटने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में एसओ कटराबाजार चितवन कुमार ने बताया कि अशोक के दामाद ने तहरीर दी थी। फोन पर बातचीत होने के बाद अशोक ने खुद आकर तहरीर देने की बात की है। उन्होंने अपने किसी करीबी पर ही शक होने की बात कही है। उनके आने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

चार चौकी प्रभारियों को मिली नई तैनाती

संसू, गोंडा : पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने चार चौकी प्रभारी समेत छह उप निरीक्षकों का तबादला कर अलग तैनाती दी है। चौकी प्रभारी बालपुर नीरज सिंह को सालपुर चौकी का प्रभारी बनाया गया है। सालपुर के चौकी प्रभारी विनय कुमार पांडेय को बालपुर, चौकी प्रभारी पांडेय बाजार नागेश्वरनाथ पटेल को पहाड़ापुर व पहाड़ापुर के चौकी प्रभारी अभिषेक मिश्र को पांडेय बाजार का चौकी प्रभारी बनाया गया है। मुख्य आरक्षी मनीब यादव को कटरा बाजार व आरक्षी दिनेश यादव को क्षेत्राधिकारी कार्यालय कर्नलगंज में तैनात किया गया है।

गोंडा-लखनऊ राजमार्ग पर नौ वाहन सीज, 25 चालकों का चालान

संसू, कर्नलगंज (गोंडा) : पुलिस ने गोंडा-लखनऊ राजमार्ग पर अनाधिकृत खड़े ट्रक व डंपर चालकों का चालान किया है। कोतवाल सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेंद्र तिवारी ने कहा कि 25 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है। नौ वाहनों को सीज किया गया। 1.25 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।

हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास,दस हजार रुपये का अर्थदंड

जासं, गोंडा : अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसीएक्ट डा.पल्लवी अग्रवाल ने हत्या के मामले में आरोपित राघवेंद्र मिश्र उर्फ पप्पू निवासी अवस्थी पुरवा सालपुर धौताल कोतवाली देहात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। ब्रह्मदेव अवस्थी की तहरीर पर देहात कोतवाली में 16 फरवरी 2017 को केस दर्ज था। ब्रह्मदेव का आरोप था कि दहेज के लिए उसकी बहन कीससुरालवालों ने हत्या कर दी।

पुलिस चौकी पर लगती है पाठशाला

पंकज मिश्र • कर्नलगंज (गोंडा)

खाकी की कार्य प्रणाली पर अक्सर सवाल उठता है लेकिन, चचरी पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही मुहम्मद जाफर के कार्य की चहुंओर प्रशंसा हो रही है। वह पदीय दायित्वों के निर्वहन के साथ ही चौकी पर पाठशाला संचालित करते हैं। यहां गुमदहा, चंद्रभानपुर, पाल्हापुर व नकार के बच्चे पढ़ाई करते हैं। इतना ही नहीं, जरूरतमंद छात्रों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराते हैं।

सुशिक्षित समाज

जिला महाराजगंज थाना सोनौली के ग्राम भगवानपुर के मूल निवासी मुहम्मद जाफर की दो माह पूर्व ही चौकी पर तैनाती हुई है लेकिन, इतने कम समय में ही उन्होंने खास पहचान बना ली है। पेड़ के सहारे बोर्ड लगाकर 100 से अधिक बच्चों को शिक्षा देते हैं।

अभाव के बीच की पढ़ाई, अब दे रहे ज्ञान: सिपाही का कहना है कि उनके पिता वसी अहमद कृषि व दर्जी का काम करते हैं। मां इलामुन्निशा भी सिलाई के काम में हाथ बंटाती हैं। तंगहाली में पढ़ाई की। गोरखपुर से गणित में बीएससी करने के बाद प्रयागराज यूपीपीसीएस की तैयारी करने चले गए। रुपये के अभाव में मुश्किल का सामना करना पड़ा। एमएससी के दौरान पुलिस की नौकरी मिल गई। चौकी पर तैनाती मिली तो यहां कई बच्चे इधर-उधर घूमते मिले। स्वजन के कम पढ़ा-लिखा होने के कारण पढ़ाई को लेकर बच्चों की परेशानी देखकर पाठशाला शुरू की है। साथ ही वह सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है।

कर्नलगंज के चचरी पुलिस चौकी के पास बच्चों को पढ़ाते सिपाही मुहम्मद जाफर • जागरण

सिपाही का प्रयास सराहनीय

जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने कहा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सिपाही का कार्य सराहनीय है। दूसरे लोग भी प्रेरणा लेकर आगे आए।

मारपीट के आरोपित गिरफ्तार

आर्यनगर : मारपीट करने के आरोपित बसभरिया गांव निवासी महेश व रोहित कुमार को प्रधान आरक्षी गजानन पाठक, अंगद सिंह व श्वेत यादव ने गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष शिल्पा वर्मा ने कहा कि आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। (संस)

मिशन शक्ति : बालिकाओं को दी अधिकारों की जानकारी, आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए

संसू, वजीरगंज (गोंडा) : मिशन शक्ति अभियान के तहत टिकरी स्थित कन्हैया बक्स सिंह स्मारक इंटर कालेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बालिकाओं को अधिकारों की जानकारी दी गई। उनको आत्मरक्षा का गुर सिखाया गया। थानाध्यक्ष चंद प्रकाश सिंह ने दहेज उत्पीड़न, छेड़छाड़, बाल अपराध, एसिड अटैक, साइबर अपराध को लेकर जागरूक किया। महिला आरक्षी पूजा वर्मा व नीशू सिंह ने कालेज की छात्राओं से संवाद किया। उनकी समस्याओं को सुना। अधिकारों के लिए लड़ने की सीख दी। हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में बताया। महिला कानूनों की जानकारी दी गई।

माफिया गब्बर की अवैध संपत्ति कुर्क कर ध्वस्तीकरण का निर्देश

संसू, गोंडा : पुलिस उप महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र उपेंद्र अग्रवाल ने चारों जिलों के पुलिस अधीक्षक की बैठक कर मंडलीय अपराध समीक्षा की। डीआइजी ने कहा कि शासन स्तर से 50 माफिया चिह्नित किए गए हैं। इनकी साप्ताहिक प्रगति आख्या अधिकारियों को भेजी जाती है। कहा कि गत कुछ समय से चिह्नित माफिया बहराइच के देवेंद्र उर्फ गब्बर व बलरामपुर के रिजवान जहीर के विरुद्ध अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है।

उपेंद्र अग्रवाल ,डीआईजी

डीआइजी ने निर्देश दिया कि माफिया देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर की संपत्ति अभी कुर्क किया जाना है। इसके विरुद्ध लंबित विवेचना में भी लापरवाही बरती जा रही है। यह स्थिति ठीक नहीं है। कहा कि गिरोहबंद अधिनियम के तहत अवैध संपत्ति को जब्त कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इसके साथ ही इनके गैंग के सदस्यों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। डीआइजी ने कहा कि जिलों में फर्जी बैनामा करने वालों का गैंग सक्रिय है। उनके पिछले दस वर्षों की मुकदमों की सूची भी खंगाली जाए। ऐसे भू माफिया के विरुद्ध पूर्व में कोई आरोप पत्र भेजा गया है तो उसका सत्यापन कर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाए।

हेलमेट लगाएं, बाइक चलाते समय फोन न उठाएं

संवाद न्यूज एजेंसी

करनैलगंज (गोंडा)। यातायात माह के तहत शुक्रवार को सर्किल क्षेत्र करनैलगंज के कन्हैया लाल इंटर कॉलेज एवं कौड़िया बाजार थाना क्षेत्र के भगहरियापूरे मितई स्थित अवधराम इंटर कॉलेज में सीओ मुन्ना उपाध्याय की अगुवाई में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस मौके पर छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। सीओ ने कहा कि बाइक चलाते समय हेलमेट लगाएं। साथ ही कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। सड़कों पर ड्राइव के दौरान मोबाइल का उपयोग न करें। प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह व कस्बा चौकी प्रभारी दिवाकर मिश्र ने भी यातायात नियमों की जानकारी दी।

कन्हैयालाल इंटर कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते सीओ। -संवाद

इस मौके पर प्रधानाचार्य डीपी मौर्य, एनसीसी मेजर राजाराम, स्काउट प्रभारी अमित श्रीवास्तव, प्रवक्ता नरेंद्र बहादुर सिंह, एसआई मनीष कुमार, आरक्षी अभय यादव, विकास कुमार, संदीप सिंह आदि मौजूद रहे।

कॉलेज में थाना प्रभारी शिल्पा वर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कहा कि लज्जा जरूरी है मगर इतनी न हो कि वह परिवार और छात्राओं लिए घातक हो जाए। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य सुजीत कुमार सिंह, आशीष कुमार तिवारी, योगेंद्र सिंह, आजाद गुप्ता, अंकित यादव, अभिषेक तिवारी, एसआई विद्यासागर पांडेय, ब्रजेश कुमार मौजूद रहे।

कोर्ट ने तीन दिन में मांगा जवाब

करनैलगंज (गोंडा)। न्यायालय के आदेश के बाद भी खेती करने से मना करने पर पुलिस से तीन दिन में जवाब-तलब किया है। करनैलगंज ग्रामीण निवासी गायत्री देवी ने मुख्यमंत्री पोर्टल के माध्यम से कोतवाली को ऑनलाइन तहरीर भेजी है। तहरीर में कहा गया है कि गांव करनैलगंज ग्रामीण स्थित जमीन पर स्थगन आदेश पारित है। कुछ लोग उस पर कृषि कार्य करने से रोक रहे थे। अवैध हस्तक्षेप रोकने के लिए एसडीएम ने आदेश दिया। पुलिस ने उसका अनुपालन नहीं किया। पीड़िता के अधिवक्ता देवप्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि उच्च न्यायालय लखनऊ में याचिका प्रस्तुत की। न्यायालय ने कार्रवाई का ब्यौरा तीन दिवस में पेश करने का निर्देश पुलिस को दिया है। (संवाद)

चार चौकी प्रभारियों का तबादला

गोंडा। पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने शुक्रवार को चार चौकी प्रभारियों का तबादला किया है। एसपी ने बताया कि बालपुर चौकी प्रभारी रहे नीरज सिंह को चौकी प्रभारी सालपुर, यहां तैनात रहे विनय कुमार पांडेय को चौकी प्रभारी बालपुर बनाया गया है। पांडेय बाजार चौकी प्रभारी नागेश्वरनाथ पटेल को चौकी प्रभारी पहाड़ापुर बनाया गया है। यहां तैनात रहे चौकी प्रभारी अभिषेक मिश्रा को चौकी प्रभारी पांडेय बाजार का दायित्व सौंपा गया है। जबकि पुलिस लाइन से मुख्य आरक्षी मुनीब यादव को थाना कटरा बाजार व आरक्षी दिनेश यादव को सीओ करनैलगंज के कार्यालय में तैनाती दी गई है। (संवाद)

तीन गैंगस्टरों को पांच साल का सश्रम कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी

गोंडा। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट डॉ. अनामिका चौहान ने गैंगस्टर एक्ट में गैर जनपद निवासी दो अपराधियों समेत तीन आरोपी अभियुक्तों को पांच वर्ष का कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट उदय प्रताप वर्मा व दान बहादुर सिंह ने बताया कि 21 मार्च 2016 को परसपुर थाने की पुलिस ने मृत्युंजय तिवारी निवासी संसारपार, बड़हलगंज, करन जायसवाल निवासी जंगल छत्रधारी टोला लालगंज थाना पिपराइच, गोरखपुर व सुरेंद्र गोस्वामी निवासी ग्राम सोनबरसा कोतवाली देहात गोंडा पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की।

मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट डॉ. अनामिका चौहान ने दोषसिद्ध अभियुक्त मृत्युंजय तिवारी, करन जायसवाल व सुरेंद्र गोस्वामी को उप्र गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अपराध में पांच वर्ष का कारावास व 20-20 हजार अर्थदंड से दंडित किया है।

महिला की हत्या में दोषी पति को उम्रकैद, ससुर दोषमुक्त

गोंडा। दहेज मांगने व हत्या के जुर्म में विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने आरोपी पति को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में संदेह से परे अपराध सिद्ध न होने पर न्यायालय ने आरोपी ससुर को दोषमुक्त करार दिया ।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी घनश्याम पांडेय ने बताया कि वादी ब्रहमदेव अवस्थी ने 16 फरवरी 2017 को कोतवाली देहात में केस दर्ज कराया कि छह साल पहले उसने अपनी बहन आरती का विवाह राघवेंद्र मिश्रा उर्फ पप्पू निवासी अवस्थीपुरवा शालपुर द्यौतक थाना कोतवाली देहात के साथ किया था। शादी के बाद से ही बहन के पति राघवेंद्र मिश्रा उर्फ पप्पू, ससुर श्याम बिहारी, सास मोतीमनी उर्फ किरन, देवर शैलेंद्र व देवरानी मनसा देवी उर्फ गुड़िया मोटर साइकिल व 72 हजार रुपए नकदी की मांग कर प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न कर पाने पर उसकी बहन को मारकर फंदे पर लटका दिया।

पुलिस ने पुख्ता साक्ष्य के आधार पर पति राघवेंद्र मिश्रा उर्फ पप्पू, ससुर श्याम बिहारी और सास मोतीमनी उर्फ किरन के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मुकदमे के दौरान मोतीमनी की मौत हो गई। पुख्ता साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने राघवेंद्र मिश्रा उर्फ पप्पू को दोषसिद्ध किया। साक्ष्य न मिलने पर आरोपी ससुर श्याम बिहारी को दोषमुक्त कर दिया। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने अभियुक्त राघवेंद्र मिश्रा उर्फ पप्पू को पत्नी की हत्या व दहेज उत्पीड़न के अपराध में आजीवन कारावास और 20 हजार अर्थदंड से दंडित किया है। (संवाद)

गब्बर व रिजवान पर नहीं हुई कार्रवाई, डीआईजी नाराज

अपराध समीक्षा बैठक में कई मामलों में सख्ती के निर्देश

संवाद न्यूज एजेंसी

गोंडा। पुलिस उपमहानिरीक्षक उपेंद्र अग्रवाल ने मंडल के चारों जिलों के कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने चिन्हित माफिया देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर और रिजवान जहीर के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई न होने पर चेतावनी दी। कहा कि दोनों माफियों की संपत्तियों को जब्त करें। साथ ही गैंग के सदस्यों की पहचान करें।

मंडल में फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाने पर नाराजगी जताई। समीक्षा के दौरान कहा कि किसी भी मामले में निर्दोष व्यक्ति न फंसे। दहेज हत्या के मामलों में फर्जी नामजदगी की जानकारी के बाद विवेचकों के शोषण पर नाराजगी जताई। कहा कि विवेचना में सही तथ्य सामने आए। अवैध कटान व अवैध खनन के प्रकरणों में सख्ती से कार्रवाई करने पर जोर दिया। सीमावर्ती थानों की मिलीभगत से हो रही तस्करी रोकने और मिलीभगत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दिया।

डीआईजी ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम के दस मुकदमों की वह पैरवी कर रहे हैं, उनके गवाहों की उपस्थिति

गोंडा स्थित कार्यालय में बैठक करते डीआईजी। -संवाद

सुनिश्चित कराएं। व्यापारियों के साथ हर माह बैठक करने और हर प्रतिष्ठान से समन्वय स्थापित कर सीसीटीवी लगाने पर जोर दिया। कहा कि छेड़खानी / बलात्कार आदि गंभीर प्रकरणों में अभियोग पंजीकरण में विलंब न हो।

बलरामपुर में बढ़ा महिला अपराध

डीआईजी ने जिलों में बढ़ रहे अपराधों पर रोकथाम पर जोर दिया। हत्या में बलरामपुर में विगत वर्ष के सापेक्ष छह, बहराइच में 18 की बढोत्तरी, लूट के मामलों में जनपद बलरामपुर में विगत वर्ष के सापेक्ष दो, डकैती में शून्य के सापेक्ष एक, गृहभेदन में जनपद श्रावस्ती में 10 के सापेक्ष 22 की बढोत्तरी मिला।

महिला संबंधी अपराधों में हत्या में बलरामपुर में एक के सापेक्ष चार बढ़े हैं। बहराइच में नौ के सापेक्ष 11 की बढोत्तरी, बलात्कार में बलरामपुर में तीन के सापेक्ष सात, बहराइच में 21 के सापेक्ष 33 व श्रावस्ती में छह के सापेक्ष सात मामले अधिक मिले। शीलभंग में गोंडा में 63 के सापेक्ष 72, बलरामपुर में 46 के सापेक्ष 49, बहराइच में 147 के सापेक्ष 252 की बढोत्तरी, अपहरण में बहराइच में 281 के सापेक्ष 299, श्रावस्ती में 55 के सापेक्ष 58 की बढोत्तरी, दहेज मृत्यु में बलरामपुर में सात के सापेक्ष 13, बहराइच में 35 के सापेक्ष 39 की बढ़ोत्तरी हुई है।

दुष्कर्मी जेठ को 10 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी

गोंडा। वजीरगंज थाना क्षेत्र में विवाहित युवती से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम डॉ. दीनानाथ तृतीय ने अभियुक्त जेठ को 10 साल का कठोर कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि वजीरगंज थाना क्षेत्र की एक विवाहित महिला ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि 29 मई 2019 को उसके पति व जेठानी बाहर गए हुए थे। अकेले का फायदा उठाकर जेठ ने रात 11 बजे घर के कमरे में दुष्कर्म किया। महिला की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और दुष्कर्म के अपराध का साक्ष्य मिलने पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

विचारण के दौरान न्यायालय ने अपराध साबित होने पर आरोपी को दोषसिद्ध किया। मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम डॉ. दीनानाथ तृतीय ने अभियुक्त को दुष्कर्म के अपराध में 10 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।

अदालत के आदेशानुसार जुर्माने की धनराशि में से 75 फीसदी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रुप में अदा की जाएगी।

हत्या के प्रयास के दो अभियुक्तों को सजा

बलरामपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2017 में दर्ज कराए गए मारपीट व हत्या के प्रयास के मामले में कोतवाली देहात के अमवा निवासी इमाम अली व तूफान को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। ऑपरेशन शिकंजा के तहत इस मामले की पैरवी मॉनीटरिंग सेल प्रभारी केके यादव व विशेष लोक अभियोजक कुलदीप सिंह ने की है। (संवाद)

BALRAMPUR POLICE

सराहनीय कार्य दिनांकः- 12-11-2022

निकाय चुनाव की शुरू करें तैयारी : एसपी

पचपेड़वा (बलरामपुर)। निकाय चुनाव को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दें। एक-एक बूथ की स्थिति का परीक्षण करके हर गतिविधि पर नजर रखें। साथ ही पुलिसकर्मी जनता का विश्वास अर्जित करें। ये बातें एसपी राजेश कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को पचपेड़वा थाने में आयोजित ग्राम प्रहरियों व पुलिसकर्मियों की बैठक में कहीं।

एसपी ने प्रभारी निरीक्षक आलोक राव से अब तक की स्थिति के बारे में जानकारी ली। एएसपी नम्रिता श्रीवास्तव ने ग्राम प्रहरियों को क्षेत्र में सक्रिय रहकर महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्र करने के साथ ही संदिग्ध लोगों के बारे में सूचनाएं देने को कहा। कार्यक्रम में ग्राम प्रहरियों को कंबल, पैंट-शर्ट व साफा वितरित किया गया। साथ ही पुलिसकर्मियों के लिए बनवाए गए आधुनिक भोजनालाय का भी शुभारंभ किया। बाद में ग्राम प्रधानों संग भी एसपी ने बैठक की। कार्यक्रम में सीओ तुलसीपुर कुंवर प्रभात सिंह, सीओ सदर ज्योति श्री, सीओ राघवेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। (संवाद)

अवैध तमंचे के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया

बलरामपुर। थाना गैंड़ास बुजुर्ग पुलिस ने तमंचे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उपनिरीक्षक कृष्णानंद पांडेय ने बताया कि कांस्टेबल प्रदीप पासवान व गौतम यादव के साथ रात गश्त के दौरान गिरफ्तार किया गया है।

एक माह बाद कब्र से शव निकालकर पीएम को भेजा

महराजगंज तराई। स्थानीय पुलिस ने एक माह बाद वृद्ध के शव को कब्र से निकलवाकर शुक्रवार को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रकरण में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज है, जिसमें एक अभियुक्त को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। मामला थाना क्षेत्र के पूरेकक्स छतईडीह गांव का है।

जहानडीह बनघुसरा निवासी मुख्तार ने बताया कि छह अक्टूबर को पूरेबक्स छतईडीह निवासी उनके 65 वर्षीय बहनोई तजम्मुल को भूमि विवाद के कारण गांव के ही हकीम उनकी पत्नी, पुत्री व अन्य लोगों ने बुरी तरह मारा पीटा था। उस समय पानी भरा था। मुख्तार की बहन ने घटना के दूसरे दिन थाने में तहरीर दी थी।

तजम्मुल का इलाज नहीं कराया जा सका। नौ अक्टूबर को घर पर ही उनकी मौत हो गई। 11 अक्टूबर को मुख्तार बहनोई का शव बनघुसरा ले आए और वहीं दफना दिया। प्रभारी निरीक्षक अशोक सिंह ने बताया कि मजिस्ट्रेट की देखरेख में शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए

दो वारंटी गिरफ्तार

बलरामपुर। थाना हर्रैया पुलिस ने दो वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार पांडेय ने बताया कि बनकटवा निवासी राजराम पुत्र नदलू व परसपुर कमदा निवासी जागवली पुत्र नाममून अलग-अलग मामले में न्यायालय से वांछित चल रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है।

घर लौट रहा युवक जहरखुरानी का शिकार

रेहरा बाजार, संवाददाता। ग्राम उपाध्यायपुर के मजरा चमरौटी थाना कोतवाली मनकापुर गोण्डा निवासी 30 वर्षीय राम सूरत लुधियाना पंजाब से अपने घर आ रहा था।

सफर के दौरान वह जहर खुरानी का शिकार हो गया। राम सूरत की पत्नी अनीता देवी ने बताया कि मेरे पति लुधियाना पंजाब में मेहनत मजदूरी करते थे। वह वहां से घर आ रहे थे। गुरूवार सुबह फोन पर लखनऊ पहुंचने पर बात हुई हुई थी। करीब एक घंटे उनका फोन बंद हो गया। काफी देर तक फोन से सम्पर्क न होने पर परिजनों को चिंता सताने लगी। काफी खोजबीन के बाद भी कोई पता नहीं चल सका। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शुक्रवार सुबह पुलिस को खबर मिली कि मनकापुर-रेहरा मार्ग पर एक युवक बेहोशी की हालत में पड़ा है। मौके पर पहुंचकर युवक को एंबुलेंस से पीएचसी रेहरा बाजार में भर्ती कराया गया, जिसके बाद युवक के परिजनों को सूचना दी गई।

ग्रामीणों ने की पुलिस से शिकायत

ललिया। हर्रैया थाना क्षेत्र के महादेव बांकी गांव के ग्रामीणों ने कोटेदार के विरुद्ध राशन न देने व मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाने पर तहरीर दी है। आरोप लगाया है कि कोटेदार के यहां राशन लेने जाने पर अंगूठा नहीं लगवाया जाता है। विरोध करने पर कोटेदार मारपीट करते हैं। शुक्रवार को ग्रामीण श्याम लाल, दयाराम, संतोष कुमार, कमलेश कुमार, बरकत अली तथा झगरू प्रसाद आदि लोगों ने इसकी शिकायत पूर्ति निरीक्षक समेत हर्रैया थाने पर की है।

विद्यालय में चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

बलरामपुर। आखिरकार मित्र पुलिस को परिषदीय विद्यालय में चोरी की घटना का एफआईआर दर्ज ही करना पड़ा। प्राथमिक शिक्षक संघ के दबाव में पूर्व माध्यमिक विद्यालय भकचाहिया म बीते दिन अज्ञात चोरों ने स्कूल का ताला तोड़कर छत पर छह सोलर पैनल लगे थे। जिसमें पांच पैनल चोर उठा ले गए।

जहर खुरानी का शिकार युवक अस्पताल में भर्ती

संवादसूत्र, रेहरा बाजार (बलरामपुर) : 30 वर्षीय युवक राममूरत जहर खुरानी का शिकार हो गया। सुबह राहगीरों की सूचना पर 108 एम्बूलेंस से मनकापुर रेहरा बाजार मार्ग के किनारे बेहोश युवक को पीएचसी रेहरा बाजार में भर्ती कराया गया। रेहरा बाजार थाने की पुलिस ने युवक की शिनाख्त कर परिवारजन को सूचना दी।

जहर खुरानी के शिकार युवक की पत्नी गोंडा जिले के कोतवाली मनकापुर निवासी अनीता देवी ने बताया कि पति राममूरत लुधियाना पंजाब में मजदूरी करते हैं। वहां से घर आ रहे थे। 10 नवंबर की सुबह फोन पर लखनऊ पहुंचने पर बात हुई थी। उसके एक घंटे के बाद उनका मोबाइल बंद हो गया। परिवारजन ने उनकी तलाश की। रेहरा बाजार पुलिस से सूचना मिली कि वह अस्पताल में भर्ती हैं। पीएचसी रेहरा बाजार के प्रभारी चिकित्साधिकारी एससी भारती ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

******

एक माह बाद कब्र से शव निकाल पोस्टमार्टम को भेजा

संवादसूत्र, महराजगंज तराई (बलरामपुर) : पुलिस ने एक माह बाद वृद्ध के शव को कब्र से निकलवाकर शुक्रवार को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रकरण में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज है, जिसमें एक अभियुक्त को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। मामला थाना क्षेत्र के पूरेबक्स छतईडीह गांव का है।

जहानडीह बनघुसरा निवासी मुख्तार ने बताया कि छह अक्टूबर को पूरेबक्स छतईडीह निवासी उनके 65 वर्षीय बहनोई तजम्मुल को भूमि विवाद के कारण गांव के ही हकीम उनकी पत्नी, पुत्री व अन्य लोगों ने बुरी तरह मारा पीटा था। उस समय चारों ओर बाढ़ का पानी भरा था। मुख्तार की बहन ने घटना के दूसरे दिन थाने में तहरीर दी थी। बाढ़ के कारण तजम्मुल का इलाज नहीं कराया जा सका। नौ अक्टूबर को घर पर ही उनकी मौत हो गई। जलभराव के कारण अन्त्येष्टि भी नहीं हो सकी। 11 अक्टूबर को मुख्तार अपने बहनोई का शव बनघुसरा ले आए और वहीं दफना दिया। बाद में पुलिस ने मामले को गैर इरादतन हत्या में दर्ज कर हकीम को जेल भेज दिया।

कार्डधारकों से मारपीट में कोटेदार व अन्य पर केस

संवादसूत्र, हरैया सतघरवा (बलरामपुर) : स्थानीय थाना क्षेत्र के महादेव बांकी गांव के ग्रामीणों ने कोटेदार के विरुद्ध राशन न देने व मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाने पर तहरीर दी है। तहरीर में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कोटेदार के यहां राशन लेने जाने पर अंगूठा नहीं लगवाया जाता है। विरोध करने पर मारपीट की जा जाती है।

शुक्रवार को ग्रामीण श्यामलाल, दयाराम, संतोष कुमार, कमलेश कुमार, अमरेश कुमार, चेतराम, इस्लाम, वकील यादव, रुखसाना, सरजू देई, अमेरिका प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, बरकत, अली व झगरू प्रसाद ने इसकी शिकायत पूर्ति निरीक्षक समेत हरैया सतघरवा थाने पर की है। प्रभारी थानाध्यक्ष रमाकांत तिवारी ने बताया कि महादेव बांकी गांव निवासी मालिकराम मौर्य ने राशन न देने, मारपीट व गाली गलौज से संबंधित प्रार्थना पत्र दिया है। कोटेदार जुम्मन हुसैन व उनके अन्य सहयोगियों के विरुद्ध समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जांच की जा रही है। कोटेदार जुम्मन हुसैन का कहना है कि चुनावी रंजिश के कारण मुझे फंसाया गया है। खुद मेरे साथ मारपीट की गई है।

दो चोर गिरफ्तार –संसू, हरैया सतघरवा : हरैया थाना की पुलिस ने चोरी व मारपीट करने वाले दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक रमाकांत तिवारी ने बताया कि थाना वनकटवा गांव निवासी सहजराम व परसपुर कमदा गांव निवासी जागवली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

सराफ से ठगी के दो आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर। श्रीदत्तगंज में सराफा व्यवसायी से ठगी का मामला सामने आया है। बाइक से पहुंचे दो युवकों ने सराफा व्यवसायी से सोने की दो चेन खरीदीं और उसके बदले नकली सोने की चेन देकर भाग गए। पुलिस ने गोंडा के दो युवकों को सोने की दोनों चेन के साथ गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया है। एएसपी नम्रिता श्रीवास्तव ने बताया कि श्रीदत्तगंज में मोहम्मद शकील की सराफा की दुकान है। बुधवार दोपहर बाइक से पहुंचे युवकों ने शकील को सोने की चेन देते हुए कहा कि डॉक्टर साहब ने दी है। इसे बदलकर नई चेन लेनी है। शकील के मुताबिक दोनों युवक सोने की दो चेन लेकर चले गए। पता चला कि वे दोनों सोने की जो चेन देकर गए थे, वह नकली है। शकील ने थाने में सूचना दी। एसओ विपुल पांडेय की अगुवाई में पुलिस टीम ने छानबीन कर धानेपुर की पूरब गली निवासी हरीश कुमार व महेशभारी निवासी शैलेंद्र कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया है। (संवाद)

सड़क किनारे बेहोश मिला युवक

रेहरा बाजार। मनकापुर-रेहरा बाजार मार्ग पर शुक्रवार सुबह सड़क किनारे एक युवक बेहोश पड़ा मिला। पुलिस ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया। बाद में उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पता चला कि युवक का नाम राममूरत है। वह मनकापुर के उपाध्यायपुर का रहने वाला है। वह लुधियाना से घर आ रहा था। प्रभारी निरीक्षक ओपी चौहान ने बताया कि जांच की जा रही है। (संवाद)

सिपाही पर पैसे वसूलने का आरोप

तुलसीपुर। कस्बा निवासी उमंग लाट ने अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजा है। कहा कि वह पत्नी को रेलवे स्टेशन छोड़ने आए थे। रास्ते में एक सिपाही ने उन्हें रोककर पैसे की मांग करते हुए धक्कामुक्की की। स्टेशन अधीक्षक एसएन दुबे का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी। (संवाद)

अलग-अलग मामलों में चार गिरफ्तार

हरैया सतघरवा। मारपीट के मामले में पुलिस ने बनकटवा के सहजराम तथा चोरी के आरोप में जागवली को गिरफ्तार किया है। गैड़ास बुजुर्ग पुलिस ने ज्ञानदास को अवैध शस्त्र के साथ पकड़ा है। जबकि दुष्कर्म के मामले में गोविंद चौहान को गिरफ्तार किया है। (संवाद)

कार्डधारकों से मारपीट के मामले में कोटेदार पर केस

हरैया सतघरवा (बलरामपुर)। राशन को लेकर महादेव बांकी गांव में मारपीट का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि राशन लेने के लिए जाने पर कोटेदार अंगूठा नहीं लगवाते हैं। विरोध करने पर मारपीट की जाती है। शुक्रवार को श्यामलाल, दयाराम, संतोष आदि ने इसकी शिकायत आपूर्ति निरीक्षक व पुलिस से की। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की।

एसओ रमाकांत तिवारी ने बताया कि कोटेदार जुम्मन हुसैन पर केस दर्ज किया गया है। कोटेदार का कहना है कि चुनावी रंजिश के कारण फंसाया जा रहा है। (संवाद)

BAHRAICH POLICE

सराहनीय कार्य दिनांक:- 12-11-2022

हिस्ट्रीशीटर को चकमा दे घर पहुंची अपहृता

हराइच, संवाददाता। एक हिस्ट्री शीटर ने घर में घुसकर एक महिला का अपहरण कर लिया। बड़े जद्दोजहद के बाद इस मामले में पुलिस ने केस तो दर्ज किया। उसकी बरामदगी में दिलचस्पी नहीं दिखाई। पीड़िता चकमा देकर पति के घर पहुंची। उसने आरोप लगाया है कि हिस्ट्रीशीटर से पुलिस मिली हुई है। बड़े व छोटे दरोगा ने एक प्रधान के जरिए 35 हजार रुपये लिए है। ताकि वह हिस्ट्रीशीटर के पक्ष में दवाब बना रहे थे। पीड़िता ने गुरुवार को एसएसपी से शिकायत की है।

खैरीघाट थाने के एक गांव निवासिनी 35 वर्षीय महिला 30 सितम्बर की रात अपने घर के पीछे शौच को गई थी। हिस्ट्रीशीटर राजित राम ने अपने साथियों के साथ उसके मुंह को साध कर अपहरण कर लिया। असलहा दिखाकर धमकाया। आहट मिलने पर पति दौड़ा तो उसे भी असलहा दिखाकर जान से मारने की धमकी दे पीड़िता का अपहरण कर लिया। काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने पीड़ित पति की तहरीर पर बलवा, गाली गलौज, धमकी मारपीट, बंधक बनाने आदि की धाराओं में केस दर्ज किया। पीड़ित पति का आरोप है कि पुलिस ने महिला की बरामदगी में कोई दिलचस्पी नहीं ली। पीड़िता के मुताबिक नौ नवम्बर को हिस्ट्रीशीटर को चकमा देकर भागी और ससुराल पहुंची। इसकी जानकारी पति ने पुलिस को दी। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस हिस्ट्रीशीटर से मिली भगत किए हैं। बड़े व छोटे दरोगा को एक प्रधान के जरिए 35 हजार रुपये दिए गए कि वह पीड़िता को डरा धमका कर हिस्ट्री शीटर के साथ रहने का बयान दिलवाए। अभी तक उसका कोर्ट में बयान नहीं कराया गया है। बंधक बनाकर हिस्ट्रीशीटर ने रेप किया है।

> महिला गलत बयानी कर रही है। उसे दरोगा भुवनेश्वर यादव ने बरामद किया। महिला बयान को तैयार नहीं हो रही है। महिला चाहेगी तो कोर्ट में उसका बयान दर्ज कराया जाएगा।
>
> **एनके श्रीवास्तव**, खैरीघाट, एसएचओ

- **पुलिस पर मिली भगत व हिस्ट्रीशीटर के पक्ष में बयान के दवाब का आरोप**
- **पीड़िता ने बड़े व छोटे दरोगा पर 35 हजार लेने का आरोप लगाया**

अपहृत विवाहिता लखनऊ में बरामद

बहराइच। एक माह पूर्व एक विवाहिता का अपहरण हुआ था। पुलिस ने काफी जद्दोजहद के बाद केस दर्ज किया था। युवती की बरामदगी में किसी के दिलचस्पी न लेने पर पीड़ित पति ने गोरखपुर जोन के एडीजी से पीड़ा व्यक्त की। उनके हस्तक्षेप पर गुरुवार को पुलिस ने लखनऊ चारबाग से अपहृत महिला को बरामद किया। बौंडी थाने के एक गांव निवासी व्यक्ति की 35 वर्षीय पत्नी का एक माह पूर्व अपहरण हो गया था। उसके घर पर दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। पीड़ित पति के मुताबिक उसकी पत्नी शौच को घर से निकली थी। काफी समय बीतने पर जब घर नहीं आई। तलाश के दौरान पता चला कि युवती जिस स्वयं सहायता समूह में सदस्य थी। स्वयं सहायता समूह चलाने वाले युवक ने उसका अपहरण कर लिया है, जिसकी सूचना थाने पर दी गई। थाने की पुलिस एक महीने तक हीला हवाली करती रही। इस संबंध में पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी कई बार प्रार्थना पत्र दिया। थाने के दरोगा पुलिस अधीक्षक को भी गुमराह करते रहे। शिथिलता देख फरियादी ने एडीजी गोरखपुर से की।

मोतीपुर रेंज से सटे पलिहा गांव की सीमा की बीती रात तेंदुए के हमले में मौत हो गई थी

छह ट्रैप कैमरे से तेंदुए के मूवमेंट पर नजर, कैद को लगा पिंजरा

सतर्कता

बहराइच, संवाददाता। मोतीपुर रेंज के सोमईगौढ़ी के पलिहा गांव में बालिका को निवाला बनाने के बाद से ही तेंदुआ गन्ने के खेत में ठौर लिए हुए है। तेंदुए के हर मूवमेंट पर नजर रखने के लिए ट्रैप कैमरे लगए गए हैं। पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया है। हर पल के लोकेशन की रिकार्डिंग हो रही है। सुरक्षा के मद्देजनजर गांव में वन कर्मियों की टीम 24 घंटे कांबिंग कर रही है।

कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के मोतीपुर रेंज से सटे पलिहा गांव की सीमा पुत्री रामचंद्र को गुरुवार की रात तेंदुए के हमले में मौत हो गई थी। तेंदुए के हमले के बाद से ही वन विभाग उस पर नजर रख रहा है। गांव के चारों ओर उच्च क्षमता के छह ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों से हर मूवमेंट की रिकार्डिंग भी की जा रही है, ताकि उसी के हिसाब से पिजरा लगाकर तेंदुओं को कैद किया जा सके। शुक्रवार को गांव के पास ही गन्ने के खेत में तेंदुए का लोकेशन मिलने पर पिंजरा लगाया गया है, ताकि शिकार के चक्कर में उसे कैद किया जा सके। वन कर्मियों की टीम भी लगाई गई है। 24 घंटे गांव के चारों ओर टीम पहरा दे रही है। तेंदुए के हमले से गांव के लोग बच्चों की सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं।

मोतीपुर रेंज के सोमईगौढ़ी के पलिहा गांव में पिंजरा लगाते वनकर्मी।

10 हजार की आर्थिक मदद दी

बहराइच। डीएफओ की ओर से पीड़ित परिजन को शव के अंतिम संस्कार के लिए शुक्रवार को 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी दी गई। रेंजर ने ग्रामीणों के साथ संवाद कर शाम को बच्चों को बाहर खेलने व शौच के लिए जाने से रोकने का सुझाव दिया।

डीएफओ की मदद से छटा अंधेरा

बहराइच। जंगल से लगा पलिहा गांव के लोग सात दशक बाद भी ढिबरी युग में जी रहे हैं। यहां बिजली के नाम पर एक बल्ब तक नहीं है। सिर्फ सूरज की रोशनी ही गांव के लोगों को मिल रही है। आए दिन जंगल जीवों के हमले की एक वजह यह भी है।

गुरुवार को डीएफओ को गांव के बारे में जानकारी होने पर गांवों को सोलर पैनल से जगमगाने के लिए संसाधनों की व्यवस्था की है। रेंजर ने बताया कि गांव के चारों ओर दो दिनों में सोलर पैनल का काम पूरा हो जाएगा।

- हमले के बाद से ही गन्ने के खेत में मिल रही छिपे तेंदुए की लोकेशन
- गांव में कांबिंग कर रही वन विभाग की, लोकेशन की हो रही रिकार्डिंग

“ तेंदुए के मूवमेंट को देखते हुए कैमरा व पिंजरा लगाया गया है। गांव में सोलर पैनल भी लगाए गए हैं। टीम मॉनीटरिंग कर रही है।

आकाशदीप बधावन, डीएफओ,

SHRAWASTI POLICE

सराहनीय कार्य दिनांकः- 12-11-2022

10 लीटर कच्ची शराब के साथ एक गिरफ्तार

श्रावस्ती। सिरसिया थाने की पुलिस टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर एक व्यक्ति के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद किया। बरामद शराब को जब्त कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान राजेन्द्र पुत्र मालिक राम निवासी बगही थाना सिरसिया के रूप में हुई।

चेकिंग में 114 वाहनों का चालान कटा

श्रावस्ती। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने वाहन के पेपर, चालक का डीएल, हेलमेट, मास्क, तीन सवारी आदि की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान 114 वाहनों को यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाया गया। नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी वाहनों का मोटर वाहन अधिनियम के तहत ई-चालान किया गया। साथ ही वाहन स्वामियों पर एक लाख 61 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

शराब दुकान से रुपये व नौ पेटी शराब चोरी

जासं, श्रावस्ती : गिलौला क्षेत्र के एकघरवा में संचालित देसी शराब की दुकान पर गुरुवार की रात चोरों ने धावा बोला। शटर काटकर दुकान में घुसे चोर रुपये समेत नौ पेटी शराब, सीसी कैमरा, टीवी व स्कैनर मशीन उठा ले गए। मुनीम ने गिलौला थाने में तहरीर दी है। एकघरवा में संचालित देशी शराब की दुकान पर गुलाब पांडेय मुनीम हैं। गुरुवार की रात लगभग दो बजे मुनीम के बेटे की तबियत खराब होने पर वह घर चले गए। सुबह लगभग चार बजे मुनीम के पिता जब दुकान की ओर गए तो देखा कि शटर का ताला टूटा हुआ है। घटना की जानकारी डायल- 112 पुलिस को दी गई। पुलिस के पहुंचने पर दुकान के अंदर देखा गया तो चार पेटी देशी रंगीन व पांच पेटी सादी शराब गायब मिली। 15 सौ रुपये नकद व अन्य सामान भी गायब थे।

गांजा तस्कर को सात वर्ष का कठोर कारावास

जासं, श्रावस्ती : दुकान पर सिगरेट में तंबाकू की जगह गांजा भरकर बेचने के मामले में दोषी दुकानदार को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अर्थदंड न अदा करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक द्विजेंद्र नाथ मिश्र ने बताया कि चार अगस्त 2016 को पुलिस ने गिलौला के खुटेहना तिराहे से सत्य प्रकाश गुप्त उर्फ राजू के पास से एक किलो 250 ग्राम गांजा बरामद किया था। इस मामले में आरोपित के विरुद्ध गिलौला थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले के विचारण के बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश 14वां वित्त आयोग अजय सिंह ने आरोपित सत्य प्रकाश गुप्त उर्फ राजू को दोषसिद्ध ठहराते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

शांति भंग की आशंका में दो गिरफ्तार

श्रावस्ती। जिला पुलिस की ओर से बृहस्पतिवार रात अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में दो लोगों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया गया। जिनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई कर उन्हें संबंधित उप जिलाधिकारी न्यायालय में पेश किया गया। (संवाद)

114 वाहनों का चालान

श्रावस्ती। जिला पुलिस की ओर से शुक्रवार को विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस द्वारा 114 वाहनों का मोटर वाहन अधिनियम में चालान किया गया। इस दौरान पुलिस ने 1,61,000 रुपये शमन शुल्क वसूल किया। (संवाद)

पुलिस ने जांची बैंकों की सुरक्षा

श्रावस्ती। जिला पुलिस की ओर से शुक्रवार को एएसपी प्रवीण कुमार यादव तथा सीओ भिनगा व इकौना के नेतृत्व में बैंकों में जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित बैंक, ग्राहक सेवा केंद्र व एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ में बैंकों में सुरक्षा की दृष्टि से लगे सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन यंत्र, आपातकाल में बैंक से निकलने के लिए पर्याप्त मार्ग आदि का गहन निरीक्षण किया। वहीं बैंक में मौजूद ग्राहकों को साइबर अपराध के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया। (संवाद)

कच्ची शराब के साथ दो गिरफ्तार

श्रावस्ती। सिरसिया पुलिस ने गुरुवार रात एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जिसके पास से पुलिस ने 10 लीटर कच्ची शराब बरामद की। गिरफ्तार युवक की पहचान थाना क्षेत्र के बगही निवासी राजेंद्र के रूप में हुई। वहीं आबकारी टीम ने सोनवा पुलिस के साथ ग्राम खुरेहरी में छापा मारा। छापे के दौरान टीम ने 52 लीटर कच्ची शराब बरामद की। साथ ही मौके से टीम ने दो क्विंटल लहन बरामद की। जिसे टीम ने मौके पर नष्ट करा दिया। इस दौरान टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जिनके विरुद्ध स्थानीय पुलिस ने आबकारी अधिनियम में कार्रवाई की है। (संवाद)

गांजा तस्कर को सात साल की जेल

श्रावस्ती। गिलौला पुलिस की ओर से छह वर्ष पूर्व गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए युवक पर गुरुवार को न्यायालय ने दोष सिद्ध करते हुए सात वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। गिलौला पुलिस ने क्राइम ब्रांच टीम के साथ 04 अगस्त 2016 को गिलौला कस्बा निवासी सत्य प्रकाश गुप्ता उर्फ राजू को गिरफ्तार किया था। जिसके कब्जे से पुलिस ने सवा किलो गांजा बरामद किया था। जिसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर पुलिस की ओर से चार्जशीट भेजी गई थी। इस मामले में अभियोजन की तरफ से विशेष अभियोजक द्विजेंद्र कुमार मिश्रा व अरुण कुमार सिंह पैरवी कर रहे थे। जिनकी दलीलों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट अजय कुमार सिंह ने आरोपी सत्य प्रकाश पर दोष सिद्ध करते हुए उसे सात वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जिसे पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेजा गया है। (संवाद)